खण्ड-344, अंक-5
गुरूवार, 19 आषाढ़, शक संवत् 1902
(10 जुलाई, 1980 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 344 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1980

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	311–315
प्रश्नोत्तर	315–318
प्रदेश में रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था को माँग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	318
दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की वाल्टरगंज (गोविन्द नगर) स्थित चीनी मिल के बन्द होने की सम्भावना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	318–319
वाराणसी नगर में पेय जल संकट के सबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	319
फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र आगरा के मतदान केन्द्र नहचानी पर मतदान होते समय सी0 ओ0 खेरागढ़, श्री रवि शकर त्रिपाठी द्वारा मतदाताओं के साथ अत्याचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	319–320
लखनऊ जिले के चिनहट, इस्माइलगंज तथा नयागाँव क्षेत्र में बिजली की सप्लाई न होने से उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	320
संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1980 (पुरः स्थापित करने की अनुज्ञा नहीं मिली)	320–322
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	323–325
राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	325–369
उन्नाव में हुई बलात्कार की घटना से संबंधित महिला की सचिवालय परिसर में मौजूदगी की सूचना एवं संरक्षण की माँग	369–370
राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरने हेतु साक्षात्कार के लिए अनुसचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	370–374
उन्नाव में हुयी बलात्कार की घटना से संबंधित महिला के संबंध में जानकारी ..	374
राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए अनुसचित जाति, एवं जनजाति के अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में संकल्प (जारी)	374–380
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 (विचारोपरान्त पारित)	380–389
उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 (विचारोपरान्त पारित)	389–395
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	395
ज्ञानस जनपद उत्तरकाशी में भूस्खलन दुर्घटना से हुयी क्षति एवं राहत कार्य किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	395–399

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बृहस्पतिवार, दिनांक 10 जुलाई, 1980

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री श्रीपति मिश्र की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—374

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अकबाल हुसैन, श्री (गोण्डा)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री (मेरठ)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मोहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अमीरुद्दीन, श्री (बिजनौर)
अम्बा प्रसाद, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अलमेलु अम्माल, कुमारी (बस्ती)
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री (इलाहाबाद)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री
(उर्फ सुल्तन भैय्या) (खीरी)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोण्डा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ऊदल, श्री (वाराणसी)
ए० सी० ग्राइस, श्री (नामनिर्देशित—आँग्ल भारतीय)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्र, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
काशीनाथ मिश्र, श्री (बलिया)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
किशोरी शुक्ला, श्रीमती (गोरखपुर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बगम, श्रीमती (हरदोई)
कुंवेर, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण प्रकाश तिवारी, श्री (इलाहाबाद)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डा० (आगरा)
केदार, श्री (आजमगढ़)
केदारनाथ सिंह, श्री (गोरखपुर)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र, श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुदादीन अन्सारी, श्री (देवरिया)
खुर्शीद अहमद, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शेद अहमद, श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रागड़, श्री
(टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
ख्वाजा हलीम, श्री (अलीगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गजेन्द्र सिंह, श्री (बाराबंकी)

गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुड़िया सत्येन्द्र चन्द्र, श्री (नैनीताल)
गुलाब सेहरा, श्री (आगरा)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपाल राम दास, श्री (अल्मोड़ा)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गोवरधन, श्री (अल्मोड़ा)
गौरी देवी, श्रीमती (गोरखपुर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री (इटावा)
गौरी शंकर भैय्या श्री (बलिया)
चंचल सिंह, श्री (रामपुर)
चन्दन सिंह; श्री (मथुरा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चन्द्र सिंह, श्री (मेरठ)
चरनजीत सिंह, श्री (पीलीभीत)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
चेतराम गंगवार, श्री (बरेली)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोण्डा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)
जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह, श्री (मनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जयदीप सिंह, श्री (बरेली)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल विकल साकेती, श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
जैराज गौतम, श्री (सुल्तानपुर)
झग्गड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तवेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री (खीरी)
तेज बहादुर, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह, श्री (बिजनौर)
दयाल कृष्ण, श्री (मथुरा)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दल सिंगार, श्री (आजमगढ़)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन उर्फ महन्थ, श्री (गोण्डा)
दीपू, श्री (आजमगढ़)
दूधनाथ, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
घनीराम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धरमपाल, श्री (बहराइच)
धर्मपाल ,डाक्टर (अलीगढ़)
धर्मवीर सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
धूप राय, श्री (देवरिया)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नरेश चन्द्र, श्री (हरदोई)
नाजिर अली, श्री (शाहजहाँपुर)
नियाज हसन खां, श्री (प्रतापगढ़)
निर्भय नारायण सिंह, श्री (बलिया) (उर्फ लाल बाबू)
निर्मल कुमार, श्री (फैजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
नौनिहाल सिंह, चौधरी (इलाहाबाद)
पंचानन, श्री (आजमगढ़)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
परवीन कुमार, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पुरुषोत्तम, श्री (मिर्जापुर)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)

प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभू नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बनवारी राम, श्री (वाराणसी)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलवीर सिंह, श्री (रामपुर)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तरकाशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोण्डा)
बाबूलाल, श्री (हमीरपुर)
बाबू सिंह, श्री (अलीगढ़)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
बिहारी लाल दोहरे, श्री (फर्रुखाबाद)
बुद्ध पाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
बृज किशोर, श्री (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रज बल्लभ बाबू, श्री (बदायूं)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवान दीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भीखा लाल, श्री (उन्नाव)
भीम सिंह, श्री (मेरठ)
भूधर नारायण मिश्रा, श्री (कानपुर)
भूपसिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ, श्री (गोरखपुर)
भोला पाण्डेय, श्री (बलिया)
मंडलेश्वर सिंह, श्री (आगरा)
मन्जूर अहमद, श्री (मेरठ)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मंसूर जाफरी, (उर्फ शबरोज) श्री (गोंडा)
महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश उपाध्याय, श्री (आगरा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री (एटा)
मान बहादुर, श्री (गोण्डा)
मारकण्डेय चन्द, श्री (गोरखपुर)
मित्रसेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुख्तार अनीस, श्री (सीतापुर)
मुंशी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोण्डा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फरनगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद उमर, डाक्टर (गोण्डा)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यदुनाथ, श्री (मिर्जापुर)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यशपाल सिंह, श्री (सहारनपुर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ ललन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
योगेश चन्द्र, श्री (वाराणसी)
रईसउद्दीन वारसी, श्री (मुरादाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोण्डा)
रघुवीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रतीराम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपती देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राजमंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री (फर्रुखाबाद)

राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम कुमार भार्गव, श्री (सीतापुर)
राम कृष्ण, श्री (जौनपुर)
राम कृष्ण, श्री (मुरादाबाद)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम, श्री (वाराणसी)
रामजी राम, श्री (फैजाबाद)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नारायण पाठक, श्री (कानपुर)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम भंजन लाल, श्री (खीरी)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम रतन सिंह, श्री (सीतापुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
रामशिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
रामस्वरूप, श्री (सहारनपुर)
रामस्वरूप वर्मा, श्री (कानपुर)
राम हर्ष, श्री (गाजीपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर, श्री (बाँदा)
रिजवानुर्रहमान, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहाँपुर)
रुलूहा सिंह, श्री (सहारनपुर)

लटूरी सिंह, श्री (एटा)
ललई सिंह चौहान, श्री (मैनपुरी)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकमणि, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय पाल, श्री (गाजियाबाद)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह, श्री (मिर्जापुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विनोद कुमार, श्री (पीलीभीत)
विमला राकेश, श्रीमती (सहारनपुर)
विलायती राम कत्याल, श्री (कानपुर)
विशन लाल, श्री (बिजनौर)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीर बहादुर सिंह, (गोरखपुर)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुंवर (गाजियाबाद)
वृद्धि नरायन, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बाँदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बाँदा)
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर (कानपुर)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव प्रताप सिंह, श्री (बाँदा)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवराज सिंह, श्री (अलीगढ़)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल वाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्री कृष्ण गोयल, श्री (बनारू)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
श्रीपति मिश्र, श्री (सुल्तानपुर)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
सईदुल हसन, श्री (बुलन्दशहर)
सच्चिदानन्द, श्री (उन्नाव)

सतीश अजमानी, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहाँपुर)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री (प्रतापगढ़)
सरदार सिंह, श्री (मथुरा)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सीताराम निषाद, श्री (फैजाबाद)
सुखवीर सिंह गहलौत, श्री (गाजियाबाद)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुमन लता दीक्षित, कुमारी (कानपुर)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्ना) (गाजियाबाद)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सुरेन्द्र सिंह, श्री (गाजीपुर)
सुरेन्द्र दत्त पालीवाल, श्री (जालौन)
सुलतान सिंह, श्री (मुरादाबाद)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूर्यनाथ, श्री (जौनपुर)
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री (मेरठ)
सोमाँश प्रकाश, श्री (मुजफ्फरनगर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती, (लखनऊ)
स्वामी नेमपाल, श्री (बुलन्दशहर)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बाँदा)
हरिद्वार पाण्डय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री (कानपुर)
हरीशंकर, श्री (हरदोई)
हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
हेम चन्द्र निमेष, श्री (मेरठ)

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, 10 जुलाई, 1980

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गन्ने के शीरे से पावर अल्कोहल बनाये जाने की मांग

**1—श्री रामस्वरुप वर्मा—

क्या खाद्य एवं रसद मंत्री को ज्ञात हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से सन् 1979–80 में यह माँग की है कि तमिलनाडु के अन्दर बिकने वाली पेट्रोल में 20 प्रतिशत पावर अल्कोहल मिलाकर गैसो होल के नाम से बेचा जाय ? यदि हाँ, तो इस बात को ध्यान में रखते हुये कि देश के कुल गन्ने की उपज का 40 प्रतिशत से अधिक उत्तर प्रदेश में पैदा होने के कारण यहाँ पर पावर अल्कोहल सबसे अधिक है क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से जैसो होल बेचने का प्रबन्ध प्रदेश में करने की माँग करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)—

जी नहीं।

प्रश्न के शेष भाग के उत्तर का सवाल नहीं उठता।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, हमारे देश में पेट्रोल की कमी है और जो पावर अल्कोहल गन्ने के शीरे से बनता है, वह महत्वपूर्ण है। देश का 40 प्रतिशत गन्ना यहाँ पैदा होता है, जिससे पावर अल्कोहल सबसे अधिक इस प्रदेश में है, जिसमें सरकार लापरवाही बरतती है और उत्तर आया है कि इसका प्रश्न नहीं उठता है। यदि गन्ने के शीरे से अल्कोहल बनाया जायेगा, तो शीरे के दाम बढ़ेंगे और चीनी सस्ती उपलब्ध होगी तथा पेट्रोल की कमी दूर होगी। इस देश में अल्कोहल से यंत्र, मोटर, बाईसिकिल और अन्य परिवहन के साधनों का इंतजाम

करके 20 प्रतिशत पावर अल्कोहल पेट्रोल में मिलाया जाय तो पेट्रोल की कमी दूर हो सकती है, लेकिन सरकार उसका कोई इस्तेमाल नहीं करती है और 6 आने मन के हिसाब से शीरा बिकता है। जबकि एक टन शीरे से 400 लीटर पावर अल्कोहल बनता है। इसलिये सरकार इसको देखते हुये गैसो होल बनाने के लिये केन्द्र सरकार से क्या सिफारिश करेगी ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि क्या सरकार को ज्ञात है कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्र सरकार से माँग की है कि तमिलनाडु में बिकनेवाली पेट्रोल में 20 प्रतिशत पावर अल्कोहल मिलाकर गैसो होल के नाम से बेचा जाय। मैंने उत्तर दिया कि जी नहीं, और फिर आगे उत्तर दिया कि जब वही चीज नहीं हुई, तो आगे उत्तर का सवाल नहीं उठता।

मान्यवर, अब नई चीज कही कि इस पर सरकार विचार करे, तो यह उसके अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्ता—

मान्यवर, मंत्री जी ने सवाल का उत्तरार्द्ध नहीं पढ़ा। जैसे कि क्या सरकार केन्द्रीय सरकार से गैसोहोल बेचने का प्रबन्ध प्रदेश में करने की माँग करेगी। उत्तर दिया है कि जी नहीं, तो म जानना चाहता हूं कि क्यों नहीं ? केन्द्र सरकार से माँग न करने का क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

जो मंत्री जी ने समझा उसका उत्तर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि केन्द्रीय सरकार से गैसो होल प्रदेश में बेचने का प्रबन्ध की माँग न करने का क्या कारण है ?

श्री राम सिंह खन्ना—

मान्यवर, सवाल में कहां है यदि हाँ। लेकिन मैंने तो मूल प्रश्न का उत्तर दिया है कि सरकार को ज्ञात नहीं हुआ है, तो आगे सवाल का उत्तर का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

यह तो तमिलनाडु और केन्द्र सरकार का मामला है तो उसका इस प्रदेश में कैसे सवाल उठता है ?

(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, प्रश्न के आँधे हिस्से में मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया है। यहाँ पावर के अल्कोहल अधिक है। इसलिये केन्द्र सरकार से क्या प्रदेशीय सरकार गैसोहोल बेचने की माँग करेगी ? इसका उत्तर देना मंत्री जी क्यों भूल गये। और यदि माँग नहीं करेगी, तो क्यों ? इसका उत्तर मंत्री जी दे दें।

श्री अध्यक्ष—

रामस्वरूप जी आप का प्रश्न दो भागों में था क्या सरकार को ज्ञात हुआ है कि तमिलनाडु सरकार ने कन्द्रीय सरकार से सन् 1979–80 में यह माँग की है कि तमिलनाडु के अन्दर बिकने वाली पेट्रोल में 20 प्रतिशत पावर अल्कोहल मिलाकर गैसो होल के नाम से बेचा जाय। यह आप का प्रश्न है और इसके उत्तर मंत्री जी ने दिया 'जी नहीं'। उनका उत्तर, 'नहीं' में आया। यदि उत्तर 'हाँ' में आता तो आगे सवाल आता.....(व्यवधान) अब दूसरा प्रश्न.....

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, प्रश्न के अन्त में जो "क्यों" का वर्ड है वह केवल इसलिए है कि अगर तमिलनाडु सरकार की तरह उत्तर प्रदेश की सरकार केन्द्रीय सरकार को नहीं लिख रही है, तो उसके क्या वजूहात हैं, क्या रिजन्स हैं--वह आने चाहिए माननीय सदन में, जिनकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर रही है।

श्री ऊदल--

तमिलनाडु सरकार को छोड़ दीजिए उसने लिखा या नहीं लिखा, वह अलग प्वाइन्ट है, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार भारत सरकार को इस प्रश्न के ऊपर लिखने की कृपा करेगी?

श्री राम सिंह खन्ना--

मान्यवर, जहाँ तक इसका ताल्लुक था कि तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कहा है, उसने नहीं कहा है। अब आप का प्रस्ताव यह है कि पेट्रोल की मात्रा कम है, पेट्रोलियम की कमी को देखते हुए आप ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे यह सवाल अलग से आना चाहिए था। फिर भी हमारे पास सब आँकड़े हैं, इस पर ध्यान देंगे क्योंकि इसकी नेशनवाइड जरूरत है। लेकिन यह इसके अन्दर नहीं आता है, इसलिए मैं इस बात पर जोर दे रहा था, जिससे आप का वक्त खराब न हो। इसको दिखवा लेंगे।

श्री रामस्वरूप वर्मा--

इस बात को ध्यान में रखते हुये कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पावर अल्कोहल हो सकता है, क्या सरकार शीघ्रातिशीघ्र केन्द्र सरकार को लिखेगी कि वह गेसो होल देने के लिए तैयार है ?

श्री राम सिंह खन्ना--

इस पर पूरा विचार किया जायगा।

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मान्यवर, एक मिनट का टाइम दे दें। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शीरे का संबंध सीधे किसानों से रहता है और उत्तर प्रदेश में हर एक मील के अन्दर सैकड़ों टन शीरा पानी में बह जाता है, उसके अतिरिक्त हमारे बिसवाँ, महौली मिल हैं.....

श्री अध्यक्ष--

इसके लिए अलग से प्रश्न दीजिए, इसका अलग प्रश्न आप बना सकते हैं....

श्री हर गोविन्द वर्मा--

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर अल्कोहल के अतिरिक्त दूसरी योजना में इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो इस शीरे को किस तरह से इस्तेमाल करेंगे जिससे किसानों का हित हो सके क्योंकि शीरे के सस्ते होने के वजह से मिल मालिक कहते ह हमारा घाटा होता है, उस घाटे को पूरा करने के लिए सरकार क्या कीमत शीरे की करेगी और किसानों को कैसे हित पहुंचेगा.....

श्री राम सिंह खन्ना--

विचार कर लेंगे.....

श्री अध्यक्ष--

आपका प्रश्न अलग है। अगल से प्रश्न पूछिये....

अतिरिक्त चीनी का आवंटन

**2--डाक्टर शिवानन्द नौटियाल (अनुपस्थित)--

क्या खाद्य एवं रसद मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के चीनी उपभोक्ताओं को मई, 1980 में जो अतिरिक्त आधा किलो चीनी प्रति यूनिट दी गई थी वह जून, 1980 से देना बन्द कर दी गई है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राम सिंह खन्ना--

जी हाँ। दिसम्बर, 1979 से मार्च, 1980 की अवधि में प्रदेश को आवंटित लेवी चीनी की जितनी मात्रा की उठान नहीं की जा सकी थी उसे भारत सरकार ने मई, 1980 में उपलब्ध कराने के आदेश इस प्रतिबन्ध के साथ दिये थे कि वह मई, 1980 के आवंटन के 50 प्रतिशत से अधिक न हो। तदनुसार प्रदेश को मई, 1980 में 20,883 मी0 टन का अतिरिक्त आवंटन प्राप्त हुआ था जिसे सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के आदेश दिये गये थे। जून, 1980 में अवशेष 18,945 मी0 टन का आवंटन प्राप्त हुआ जिसे शादी व्याह के विशेष परमिटों की माँग होने के कारण प्रयोजन हेतु आरक्षित कर दिया गया।

[11 बजकर 10 मिनट]

प्रदेश में रेल यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

नियम 301 के अन्तर्गत आज 11 सूचनायें आई थीं जिनमें 5 सूचनाएं स्वीकृत हुईं और 6 सूचनाएं अस्वीकृत हुईं।

*श्री राम लाल--

मान्यवर, आपकी अनुमति से यह तथ्य शासन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में रेल की यात्रा अत्यन्त असुरक्षित एवं खतरे की हो गई है। कल उत्तर पूर्व रेलवे के रायाँ सोनाई विभाग में 125 डाउन कासगंज पैसेंजर में 4 सशस्त्र डकतों ने द्वितीय श्रेणी के डिब्बे को लूट लिया। ज्ञात हुआ है कि एक डकैत ने भरी हुई पिस्तौल के बल पर मथुरा छावनी स्टेशन पर ट्रेन रोक ली तथा अन्य तीन डकैत ट्रेन को रायाँ स्टेशन पर ले गये ? लगभग 25 हजार की लूट की सूचना है।

मान्यवर, इस ओर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन है कि रेलों में सुरक्षा की व्यवस्था प्रदान की जाए।

दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लिमिटेड की वाल्टरगंज (गोविन्दनगर) स्थित चीनी मिल के बन्द होने की सम्भावना के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

महोदय, बस्ती जनपद में दि बस्ती शुगर मिल्स कम्पनी लि0 की वाल्टरगंज (गोविन्द नगर) चीनी मिल गत 40 वर्षों से इस क्षेत्र की गन्ना पिराई का कार्य करती है। इस क्षेत्र के किसानों का एक मात्र कैश क्राप गन्ना है और इस मिल में इस पिछड़े ग्रामीण क्षेत्र के निवासी 1200 मजदूर कार्य करते हैं। मिल मालिक अब अपने निजी स्वार्थ में उपरोक्त चीनी मिल को बन्द करने तथा उखाड़ने पर अमादा हो गये हैं। मिल में न तो तकनीकी खराबी है न ही इस क्षेत्र में गन्ने का अभाव है। इस क्षेत्र में इतना गन्ना उपलब्ध है कि सहकारी गन्ना समिति लि0 गोविन्दनगर के 6 बाह्य क्रय क्षेत्रों का गन्ना दूसरी मिलों को भेजना पड़ता है। वर्ष 1980-81 पिराई सत्र हेतु मिल मालिकों ने अभी तक मिल की मरम्मत का कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। अलबत्ता वह अपने अधिकारियों का अपनी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरी मिलों में स्थानान्तरण कर रहे हैं। इस मिल के बन्द होने पर इस क्षेत्र के हजारों किसानों तथा मिल मजदूरों का जीवन तबाह हो जायगा। मिल बन्द होने की सनसनी खेज खबर सुन कर सम्पूर्ण क्षेत्र के गन्ना किसानों तथा मिल मजदूरों में एक विस्फोटक स्थति पैदा हो गयी है और उनमें घोर जनाक्रोध व्याप्त हो गया है, कोई अप्रिय घटना न घटे, इसलिये सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए अनुरोध करता हूं कि अगले पिराई सत्र में मिल को चलवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही की जाय। यदि मिल की मरम्मत इत्यादि तुरन्त प्रारम्भ न हुई तो आगामी पिराई सत्र में मिल का चलना असम्भव होगा और उस समय स्थिति पर काबू पाना बहुत कठिन हो जायगा।

वाराणसी नगर में पेयजल संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ऊदल—

मान्यवर, 5 जुलाई, 80 से 9 जुलाई, 80 तक वाराणसी नगर में पीने का पानी मिलना बन्द हो गया। शहर के नागरिकों में पानी के अभाव में हाहाकार मचा हुआ है और निराशा भी व्याप्त है।

जल संस्थान एवं जल निगम द्वारा जो सरकारी नलों सें पानी दिया जाता है वह एक दम बन्द पड़ा है। पूरे नगर में जल का संकट है, लेकिन सबसे ज्यादा संकट पक्के महलों, राजमंदिर क्षेत्र, ब्रह्मनगर क्षेत्र, हरतीरथ, दारानगर, भैरोंनाथ, चौक, ठठेरीबाजार में तो एक बूंद भी पानी नहीं आया। पानी की सप्लाई पूर्णरुपेण बन्द हो गयी। ऐसा जल संकट नगर में कभी नहीं हुआ है। वाराणसी नगर में जल वितरण की दोषपूर्ण प्रणाली एवं अनियमित बितरण व्यवस्था काफी दिनों से है। बार-बार कहने, नागरिकों द्वारा जुलूस प्रदर्शन करके तथा आलोचना करने पर भी जल संस्थान एवं जल निगम के ऊपर कोई असर नहीं हुआ है।

जल संस्थान भेलूपुर एवं जल निगम की दोषपूर्ण वितरण व्यवस्था एवं दोषपूर्ण प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

तारीख 9–8–80 को भी नगर के बहुत बड़े हिस्से में जल आपूर्ति ठप रही।

इसलिये इस लोक महत्व के प्रश्न पर सरकार सम्बन्धित मंत्री एवं सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुये मांग करता हूं कि जल संस्थान एवं जल निगम की कमियों की जाँच की जाय। 5 जुलाई से 9 जुलाई तक जल आपूर्ति क्यों बन्द रही इसके कारणों का पता लगाया जाय और दोषी लोगों को सजा दी जाय तथा वाराणसी नगर की जनता को नियमित पेय जल की आपूर्ति का आश्वासन दिया जाय।

फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र आगरा के मतदान केन्द्र नहचानी पर मतदान होते समय सी0 ओ0, खैरागढ़, श्री रवि शंकर त्रिपाठी द्वारा मतदाताओं के साथ अत्याचार करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बदन सिंह—

दिनाँक 31–5–80 को फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र आगरा के मतदान केन्द्र नहचानी पर मतदान होते समय सी0 ओ0 पुलिस, खैरागढ़, श्री रवी शंकर त्रिपाठी ने बड़े पैमाने पर मतदाताओं को डराया धमकाया ही नहीं था बल्कि कुछ मतदाताओं को बुरी तरह से मारापीटा भी था और उसी दिन अपने कुकृत्य पर पर्दा डालने के लिये मतदाताओं से बदले की भावना के आधार पर उन पर मुकदमा भी पुलिस द्वारा कायम कराया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वदन सिंह]

कल दिनांक 9-7-80 को मेरे एक विश्वासपात्र व्यक्ति द्वारा मुझे यहाँ लखनऊ में अवगत कराया गया है कि श्री रवी शंकर त्रिपाठी ने उस झूठे मुकदमे में मेरा नाम भी शामिल किया है और वह क्षेत्र में भिन्न-भिन्न प्रकार की अफवाहें फैलाकर मेरे लोगों को धमकियाँ दे रहा है कि मैं एक एक करके सब विधायक के सबसे निपट लूंगा। कल सदन चार दिन के लिये उठ जायेगा और मैं क्षेत्र में जाऊंगा उस व्यक्ति के व्यवहार से मेरे क्षेत्र में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गयी है। गाँव में हाहाकार मचा हुआ है और मुझे भी तरह तरह का खतरा प्रतीत होता है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर मैं माननीय सदन द्वारा शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

लखनऊ जिले के चिनहट, इस्मालगंज तथा नयागांव क्षेत्र में बिजली की सप्लाई न होने से उत्पन्न संकट के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री चन्द्र शेखर त्रिवेदी—

महोदय, निवेदन है कि लखनऊ शहर के समीपवर्ती चिनहट, इस्माइलगंज तथा नया गांव क्षेत्र को कई मास से केवल 5 घन्टे बिजली मिल रही है जिस से वह क्षेत्र अंधकार में डूबा रहता है और वहाँ के निवासी भीषण गर्मी से त्रस्त रहते हैं। विद्यार्थीगण विशेषरूप से प्रभावित हैं और उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लेकिन इस्माइलगंज तथा नया गाँव से लगे हुये अन्य क्षेत्रों को निरन्तर शहर की भांति बिजली सप्लाई की जा रही है। इस भेदभाव व अन्याय से यहाँ की जनता में तीव्र रोष है। यहाँ के निवासियों ने सम्बन्धित विभाग को बहुत से प्रार्थना-पत्र दिये हैं लेकिन उन पर कोई कार्यवाही न होने के कारण समस्या ज्यों की त्यों है और सारा क्षेत्र अंधकार में डूबा है।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से माँग करता हूं कि इस्माइल गंज तथा नयागाँव को रूरल फीडर से काट कर एच0 ए0 एल0 सब स्टेशन से अविलम्ब बिजली सप्लाई करने की व्यवस्था करवायी जाय।

संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1980

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धक विधेयक, 1980 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

✓श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, इसको दाखिल होने के लिये जो हमारी प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली है उसके 115 (3) में 15 दिन के नोटिस की आवश्यकता है। यह हमें 5 जुलाई को मिला है। इसलिये इस वक्त इसको दाखिल नहीं किया जा सकता है। अतः इसकी अनुज्ञा देना ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

क्या आप (श्री राम स्वरूप वर्मा) इसको वापस लेते हैं?

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, आप कम समय के लिये भी अनुमति दे सकते हैं। इसलिये जब आपने अनुमति दे दी तो इनको यह सवाल उठाना ही नहीं चाहिए था।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री काशीनाथ मिश्र—

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

दो मिनट श्रीमन्, हमें भी सुन लें उससे आपको सहायता मिलेगी।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

मंत्री जी ने जो नियमावली की बात थी, उसका हवाला दिया मेरा तो कहना है कि यह बिलकुल असंवैधानिक है। इस तरह की बात सदन में आ ही नहीं सकती। यह जो उन्होंने कहा है और संकल्प दिया है उसमें माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने संविधान विरोध साहित्य प्रतिबंधन विधेयक पुर:स्थापित करने हेतु आज्ञा माँगी है। श्रीमन्, संविधान विरोधी साहित्य पर प्रतिबन्ध लगाना ही संविधान के खिलाफ है। हमारे संविधान में फुल फ्रीडम आफ स्पीच, लिखने की पूर्ण स्वतंत्रता है इसलिए हम किसी भी साहिय को प्रतिबन्धित नहीं कर सकते, भले ही वह संविधान के विरुद्ध ही क्यों न हो। तो मेरा यह ऐतराज है। अगर श्री रामस्वरूप वर्मा की बात स्वीकार होती है तो उससे रामायण का, महाभारत और गीता का छपना बंद हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं, आपकी बात सुन ली गई आप अपना स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अभी इसके गुण दोष पर विचार नहीं हो रहा है और न विचार करने की आवश्यकता है। अभी तो अनुज्ञा माँगने का प्रश्न है। अनुज्ञा सदन देगा कि नहीं। अगर अनुज्ञा देगा तो बहस होगी, नहीं तो नहीं होगी।

*श्री राम स्वरूप वर्मा—

जो आपत्ति उठाई है उसका पहले समाधान हो जाना चाहिये आप देखिये नियम 115 (3) में उसमें कहा गया है कि "इस नियम के अन्तर्गत विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा के लिए प्रस्ताव की सूचना की कालावधि पन्द्रह दिन होगी, यदि अध्यक्ष इससे कम समय की सूचना पर प्रस्ताव किये जाने की अनुज्ञा न दे दें।" मान्यवर, आपने जब अनुज्ञा दे दी पुर:स्थापित करने की तो फिर उस पर आपत्ति उठाई जाती है तो वह आपकी आज्ञा को चुनौती होगी। अब इसमें कोई आपत्ति का कारण नहीं रह जाता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें हमें भी एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष—

सारी बात साफ हो गई अब क्या सुनना है? आप बतायें कि इस मुद्दे में ऐसी क्या संदिग्ध बात रह गई है? कोई नया मुद्दा उठाने की बात है नहीं इसमें कोई संदिग्ध बात नहीं है इसका समाधान हो गया मैं अनुज्ञा दे सकता था, दे दी। अब मैं प्रश्न उपस्थित किये देता हूं।

प्रश्न यह है कि संविधान विरोधी साहित्य प्रतिबन्धन विधेयक, 1980 को पुर:स्थापित करने की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री रामस्वरूप वर्मा—

मान्यवर, मैं एक व्यवस्था की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक मिनट सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष—

यह आईटम अब समाप्त हो गया। अब किस प्रश्न पर सुनना है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

भविष्य के लिये सुन लीजिये। मान्यवर, ऐसी परम्परा है और लोक सभा में हमेशा रही है क्योंकि सरकारी पक्ष हमेशा बहुमत में होता है लेकिन यह गैर सरकारी लोगों का बिल है। तो गैर सरकारी लोग इस पक्ष के पूरे तौर से समर्थन में हैं, सरकार चाहे तो हमारा कोई प्रस्ताव नहीं आयेगा, उसकी अनुमति वह नहीं देंगे। क्योंकि सरकारी पक्ष हमेशा ज्यादा होता है। तो यह लोक सभा में परम्परा है कि जो बिल गैर सरकारी दिन पेश किये जाते हैं उनको पारित करने में सरकार फेल करती है लेकिन अनुज्ञा न दे यह तो गंदी परम्परा है। इस के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था दें कि लोक सभा का अनुगमन करेंगे या नहीं या कोई और नयी परम्परा डालेंगे उत्तर प्रदेश में ?

श्री अध्यक्ष—

आपने जो अनुज्ञा माँगी, अनुज्ञा नहीं मिली। बात यहीं समाप्त हो गई। लेकिन जो आपने बात कही उस पर मैं विचार करूंगा। क्योंकि गैर सरकारी विधेयकों के पुरःस्थापन की अनुज्ञा मिल जाए। ऐसा हुआ भी है पहले। पुनः कभी ऐसा प्रश्न आएगा तो मैं इसका प्रयास करूंगा कि इस स्टेज पर आप अनुज्ञा पाने से वंचित न रहें।

श्री मोहन सिंह—

मैं इस सन्दर्भ में यह कहना चाहता हूं.....

(व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र—

जो संविधान की धारा 20/21 में है, उसके विपरीत, सर्वथा उल्टी होने पर इनकी बात कैसे सुनी जा सकती है ? इस तरह की यहाँ बात करना हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है।

श्री मोहन सिंह—

यह ऐसा सवाल है, यदि यह बहुमत और अल्पमत से होगा तो हम कोई विचार पेश ही नहीं कर पाएंगे। आप इस पर बहस की अनुज्ञा दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

जो प्रश्न आप उठा रहे हैं, उसके बार में मैंने अपना निर्णय दे दिया है। मैंने अपने विचार व्यक्त कर दिये जो आप चाहते थे। यदि इस पर अनुज्ञा मिल तो अच्छा रहेगा, इसका प्रयास किया जाएगा, क्योंकि जैसा आप ने कहा यह लोक सभा की परिपाटी है।

(व्यवधान)

श्री रामआसरे वर्मा—

यदि ऐसी दलील बनी तो यहाँ पर कोई गैर-सरकारी काम हो ही नहीं पायेगा।

श्री अध्यक्ष—

यह बात समाप्त हो चुकी है। मैं खुद कह चुका हू। आप लोग कोई नई बात नहीं कह रहे हैं। अब आप बैठिए।

(व्यवधान)

श्री धनीराम वर्मा—

इस प्रश्न के सम्बन्ध में आगे जो समस्या पैदा होगी, उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

बाद में जो चीज पैदा होगी, उसको उस समय निपट लिया जाएगा अभी आप कृपया बैठिए।

श्री धनी राम वर्मा—

बैठने की बात ठीक है, लेकिन पहले सुन तो लें।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

दो कार्य-स्थगन के प्रस्ताव हमारे समक्ष आए हैं। एक श्री राम आसरे वर्मा, श्री खैरुल बशर, श्री जयदीप सिंह, श्री अम्बा प्रसाद, श्री चेतराम गंगवार, श्री श्याम नारायण, श्री मित्रसेन यादव, श्री कुबेर, श्री नन्द किशोर व श्री हरिवंश सहाय का है, जो प्रदेश के प्रसार शिक्षकों द्वारा अपनी माँगों के संबंध में आमरण अनशन करने के संबंध में है, दूसरा माननीय श्री कुबेर, श्री नन्द किशोर व श्री हरिवंश सहाय का आया था, जो 30 जून, 1980 को देवरिया जिले के हाटा थाना अन्तर्गत श्रीमती आरती देवी के साथ बलात्कार के संबंध में प्राप्त हुआ है। इन दोनों को मैंने अस्वीकृत किया है (व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

180 लोग क्रमिक अनशन कर रहे हैं..... (व्यवधान)

(श्री राम आसरे वर्मा व श्री कुबेर साथ-साथ बोलते रहे)

श्री कुबेर--

बलात्कारियों ने बलात्कार किया और बाद में उसकी हत्या कर दी। मेरे बगल में नरायनपुर गाँव है, उसको लेकर विधान सभा भंग हुई हैं। उसके बगल के ही हम रहने वाले हैं। नरायनपुर में काँग्रेस-आई के लोग हार गये हैं, इससे काँग्रेस सरकार को सत्ता में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। (व्यवधान के बीच) काँग्रेस (आई) के लोगों ने इस बलात्कार को किया है और इसीलिये इसको दबाया जा रहा है....

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आप खड़े हैं और कई सदस्य फिर भी बोल रहे हैं।

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने तथा व्यवधान करने पर कुछ लिखा न जा सका)

एक सदस्य--

इनको बैठाइये। [× × ×] इनको बिठाइये। इस तरह से सदन नहीं चलने पायेगा।

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया शांत रहें, अब आइटम नं0 9 चलने दें।

श्री राम आसरे वर्मा--

मेरे काम रोको प्रस्ताव पर मुझे कृपया सुन लें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मुझे भी एक मिनट सुन लिया जाय....

एक सदस्य--

यह भोंपू बन्द करवाइये, इन्हें बिठाइये .....

श्री मित्रसेन--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आप जब निर्णय दिया करें तो उसके पहले माननीय सदस्य को सुन लिया करें।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

एक सदस्य–
इस तरह से सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी. . . .
(व्यवधान)
श्री मित्रसेन––
आप हमारी बात सुनने को तैयार नहीं हैं। मैं एक गम्भीर मसला उठाना चाहता हूं
(शोर व्यवधान)
श्री श्याम लाल बाजपेयी––
मेरा भी व्यवस्था का सवाल है. . . .
*श्री राज मंगल पाँडेय––
मैं श्रीमन्, आपकी व्यवस्था चाहता हूं। इस सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने का उत्तरदायित्व किस पर है ? वैसे तो यह आपका है । और उसके बाद से हर पक्ष के जो लोग भी हों, शासन पक्ष के लोगों का यह उत्तरदायित्व होता है । या तो माननीय मुख्य मंत्री जी या उनकी अनुपस्थिति में, उनके मंत्रि परिषद् का जो वरिष्ठ सदस्य, जो भी उत्तरदायी हो, जो अपनी पार्टी के लोगों को नियंत्रित कर सके, उसको यह करना चाहिए । जो भिन्न-भिन्न दल हैं, उनके जो नेता हैं, उनको भी अपने दल के लोगों को संगठित रूप से नियंत्रित करना चाहिए । मान्यवर, जो उधर के पक्ष में लोग आये हुए हैं, उनमें से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बिलकुल अनियंत्रित हैं ।
(व्यवधान)
मान्यवर, मैं आप से यह चाहूंगा कि बाजपेयी जी जो हैं, बाराबंकी से चुनकर आये हैं, मैं आपके द्वारा उन्हीं से निवेदन करना चाहूंगा कि सदन के चलने में अगर वह सहयोग कर सकें तो अच्छा होगा ।
(व्यवधान)
श्री श्याम लाल बाजपेयी––
बाजपेयी जी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं ।
(व्यवधान)
श्री मुख्तार अनीस––
अब मान्यवर, हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लीजिए।
(व्यवधान)
श्री श्याम लाल बाजपेयी––
मान्यवर. आप इनको बैठाल दें ।
(व्यवधान)
*श्री मुख्तार अनीस––
मान्यवर, हम लोगों की ओर से कई बार निवेदन किया जा चुका है कि हम लोग चाहते हैं कि इस सदन की कार्यवाही गरिमापूर्वक चले। हम लोग विरोधी पक्ष के लोग हैं और आपकी शरण में हैं। मान्यवर, बहुत से लोग नये भी इस सदन में आये हुए हैं, वे अपने क्षेत्रों की समस्यायें उठाना चाहते हैं। मान्यवर, जो विरोधी पक्ष होता है वह अपने क्षेत्र की समस्याओं को उठाता है और शासक दल के लोग उसका समर्थन करते हैं । लेकिन मान्यवर, शासक पक्ष के कुछ माननीय सदस्य ऐसे हैं जो कि सदन की कार्यवाही में व्यवधान पैदा करते हैं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री कौन हैं, आज तक हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है । वह किसी सवाल पर भी खड़े नहीं होते हैं । मान्यवर, सदस्य बाराबंकी के बारे में मैं क्या कहूं ?
(व्यवधान)
कृष्ण चन्द्र जी ने "गदहे की आत्म कथा" लिखा है ।
(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष---

अब कृपया कार्यवाही चलने दें ।

(व्यवधान)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो यह आरोप लगाया है, यह एक जिले के ऊपर आरोप लगाया है । मैं इनके जिले के बारे में कहने के लिये तैयार हूं, यह सुनने के लिए तैयार हो जायं ।

राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति व जन जाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में संकल्प

श्री राम स्वरूप वर्मा---

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

यह सदन सरकार से अनुरोध करता है कि राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सुरक्षित स्थानों को भरने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार केवल अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी ही कर सके, ऐसा प्रबन्ध हर स्तर पर सरकार अविलम्ब करे ।

मान्यवर, इस प्रस्ताव को लाने की मंशा यह है कि सरकारी पक्ष भी सच्चाई को समझ ले । अभी तक तो ऐसा था कि विरोधी पक्ष की आवाज नहीं दबाई जाती थी, चलने दी जाती थी, लेकिन मान्यवर, अब विरोधी पक्ष की आवाज को दबाने का प्रकरण चल गया है । इसमें मुझे यह संदेह है कि या तो उन्हें किसी संसदीय परम्परा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि अगर उन्हें संसदीय परम्परा का ज्ञान होता तो वह जानते कि विरोधी पक्ष के सदस्य का क्या महत्व है । यह गैर सरकारी समय का एक विधेयक था जिसको इन्होंने समाप्त कर दिया जिससे 3 घंटे का समय बेकार हो गया । यह समय हमारा है, यह विरोध पक्ष का समय है इसको इनको बेकार करने का अधिकार नहीं है । मैं इनका समय बेकार नहीं करता हूं और न इनको मेरा समय बरबाद करना चाहिये ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

यह अधिकार केवल विरोध पक्ष को मिला है, गलत है मैंने संसदीय किताबें पढ़ी हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य बैठें । मैं निवेदन करूंगा कि एक सदस्य से नहीं प्रत्येक सदस्य से और विशेष रूप से उन सदस्यों से जो इस प्रक्रिया में विशेष भाग लेना चाहते हैं । अगर आप तनिक भी व्यवधान इसमें डालते हैं तो इस सदन का बड़ा कीमती समय नष्ट होता है । कृपया आप अपने विवेक से और मैं यह चाहूंगा कि मुझे किसी बात पर आपसे कुछ कहना न पड़े आप अपने विवेक से सदन को इस तरह से चलायें कि मुझ कभी भी उसमें दखल न देना पड़े । मेरी प्रार्थना है और विशेष कर उन माननीय सदस्यों से जो इसमें भाग लेना चाहते हैं क्योंकि इससे समय नष्ट होता है । कृपया मुझे कुछ न करना पड़े स्वत: आप अपने विवेक से, आदर्श ढंग से, इस सदन को चलायें ।

श्री राम स्वरूप वर्मा---

आपने सही फर्माया और सत्ता पक्ष के लोगों को यह ज्ञान होना चाहिये अगर उनका पक्ष तर्क के बल पर चले, ताकत के बल पर नहीं. . . .

(व्यवधान)

एक सदस्य---

संसदीय परम्पराओं का ज्ञान विरोध पक्ष से सत्ता पक्ष को ज्यादा है हम उनसे अधिक जानकारी रखते हैं ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमावली के नियम 286 (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। मान्यवर, यह नियमावली में स्पष्ट लिखा हुआ है—"किसी सदस्य के भाषण करते समय उसमें अव्यवस्थित बात या शोर या किसी अन्य अव्यवस्थित रीति से बाधा नहीं डालेंगे।" मान्यवर, नियमावली में स्पष्ट व्यवस्था है और इस नियम का यहां उल्लंघन हो रहा है। मान्यवर, यह बात तो ठीक है कि कोई सदस्य बोल रहा है और कोई बीच में टोकना चाहते है तो वह सदस्य खड़ा हो जाता है और बोलने वाला सदस्य बैठ जाता है तो वह अपनी बात कहते हैं और वह सदस्य उत्तर देता है। इस व्यवस्था का उल्लंघन हो रहा है। माननीय श्री वर्मा जी ने एक कमेन्ट किया उसको आप सुन नहीं सकते, इसके बाद जब आपको मौका मिलता आप उनकी आलोचना करते। इस नियमावली का बराबर उल्लंघन हो रहा है। इस नियमावली की रक्षा करना आप का काम है।

श्री अध्यक्ष—

मेरा काम है किन्तु आपका सहयोग मिले तभी इसकी रक्षा हो सकती है और आपसे मेरा मतलब इस सदन के प्रत्येक सदस्य से है।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मैं यही कह रहा था, उधर के सदस्य उत्तेजित हो जाते हैं। वह संख्या के बल पर हैं, उनको तर्क के बल पर रहना चाहिये। संख्या के बल पर यदि तर्क बल नहीं रहेगा तो यह अधिक दिनों तक नहीं रह पायेंगे। मैं उनको सलाह देना चाहता हूं कि संख्या का बल स्थायी नहीं होता है अस्थाई होता है।

एक सदस्य—

आप अरोप लगाते हैं अपनी बात नहीं कहते हैं। अध्यक्ष जी, इस विरोधी पक्ष का नाम आरोधी दल रख दिया जाय।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

मान्यवर, आरोप नहीं है सच्चाई है। सच्ची बात सुनकर यह इतनी जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और सामूहिक रूप से विरोध करना प्रारम्भ कर देते हैं। मान्यवर, आपने इस संबंध में अपनी व्यवस्था भी दे दी। मैं अब अपनी बात इस उम्मीद के साथ शुरू करता हूं कि ये लोग शान्तिपूर्वक बात सुनेंगे और इस पर ध्यानपूर्वक विचार करेंगे। मान्यवर, जो यह संकल्प मैंने दिया। हमारे सामने बहुत से सवाल उपस्थित थे। इसको सभी माननीय सदस्य सुनें चाहे नये हों या पुराने माननीय सदस्य यह कान्स्टीट्यूशन जब हमारा बना और 1950 से लागू हुआ, इसमें एक व्यवस्था की बात है आरक्षण के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सरकारी नौकरियों के लिए सब जगह। लेकिन सरकारी नौकरियों में अब तक का जो अनुभव मेरे सामने है उत्तर प्रदेश से सम्बंधित, क्योंकि मैं उ0 प्र0 के ही एक जिले का निवासी हूं और उ0 प्र0 की ही यह स्थिति है कि अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए जो आरक्षण प्राप्त हुआ था वह कभी भी पूरी तरह लागू नहीं किया गया। मान्यवर, इस संबंध में पहले भी यही होता था कि "नाट अवेलेबुल" कहते थे यानी किसी पद के लिए दरख्वास्तें या अरजियाँ ही नहीं आयीं, इसलिए आरक्षण लागू नहीं किया जा सका है और अब एक नया शब्द निकला है कि "नाट सुइटेबुल"। तो मान्यवर, सवाल है दृष्टिकोण का। पहले कैन्डीडेट ही नहीं मिलते थे और अब जब बहुत मिलने लगे हैं "तो नाट सुइटेबुल" का चस्मा लगा रखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं एक प्रार्थना करूंगा कि धीरज से बात को पहले सुन लें और जो मैं आंकड़े देने जा रहा हूं, जो मुझे प्राप्त हुये हैं। लगभग 7–8 लाख लोग सरकारी नौकरियों में हैं, जिनमें गजटेड भी शामिल हैं, इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों का हिस्सा क्या रहा, इसके बारे में एक सर्वे हुआ। यह सर्वे सन् 1958 में और 1969 में हुये। जिनकी जानकारी इन आँकड़ों द्वारा हो जायेगी। उत्तर प्रदेश की सिविल लिस्ट के हिसाब से जिसमें एम0 एल0 ए0 और एम0 एल0सी0 तथा गजटेड भी शामिल हैं। इस तरह जातियों के हिसाब से भी मेरे पास आँकड़े मौजूद हैं, जिसके द्वारा यह साफ हो जायेगा कि किस वर्ग को कितनी तरक्की मिली—

ब्राह्मण	1958 में	3150 थे और 1969 में	3483 हो गये
क्षत्रिय	1958 में	800 थे और 1969 में	914 हो गये
वैश्य	1958 में	1683 थे और 1969 में	1971 हो गये
कायस्थ	1958 में	2165 थे और 1969 में	2410 हो गये
खत्री	1958 में	1100 थे और 1969 में	1093 हो गये
जाट	1958 में	300 थे और 1969 में	364 हो गये
पिछड़ी जाति	1958 में	213 थे और 1969 में	296 हो गये
अनु0 जन0 (जो बाहर से आये थे)	1958 में	232 थे और 1969 में	367 हो गये
शरणार्थी	1958 में	101 थे और 1969 में	123 हो गये
सिक्ख	1958 में	110 थे और 1969 में	134 हो गये
मुसलमान	1958 में	792 थे और 1969 में	747 हो गये
ईसाई	1958 में	214 थे और 1969 में	156 हो गये

(व्यवधान) 1958 में

श्री काशीनाथ मिश्र—

मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, जरा आप बैठें।

श्री राम स्वरूप वर्मा—

ये सारे आँकड़े सिविल लिस्ट से तैयार किये गये हैं। और भी आँकड़े देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में 20 मार्च, 1979 को जो उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया है उसमें अनुसूचित जाति और जनजाति का कितना आरक्षण पुलिस में था, उस सेवा में कितने प्रतिशत स्थान भरे गये, मौजूद है। 20 मार्च, 1979 की सूचना थी, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुलिस वालों पें बड़े अत्याचार हो रहे है हरिजनों पर। दिल्ली तक उसकी गूंज हुई। राज्य सभा और लोक सभा में गूंज हुई क्योंकि इनके पुलिस कर्मचारी ही नहीं हैं। कोटा बढ़ाया गया लेकिन उसका पूरा होना नामुमकिन हो गया है। कान्स्टेबिल पूरे उत्तर प्रदेश में 79192 थे। 12925 अनुसूचित जाति के और 379 जनजाति के थे। आरक्षित कोटा इनका 30 सैकड़ा और 2 सैकड़ा क्रमशः 32 सैकड़ा है। लेकिन यह संख्या कुल 16.68 है। सब-इन्सपेक्टर कुल 7023 थे जिसमें 666 अनुसूचित और 15 जनजाति के थे। आरक्षण कोटा 25 और 2 सैकड़ा था। आरक्षण कोटे में केवल 9.68 सैकड़ा भर्ती हो पायी। माननीय अध्यक्ष जी, इन्सपेक्टर कुल 941 थे, जिसमें 95 अनुसूचित जाति और 5 जनजाति के थे। आरक्षण कोटा था 25+2-27 प्रतिशत और हो पाया 10.62 प्रतिशत।

श्री काशीनाथ मिश्र—

ये जातियों के बारे में.....

श्री राम स्वरूप वर्मा—

माननीय काशीनाथ जी जरा अवलोकन कर लें। आप लोग तो हरिजनों के भक्त कहे जाते हैं और आँकड़े भी नहीं देने दे रहे हैं। गजटेड आफिसर थे कुल 589। इनका आरक्षण था 18 और 2 सैकड़ा लेकिन कुल थे 46 अनुसूचित जाति के और 1 जनजाति का। यानी आरक्षण का 7.97 सैकड़ा।

इसलिए मान्यवर, जरूरत है पुलिस में आरक्षण पूरा होने की क्योंकि इसमें आये दिन अत्याचार होते हैं। ये कह सकते है कि प्रतिनिधित्व होने से क्या होगा और अगर ये हो जायेंगे तो क्या अत्याचार नहीं हो सकते हैं। अत्याचार हो सकते हैं लेकिन अगर नौकरियों में ये लोग पहुंच जायेंगे तो समाज के लिए प्रतिष्ठा की चीज होगी और वह अपने को उठा हुआ समझेंगे। इस वजह से मान्यवर, परेशान हैं कि जब इतना बड़ा कोटा पुलिस में हरिजनों का था उस कोटे का तिहाई और आधे से ज्यादा कैसे पूरा नहीं हुआ यह 30 साल तक क्या करते रहे ?

अब मान्यवर, हमारे पास एक चिट्ठी आई है अध्यक्ष, अनुसूचित जाति, राज्य कर्मचारी परिषद, उत्तर प्रदेश की। उनकी चिट्ठी में लिखा हुआ है, उतना अंश पढ़े देता हूं—"इसी संदर्भ में सूचनार्थ निवेदन है कि 1977 जनवरी से मार्च 1980 तक 375 सवर्ण (उच्च जाति के) अध्यापकों को अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतनमान 450–950 में प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नत किया गया, किन्तु अनुसूचित जाति के एक भी अध्यापक को उक्त राजपत्रित वेतन-मान में पदोन्नत नहीं किया गया जबकि शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश की रिपोर्ट के अनुसार अधीनस्थ शिक्षा सेवा राजपत्रित वेतन-मान में अनुसूचित जाति का कोटा अभी केवल 2.4 प्रतिशत (लगभग ढाई प्रतिशत) मात्र पूरा हो पाया है।"

मान्यवर, अभी भी यह स्थिति है। चुनाव के समय तो यह वादा करते हैं, कहते हैं हम अपने आदमी हैं। एक छोटी सी कहानी बता दूं बात साफ हो जायेगी। एक गाँव में गन्ने की छोल हो रही थी। जब नास्ते का वक्त आया तो एक औरत जो नास्ता ले कर जा रही थी उससे दूसरी औरत ने कहा कि मेरा भी लड़का गया है उसके लिए भी नास्ता लेती जाओ। उसने कहा कि आपके लड़के को तो हम पहचानते नहीं नास्ता कैसे देंगे ? वह बोली कि जो सबसे अच्छा लड़का हो वही हमारा है। औरत नास्ता लेकर गयी अपने लड़के को खिलाया। उसका नास्ता देने के लिए सबसे सुन्दर लड़के को ढूंढ़ने लगी लेकिन उसे कोई लड़का सुन्दर लगा ही नहीं। उसे सबसे सुन्दर अपना ही लड़का लगा और उसी को उसने उसका भी नास्ता दे दिया। जब लड़का घर आया तो उसने माँ से पूछा कि नास्ता क्यों नहीं भेजा ? औरत ने कहा—पड़ोसिन से भेजा तो था। लड़के ने कहा–हमें तो मिला नहीं। औरत पड़ोसिन के पास गयी। उसने कहा, तुमने तो कहा था कि सबसे अच्छा लड़का मेरा है। मुझे अपना लड़का ही सबसे अच्छा लगा और उसी को मैंने दे दिया। तो मान्यवर, उसे यह भी नहीं ज्ञान रहा कि जब यह हमारा लड़का है तो उस औरत का कैसे हो सकता है। सबको अपना लड़का खूबसूरत लगता है। यही हालत इनकी है। हरिजनों का दावा करते हैं। जब चुनाव होगा तब आरक्षण की बात करते हैं, कोटें की बात करते हैं उसके बाद पूरा नहीं करते। कहेंगे कि काबिल नहीं है शुटेबुल नहीं हैं। इनकी संख्या बढ़ती जाती है। राजपत्रित अधिकारियों में अगर आप देखें सवर्ण के लोग 84.7 सैकड़ा थे 1958 में मौजूदा 84.88 सैकड़ा हो गये। बढ़ गये 1979 में। पिछड़ी जातियों का हरिजनों का जो कोटा है वह भरतें नहीं और यह बढ़ते चले जा रहे हैं घटते ही नहीं। तो आखिर इस देश में क्या होने जा रहा है ? क्या इस देश में ऐसी संस्कृति लाना चाहते हैं जिससे 90 प्रतिशत लोगों को अलग कर दिया जाय। यदि इस प्रकार की

संस्कृति लाना चाहते हैं तो असम्भव है कि उनको अपना स्थान मिले। और अगर अधिक न मिले तो कम से कम उनको उनका ड्यू शेयर तो मिल जाय। अब मैं एक उदाहरण देकर सदन को समझाना चाहता हूं कि किस लिए यह बात मेरे दिमाग में आयी। मान्यवर, वर्ष 1972 में आप भी यहाँ पर मौजूद थे। उस समय लोक सेवा आयोग ने इन्जीनियरिंग की एक सम्मिलित परीक्षा ली और उसमें 23 जगह अनुसूचित जाति के इंजीनियरों के रिक्त स्थान थे। उस परीक्षा में 30 अभ्यर्थी अनुसूचित जाति के सम्मिलित हुए जिनमें से 7 प्रथम श्रेणी के अभ्यर्थी भी थे परन्तु केवल एक अनुसूचित जाति का अभ्यर्थी लिया गया शेष सभी ऊंची जाति के लोग ले लिए गये। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह हमारे संविधान की लगातार उपेक्षा नहीं हो रही है। तो यह जानते हुए भी कि बुढ़िया का दूसरा लड़का है, उसने अपने ही लड़के को खूबसूरत माना और उसी को नाश्ता दे दिया। तो जिसको ये लोग चाहते हैं, उसको चुन लेते हैं और दूसरों को नहीं। ऐसी स्थिति में, मैंने जितनी बातें रखी हैं, वे पर्याप्त हैं। अनुसूचित और जन जाति के लोग अनादृत और दारिद्रत दोनों हैं। समाज जो आपने बनाया है उसे चातुर्थ वर्ण रखा है। ऋग वेद में कहते हैं कि :

"ब्राह्मनों मुखमासीद् बाहू राजन्यः कृतः
अरु तदस्य वै वैश्यः पदभ्याम् शूद्रोदजायत्।

ऋग वेद के शतपथ ब्राह्मण से उस ब्राह्म के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जाँघ से वैश्य और पैर से शूद्र उपत्न हुए हैं। तो यह व्यवस्था इस देश में चल रही है। मगर यहाँ पर शपथ खाते हुए बहुत से सदस्य कहते हैं कि हम डाक्टर अम्बेदकर द्वारा रचित संविधान की रक्षा करेंगे, अपने कर्त्तव्यों का निष्ठा से पालन करेंगे लेकिन मन से, जो विधान चल रहा है, उसमें किसी प्रकार की समता लाने देना चाहते हैं। आये दिन बलात्कार की घटनायें सुनने को मिलती हैं। तो काम तो सारे विपरीत करेंगे लेकिन कहेंगे कि हम तो हरिजनों के बड़े हमदर्द हैं। इस वक्त मुझे अकबर इलाहाबादी का एक शेर याद आ गया। वह इस प्रकार से है :

"कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ,
रंज लीडर को तो है मगर आराम के साथ।"

आपने सारे पदों पर अधिकार जमा लिया है लेकिन आपका दर्द है हरिजनों के साथ जिनकी कोई भर्ती होती भी नही है। मैं आप को याद दिलाना चाहता हूं कि जिस समय हमारे पिछड़ी जातियों के लोग चेतेंगे तो आपका रहना मुश्किल हो जायेगा। इसलिए, मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे इन सारी दलीलों पर सोच विचार करें और इस बात की ताईद करें कि इन जातियों के लोगों का साक्षात्कार हो चपरासी से लेकर ऊंचे पदों के लिए। श्रीमन्, सन् 1957 की बात है जब उस समय माननीय हुकुम सिंह जी राजस्व मत्री थे तो मैंने सवाल किया कि क्या राजस्व विभाग में चपरासियों के लिये अनुसूचित जातियों और जनजातियों से दरखास्तें नहीं आयीं? उन्होंने कहा कि आयीं थीं। तो मैंने कहा कि आयी थीं तो किसी को क्यों नहीं लिया गया? उन्होंने कहा कि उनमें काबिलियत नहीं पायी गयी। मैंने कहा कि कौन सी काबिलियत की बात होगी—सिवाय इसके कि आफिसर्स देखते हैं कि कौन उनके हाथ से पानी पिये। लेकिन उन्होंने कहा कि काबिलियत नहीं पायी गयी। तो इनका चश्मा खराब है, इनका चश्मा रंगीन है। उसमें इनको अछूत ही दिखाई पड़ता है। कमी समझते ही नहीं। एक तरफ मनु को मानने वाले हैं और दूसरी तरफ वर्तमान संविधान की कस्म खाते हैं। तो हम चाहते हैं कि यह माननीय सदन इस पर विचार करे। अनुसूचित जाति के लोगों की भर्ती चाहे कहीं हो, वे ही लोग उनका साक्षात्कार करें, जो इन्हीं जातियों के हों। ऐसा करेंगे तभी

[श्री राम स्वरूप वर्मा]

ठीक रहेगा । अगर यह सोचें कि हम अपने जरिये भर्ती करेंगे, तो 30 साल की स्थिति देख लें। आप उसको पूरा नहीं कर पाये। तो आप पर यकीन कौन कर पायेगा ?

अब यह सवाल आता है कि ये काबिल नहीं हैं। मैं कहता हूं कि कौन काबिल है ? सारे शासकों और प्रशासकों में इन्हीं का आंकड़ा है। अंग्रेज गये तो गरीबी रेखा से नीचे 2 करोड़ थे और अब 42 करोड़ हो गये। 70 सैकड़ा गरीबी से नीचे जा रहे हैं। जिस मुल्क में गरीबी की तादाद इतनी तेजी से बढ़ती हो, तो आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि शासन ने बढ़िया काम किया, काबिलियत से किया, परेशानी दूर हो गयी, यह कैसे माना जा सकता है ? जब निरंतर गरीबी की तादाद बढ़ रही हो तो हम कैसे इसको मानेंगे ?

तो, चाहे इधर के बैठने वाले हों, चाहे उधर के बैठने वाले हों, इस मानवीय समस्याओं पर बड़े मनोयोग से विचार करें और समता की भावना है तो जरूर विचार करेंगे। तो इस दृष्टि से विचार करें ताकि इस प्रस्ताव के पास करने का जो सवाल है, उसको यह आदरणीय सदन समझ सके। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री दयाल कृष्ण ---

मैं दो बातों के बारे में आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि एक तरफ यह तो असंवैधानिक तो है ही, दूसरी तरफ यह बहुत ही अव्यावहारिक भी है और खतरनाक भी है..... क्योंकि अगर आपके प्रस्ताव के कुछ अंश भी मान लिये जायं तो आज जो देश में जिस प्रकार की भावना का बढ़ावा देखा जा रहा है, उसका क्या होगा ? देश के अन्दर और जाति के लोग कहेंगे कि जब उनका चुनाव हो, तो उन्हीं के आदमी बिठाये जायेंगे तो जो देश की अखंडता है, अक्षुण्णता है, उसका खंडन कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि जहाँ तक जनजाति के लोगों का सवाल है, यह जरूर है कि हमारा पक्ष इस बात के लिये चिन्तित है कि इन जातियों के लोगों को निश्चित स्थान दिये जायें और इस दिशा में हर सम्भव प्रयत्न किये जा रहे हैं और मौलिक अधिकार भी उनको दिये गये हैं। तो मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि उनका चयन उन्हीं के जाति के लोग ही कर पायेंगे. और लोगों पर विश्वास नहीं है, इस प्रकार की प्रथा को मान लें और स्वीकार कर लें तो बहुत ही खतरनाक प्रथा होगी। तो देश की अखंडता और एकता को बनाये रखने के लिये माननीय सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस कर लें।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अध्यक्ष महोदय, माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने यह प्रस्ताव रखा है, एक दूसरे प्रस्ताव के लिये वह अनुज्ञा माँग रहे थे उस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि प्रस्ताव पर बोलते हुये जो संस्कृत का श्लोक आपने बीच में पढ़ा है उन सारी चीजों पर गौर करें तो ऐसा लगता है कि श्री वर्मा जी के दिमाग में स्वतः विरोधाभास है। एक तरफ तो आप संविधान विरोधी साहित्य न छापने की बात करते हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं कि फिर यह श्लोक कैसे उठ सकता है। वह इस श्लोक को पढ़ने से वंचित रह जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, वर्मा जी के साथ मैंने काम किया है। उनके दिमाग में न मालूम किन परिस्थितियों में इस तरह का भ्रम हो रहा है। उन्होंने अर्जक संघ कायम किया और यह 6 वर्ष के लिये डिबार किये गये। हाई कोर्ट से 2,-2 बार इस जातीय विद्वेष फैलाने के लिये कौन-कौन से उनको कष्ट झेलने पड़े,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह उनकी बात है। लेकिन मैं निहायत अदब के साथ आपके माध्यम से यह प्रार्थना करूंगा कि जातीय विद्वेष को भड़काने की वह बात न करें।

आज हमारी नेता श्रीमती इंदिरा गाँधी, हमारी सरकार, सारे कांग्रेस पार्टी के लोग इस देश में वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिये कटिबद्ध हैं। श्रीमन्, राम स्वरूप वर्मा जी ने वर्ण व्यवस्था के संबंध में कहा, माननीय वर्मा जी अगर यह सुनना चाहें तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं वर्ण व्यवस्था की आज भी वकालत करना चाहता हूं, उनका भाषण सुनने के बाद। क्योंकि उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर कुठाराघात करते हुये कहा कि यहाँ से क्षत्रिय, यहाँ से ब्राह्मण, यहाँ से शूद्रों की उत्पत्ति हुयी है। वर्मा जी को मालूम होना चाहिये कि जब हमारा मुल्क गुलाम हुआ तब जाकर एक जाति में और दूसरी जाति में विद्वेष फैला। वर्ण की व्यवस्था डिवीजम आफ लेबर थी। पहले विवाह में जाति का प्रतिबन्ध नहीं था। ब्राह्मण सब वर्णों में शादी कर सकते थे। क्षत्रिय तीन वर्णों में शादी कर सकते थे। अगर जाति विद्वेष होता तो तो ऐसी व्यवस्था क्यों होती? श्रीमन् देखें, शादी समारोह में जो हमारी संस्कृति है, आज भी ब्राह्मण को पूजने के बाद हरिजन और बढ़ई की पूजा होती है। यह व्यवस्था पहले से हैं। फिर आप जाति विद्वेष की बात क्यों कहना चाहते हैं?

हमारी संस्कृति विद्वेष के विपरीत रही है। रामस्वरूप वर्मा जी अर्जक संघ बना कर इस तरह की अनुज्ञा जो माँग रहे हैं मैं उनका मतलब नहीं जानता लेकिन वह कहना चाहते हैं कि रामायण न छपनी चाहिये। जिस रामायण में ब्राह्मण और गऊ की प्रशंसा है वह संविधान के विपरीत है इसलिये रामायण छापना बंद, गीता छापना बंद करो, भारतीय संस्कृति के जितने हमारे ग्रंथ हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, उनका छापना बंद कर दीजिये। क्या इनको छापना बंद कराकर भारतवर्ष को आप जीवित रख सकते हैं? यह राष्ट्र विरोधी कार्य है। भारत की संस्कृति अगर कहीं जिन्दा है, भारत की आत्मा अगर कहीं जिन्दा है, भारतवर्ष की राष्ट्रीयता अगर कहीं जिन्दा है, तो अपनी पुरानी संस्कृति के बीच में जिन्दा है। आप उस प्राचीन संस्कृति पर कुठाराघात करना चाहते हैं।

आप इस तरह के प्रस्ताव के जरिये कहते हैं कि संविधान विरोधी साहित्य को प्रतिबन्धित कर दिया जाय और कहते हैं कि हमारी संस्कृति संविधान विरोधी है। आप का कहना है कि जनजातियों का, हरिजनों का अगर साक्षात्कार होना है तो साक्षात्कार करने वाले अफसर जनजाति के हों, हरिजन हों। आपने उदाहरण दिया कि फर्स्ट डिवीजन पास 7 लड़के थे। सात जगहों में एक को लिया गया। आपने क्यों नहीं हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया? जब मैंने अदालत का हवाला दिया तो कहते हैं कि अदालत में क्या होता है? केवल हिन्दुस्तान ही नहीं सारी दुनिया की व्यवस्था इस बात को जानती है कि हिन्दुस्तान की न्याय व्यवस्था एग्जिक्यूटिव से परे है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व है क्योंकि माननीया इंदिरा गाँधी, प्रधान मंत्री को हटा दिया, उनके ओहदे से। उस अदालत के अन्दर उनको विश्वास नहीं है। मेरे यहाँ जब हाई कोर्ट में मामला गया तो हाईकोर्ट ने रोक दिया।

बड़े हरिजन अफसरों की जो बात कही गयी, हमारे यहाँ श्री हरी राम, हरिजन ए0 डी0 एम0 हैं, उसके पास कलेक्टर का चार्ज है। पिछले चार वर्षों से मैं देखता आ रहा हूं। पुराने जनता पार्टी के शासन में हरिजनों की झोपड़ियाँ गिरायी गयीं। श्री हरी राम कुछ नहीं कर पाये। काशीनाथ बराबर उनकी वकालत करते रहे। उनकी हिम्मत हरिजनों की बस्ती में जाने की नहीं पड़ी। मैंने खुद उनसे हरिजनों की मदद करने के लिए कहा। वह इंफिरियारटी काम्प्लैक्स से सफर करते हैं। इसलिय उनकी मदद नहीं कर सकते। हरिजन होकर हरिजनों की मदद करने में घबराते हैं। चार-पाँच दिन की

[श्री काशी नाथ मिश्र]

घटना है। हमारे यहाँ मंसूरपुर गाँव है। वहाँ के बड़े-बड़े ठाकुरों ने हरिजन की झोपड़ी गिरा दी। श्री हरीराम से मैंने कहा कि तुम हरिजन कुर्सी पर बैठने वाले हो, शासन की सारी ताकत तुम्हारे साथ है, इंदिरा गाँधी का कानून तुम्हारे साथ है।

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह का आदेश तुम्हारे साथ है क्योंकि चीफ मिनिस्टर होने के बाद सर्व प्रथम आदेश उन्होंने यह जारी किया कि जो हरिजन बेदखल किये गये हैं उनको कब्जा दिलाया जाय। सारी ताकत रहते हुए तुम हरिजन की झोपड़ी नहीं चढ़वा सकते ? दो सौ आदमियों को लेकर मैं उनके दफ्तर पहुंच गया। तब जाकर पुलिस भेजवा कर उसकी झोपड़ी चढ़वायी। हरिजन हरिजन की मदद करेगा, यह प्रवृत्ति गलत है। हरिजन आई0 ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 अफसर हो जाता है तो वह गरीब हरिजन से अपने को अलग समझता है। वह गरीब हरिजन का निरादर करता है। उसकी अलग जिन्दगी बन जाती है।

मैं पूछना चाहूंगा कि क्या माननीय जगजीवन राम इतने दिनों लगातार चार वर्षों तक जवाहरलाल नेहरू के दाहिने हाथ थे और बराबर केन्द्रीय सरकार में बने रहे, कोई हरिजनों के लिए कानून बनवा सके। जब इंदिरा गाँधी हुकूमत में आयीं तब जाकर कानून बना कि हरिजन जहाँ आबाद है, उस पर उसका मालिकाना हक होगा। केन्द्र में हरिजनों के हित की बात जगजीवन राम जी द्वारा नहीं सवर्णों द्वारा उठायी गयी है। कहाँ तक मैं उनको समझाऊंगा। मैं माननीय रामस्वरूप वर्मा को चुनौती देता हूं केवल अम्बेदकर को छोड़ कर, एक भी हरिजन नेता का नाम बताएं जिसने कभी हरिजन की बात की हो। मैं माननीय अम्बेदकर की सराहना जरूर करता हूं। उन्होंने शोषित समाज पीड़ित वर्ग की आवाज जरूर बुलन्द की। लेकिन उसके बाद हिन्दुस्तान में कोई हरिजन नेता नहीं हुआ। जिसने हरिजनों की आवाज बुलन्द की हो।

पूज्य महात्मा गाँधी हरिजनों की बस्ती में रहते थे। उनके प्रयास से और कांग्रेस के रहते हुए हरिजनों को संरक्षण दिया गया। आज हरिजनों में सबसे नीची जाति के वाल्मीकि जो हमारे मंत्रिमंडल में हैं। हम हरिजनों को बड़े-बड़े ओहदों पर रखते हैं। बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत सारे नियम बना रखे हैं। आप कहते हैं कि हरिजन रह कर हरिजन की भलाई करेगा। क्या जगजीवन राम जी अपने बच्चों की शादी हरिजनों में कर रहे हैं ? मैं हरिजन अफसरों को जानता हूं जो आई0 सी0 एस0, पी0सी0एस0 हैं वह छोटी जाति की अपनी बिरादर में विवाह नहीं करना चाहते हैं और दोगली किस्म के ब्राह्मण ढूढ़ा करते हैं। पंजाब में यह हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे जिले बलिया में 1964 में चतुर्वेदी ब्राह्मण एक सरकारी अधिकारी होते हुये अपनी एम0 ए0 पास लड़की की शादी हरिजन से किया। ऐसा कोई आप उदाहरण देंगे। श्री वर्मा जी और सारे लोग हरिजनों में अपनी लड़कियों की शादी करने के लिये क्यों तैयार नहीं है ? आपने क्या कोई उदाहरण प्रस्तुत किया है। इसलिये मान्यवर, आपके माध्यम से श्री वर्मा जी से निवेदन करूंगा कि इस तरह का प्रस्ताव लाकर जाति विद्वेष को यहाँ न बढ़ावें। हम जाति विद्वेष को समाप्त करना चाहते हैं और वर्ण एवं वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना चाहते हैं। आपका जवाब देने के लिये जो प्राचीन लोग थे और गुलामी में जिनको बदला गया और फिर पुनः गाँधी जी के समय में उनको कैसे सुधारा गया और आगे-आगे हम उनको सुधार कर चले गये हैं इसमें वह धन्यवाद देने के बजाय इस तरह का प्रस्ताव लाकर जाति विद्वेष को फैलाना चाहते हैं। इसलिये इस तरह के प्रस्तावों की हम घोर भर्त्सना करते हैं और निवेदन है कि इसको वह वापस लें क्योंकि यह संविधान के विपरीत है।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो गैर सरकारी प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उसमें निश्चय है कि यहां उत्तेजना आयेगी क्योंकि जहां जिसके स्वार्थों पर आघात होगा तो वह चुप नहीं बैठ सकता है। समाज में पूर्व की स्थिति को बनाये रखना भी कुठाराघात होगा। इसलिये मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि समाज को बराबर दबाये रखने के लिये कोशिश करने वाले लोग अब समझेंगे कि इस देश का जो बहुमत हरिजन का वह अपने हकों की मांग कर रहा है। ऐसा उदाहरण दुनिया में नहीं मिलेगा कि बहुमत की जनसंख्या वाले लोग अपने हकों की मांग अल्पसंख्यक के लोगों से करें, यह केवल हिन्दुस्तान में हो रहा है।

इसलिये मैं मनु जी की उस बात को कहना चाहता हूं और प्रस्ताव में मूल बात यही है कि हरिजनों के कोटे को, अनुसूचित जाति के कोटे को पूरा करने के लिये इन्हीं लोगों में से कमेटी बनायी जाय जो उनके दुख और दर्द को जानते हैं। लेकिन इसमें विषय से बढ़कर कुछ बातें हिन्दू धर्म और पुराण की आती हैं जो इसके पीछे काम करती हैं। मान्यवर, आर्यजाति का भण्डाफोड़ किताब में पढ़ा था, और उसके विषय में वर्मा जी जानकार हैं उसमें लिखा है कि मनु ने कहा कि यदि चमार की औरत की लड़की के साथ जो बलात्कार करेगा तो उसको काशी का पुण्य मिलेगा, धोबी की लड़की के साथ जो व्यभिचार करेगा उसको प्रयाग का पुण्य मिलेगा। तो मैं ऐसा कथा को चुनौती देना चाहता हूं कि यदि ऐसी किताब हिन्दुस्तान में होगी तो समाज के चलते जो नीच वर्ग कहा जाता है, उसके प्रति ऐसी बातें कहकर क्या फिर यह कहना कि धर्मएकता धर्म निरपेक्षता और अखंडता को बनाये रखना देश के लिए जरूरी है। जिन पर आज जिम्मेदारी है उनको संभल कर चलना होगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिन हरिजन महिलाओं, गर्भवती महिलाओं के साथ व्यभिचार की बातें आज बार-बार अखबारों में छपती हैं क्या आप का दिल उनको सुन कर नहीं फटता? हरिजन महिलाएं एवं अन्य महिलायें भी यहाँ पर चुन कर आई हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वे संगठित होकर के इस दिशा में प्रयास करें।

एक सदस्य--

माननीय अध्यक्ष जी, ये सब बातें झूठी हैं.....

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद--

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो इस गैर सरकारी विधेयक की मन्शा है जब तक इस वर्ग के लिए नहीं होगी, उनका कोटा पूरा नहीं होगा, तब तक इस दिशा में कुछ नहीं हो सकता, आज इसी तरह से तैंतीस वर्ष व्यतीत हो रहे हैं। मान्यवर, एक बात मैं और कह देना चाहता हूं। अभी इसी संविधान के माध्यम से एक सर्वेक्षण हुआ है और एक नई जाति को अनुसूचित जाति में जोड़ दिया गया है, वह गौड़ जाति के लोग हैं। अछूत उनको कहते हैं जिनसे समाज छुआछत का भेदभाव करता है। मेरे जिले के मुंडेराबाजार में गौड जो कहार जाति के होते हैं उनको इस में मिलाया गया है, नये लोग भी जोड़े जायं और कोटा भी पूरा न हो, और हरिजनों का कोटा भी न बढ़ाये जाये, इससे हरिजनों की रक्षा नहीं की जा सकती है। मैं इस विषय में चाहूंगा कि वहीं जातियां जोड़ी जायं हकूकों की जो अब तक हरिजन, अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आती हैं, उनका कोटा पूरा किया जाय तभी नई जातियों को अनुसूची में जोड़ा जाय अन्यथा मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय में काम करे। मैं अधिक न कह करके एक बात और कहना चाहता हूं कि इस देश में जब तक कोटा पूरा नहीं

[श्री फिरंगी प्रसाद विशारद]

होगा तो हरिजन, अनुसचित जाति के लोग क्या कर रहे हैं। इस देश के अन्दर चमार, धोबी, पासी आदि जाति के लोग काफी मात्रा में साई हुए जा रहे हैं। दिल्ली की लोक सभा में एक प्रश्न उठा था हिन्दू धर्म पर जिसमें कहा गया था कि काफी मात्रा में हरिजन इसाई होते जा रहे हैं। उस समय मैंने कहा था कि हिन्दू धर्म उनके हितों की रक्षा, उनकी शिक्षा दवा दारु का प्रबन्ध नहीं कर पायेगा, शासन नहीं कर पायेगा, तो इससे अच्छा तो आदमी उस वातावरण में जाना चाहेगा जहाँ उस की प्रगति हो सके, शाँति और आराम मिल सके। मैं नहीं कहता कि इसाई मिशनरी का प्रचार प्रसार न हो लेकिन इस देश के हर नागरिक को चाहे वह कोई भी हो, अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। संविधान के आधार पर निश्चित रूप से जो आरक्षण नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के लिये हैं उसे दिलाने के लिए एक कमेटी बनाई जाय जो उन्हीं में से हो उनके दुख दर्द को जानने वाले लोग हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री धर्म सिंह—

मान्यवर, वर्मा जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है मैं उसका विरोध करता हूं। विरोध करने के कारणों को मैं सदन के सम्मुख बतलाऊंगा। ये जो शब्द हैं 'साक्षात्कार के लिये रिजर्वेशन को पूरा करने के लिये वहीं अधिकारी रखे जायं जो उसी जाति के हों' इनको अगर वर्मा जी न रखते तो ठीक रहता। जहाँ तक सिद्धान्त का सम्बन्ध है मैं उससे सहमत हूं। जब संविधान बना तो उसमें साफ-साफ लिखा था कि रिजर्वेशन होगा और उसका पालन होगा। राम स्वरूप वर्मा ने जो आँकड़े पेश किये उनसे यह बात सही मालूम होती है कि सर्विसेज में रिजर्वेशन का पालन नहीं हो पाया। उसके पीछे निहित स्वार्थ की भावना काम करती रही है।

पिछली सरकारों में लोक दल की सरकार में भी थी जिसने सामान्यत: रिजर्वेशन को खत्म करने की कोशिश की (व्यवधान) जहाँ तक मेरी जानकारी है कुछ ऐसी बातें उस समय पैदा की गयीं जिससे इस प्रदेश के हरिजनों के अधिकारों पर कुठाराघात हुआ, उनकी सर्विसेज के मामले में कुठाराघात हुआ और जब कांग्रेस रिजीम आई तो उसने इस बात को महसूस किया। अगर मेरी यह बात गलत है तो कोई उसे सिद्ध करके दिखाये (व्यवधान) मैं इस सम्बन्ध में कुछ अपने सुझाव रखना चाहता हूं (व्यवधान)। राम स्वरुप वर्मा जी ने अगर कुछ सुझाव भी दिये होते तो अच्छा होता। रिजर्वेशन का पालन नहीं होता यह मैं भी मानता हू। लेकिन उसके लिये हम इस तरह का वातावरण पैदा करें इधर से और उधर से भाषण देकर कि वह विषाक्त हो जाय। यह सही है कि किसी भी श्रेणी की सर्विसेज में अभी तक रिजर्वेशन पूरा नहीं हुआ।

मेरा इसके लिये सुझाव है कि इधर तथा उधर के सदस्यों को लेकर सदन की एक कमेटी बनाई जाय और वह यह देखे क्या कारण है जिससे रिजर्वेशन का पालन नहीं होता और तीन महीने के अन्दर वह कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दें। अगर इस तरह का सुझाव उधर से भी आता तो कुछ काम बनता। बहुत से कानून बनाये गये, नियम बनाये गये, जी० ओ निकाले गये, उनमें संशोधन सरकार ने किये और तरह-तरह की तरकीबें निकाली गयीं लेकिन फिर भी उनका पालन नहीं होता। यह भी सरकार के विचार करने की बात है कि जो सरकारी अधिकारी सिलेक्शन करता है अगर वह नियमों का पालन नहीं करता है, कुछ गड़बड़ी करता है तो उसके करेक्टर रोल में एंट्री क्यों न की जाय, इस तरह का नियम क्यों न बना दिया जाय? कैरेक्टर रोल की इन्ट्री का भी नियमों में प्राविधान है। मान्यवर, यह बात सही है कि जो नियम है कि इतने प्रतिशत उनका कोटा रिजर्व होना चाहिए उसको पूरा होना चाहिए। यदि 10 वैकेन्सीज निकली है तो उसमें स दस के दस तो अनुसचित जाति के लोग नहीं लिये जा सकते लेकिन

यदि इससे कम की वैकेन्सीज निकली हैं तो कैरेक्टर रोल की एन्ट्री के हिसाब से उस सरकारी आदमी को जो इन्टरव्यू लेता है नियमों का पालन करते हुये उनको लिया जाना चाहिए। श्रीमन्, इसके साथ ही साथ मैं सरकार को कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। यह देखने की बात है। प्रत्येक 3 माह के बाद विभाग का मंत्री या सचिव अपने-अपने विभागों की इस तरह की रिपोर्ट माँगे कि किस मंत्री के यहाँ या किस सचिव के यहाँ इन्टरव्यू हुआ है और उसमें यदि किसी अनुसचित जाति के अभ्यर्थी को नहीं लिया गया है तो जो नियम हैं उसका क्यों पालन नहीं हुआ है ?

इस तरह से विभागाध्यक्ष, मंत्री, अथवा सचिव इन सारी बातों को अपने विभाग के अन्दर छानबीन करे और देखे। यह विभागों के सचिवों और मंत्रियों की जिम्मेदारी होनी चाहिये कि वह देखें कि उनके विभाग के अन्दर कायदे कानूनों का पालन होता या नहीं होता है और रिजर्वेशन के आधार पर जो नियम है, कानून है, जी0ओ0 हैं उनका पालन होता है या नहीं होता है। जो लोग उसका पालन नहीं करते हैं उनको उचित दन्ड दिया जाय, उनके जवाब तलब हों। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। यदि मंत्रीगण अपने लेविल पर इन चीजों को देखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो जी0ओ0 आदि सरकार द्वारा बनाये गये हैं, उनका पालन क्यों नहीं हो रहा इस सम्बन्ध में 3 महीन के अन्दर रिपोर्ट प्रस्तुत होनी चाहिए कि क्यों उसका पालन नहीं हो रहा है।

आज मुझ जैसा व्यक्ति ऐसा महसूस करता है कि उन जी0ओ0 और नियमों का पालन क्यों नहीं हो रहा है। देखा गया है कि सूटेबुल होते हुये भी वे लोग नहीं लिये जाते हैं और कहा जाता है कि अनसूटेबुल हैं। इसलिये मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह इन सब चीजों को देखे। इसलिये माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें अगर वे ऐसा सुझाव देते कि किस तरह से उन नियमों का पालन किया जायेगा तो उससे फायदा होता। इस तरह से कोई लाभ नहीं होगा। सरकार को तो यह विचार करना चाहिए कि किन कारणों से उन जी0 ओ0 का पालन नहीं हो रहा है। अनसूटेबिलिटी के नाम पर उन लोगों को अयोग्य कहा जाता है। मैं आँकड़े प्रस्तुत कर सकता हूं। अगर 10 जगहें हैं तो 20–20 और 30–30 हरिजन बच्चे आ जाते हैं। मैं जानता हूं कि सन् 74 में यहाँ पर एक सरकार आयी थी और काँग्रेस के शासन में भी हरिजन का कोटा पूरा नहीं हुआ। बहुत से ऐसे विभाग हैं जैसे पंचायती राज है, पुलिस है, कोटा पूरा नहीं होता।

इसलिये सरकार विचार करे कि कोटा क्यों नहीं पूरा होता। एक दो वैकेन्सी के नाम पर जो अधिकारी लोग होते हैं वे ही उसे पूरा कर लेते हैं। और जब यह होता है कि इसमें 18 प्रतिशत वैकेन्सी नहीं है और एक-एक और दो-दो करके भरते चले जाते हैं। नतीजा यह होता है कि जो कोटा होता है उसका पालन नहीं होता है। सरकार इस पर पूरी तरह से आशा है कि विचार करेगी। जैसा कि सरकार के कई विभागों ने किया है कि जब तक कोटा पूरा नहीं होता 45 प्रतिशत तक हरिजनों के नाम से वैकेन्सीज अलग कर दो। मान्यवर, इसी सरकार ने यह किया है। इस तरह का जो संकल्प वर्मा जी ने पेश किया है उसका विरोध करते हुए सरकार को मैंने जो सुझाव दिये है उनका पालन करेगी।

(12 बजकर 40 मिनट पर)

श्री प्रियदर्शी जैतली—

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बुजुर्ग सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने जो यहाँ पर संकल्प रखा है मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज एक प्रश्न जो इस देश और समाज के सामने फैला है वह मुख्य प्रश्न है क्या, उसकी आधारशिला है क्या,

[श्री प्रियदर्शी जेतली]

इन सब बातों को देखना होगा। आज इस समाज में अगला, पिछला, छोटा और बड़ा की एक बड़ी गंभीर समस्या है। मैं या कोई भी आदमी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि इस देश के अन्दर जब तक यह बात खत्म नहीं हो जाती है तब तक यह देश आगे नहीं जा सकता। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि जिस देश के अन्दर एक ऐसी तादाद खड़ी है जिसमें स्वाभिमान न हो वह देश आगे नहीं जा सकता है, वह देश तरक्की नहीं कर सकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता।

लेकिन किसी भी बात को पोलिटिकल बनाकर बलना मैं समझता हूं चाहे हम इधर के हों या उधर के हों उचित नहीं है उसमें चाहे आप हों या दिल्ली में बैठे बड़े नेता हों इस देश और समाज के साथ वह न्याय नहीं करते हैं। सवाल इस बात का है कि हम किस तरीके से उन दलित लोगों का चयन करें, उनको आगे ले जायें जिससे समाज में समानता आ सके इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन अगर हम केवल धर्म के नाम पर टीका टिप्पणी करना चाहते हैं और यह कहते हैं कि रामायण में ऐसा छपा है या यह दोहा लिखा है जिससे इस समाज के एक वर्ग को काफी नीचे गिराया गया है तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि वे लोग जो रामायण की आलोचना करते हैं उन्होंने रामायण को सही नहीं पढ़ा है और सही नहीं समझा है।

श्री मोती लाल देहलवी—

यह विषय के बाहर है।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

मैं उसी पर आ रहा हूं, आप शांति रखें देहलवी जी। आज सवाल इस बात का नहीं है आप अगर रामायण पढ़े हैं और समझते हैं तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं रामायण के अन्दर कहीं भी तुलसी दास जी ने नहीं कहा है (व्यवधान) आप घबरा क्यों रहे हैं मेरी बात शांति से सुनें। यह समाज के अन्दर छोटे और बड़े की समस्या क्यों उठ रही है? इसे राजनीतिक स्तर पर कुछ लोग उभार रहे हैं और देश की दुर्दशा की जा रही है। मैं कहना चाहता हूं कि मैं इससे बिलकुल इत्तफाक करता हूं कि समाज में जब तक समानता नहीं आयेगी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक हम यह बुनियादी बात नहीं समझेंगे देश आगे नहीं जा सकता है, रूढ़िवादी परम्पराओं से छुटकारा नहीं मिल सकता है। मैं जानता हूं कि जो लोग इसे यहां पर लाये हैं वह पोलिटिकली मोटिवेटेड हैं। इस विषय को राजनीतिक मंच पर लाकर राजनीतिक फायदा उठाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कभी भी तुलसीदास जी ने यह बात नहीं कहीं है जो वह समझे हैं। तुलसीदास जी ने जो कहा है वह यह नहीं है ढोल गंवार शूद्र पशुनारी.....बल्कि वह तो एक महाकाव्य है, जो कि बहुत बड़ा विस्तृत नाटक हुआ करता है.....

श्री राम आसरे वर्मा—

यह तो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है कि जो बात उन्होंने कही ही नहीं है, उसी को आधार मानकर जेतली जी बार बार दोहरा रहे हैं।

श्री प्रियदर्शी जेतली—

अभी हमारे सदस्य, सीतापुर बोल रहे थे, जिनका सम्बन्ध अकबरपुर से है, जो कि हमारे पड़ोस का क्षेत्र है। मुख्तार अनीस जी खड़े होकर कह रहे थे। मैं उनसे जानना चाहता हूं कि वह बताएं कि उनके यहाँ मुसलमानों के यहाँ क्या-क्या होता है? वहाँ तो हड्डी-नस्ल तक देखी जाती है। वह इसे अपने दामन में झांककर जरा देखें। शादी-व्यवहार के सम्बन्ध में उनके यहाँ हड्डी तक देखी जाती है। उसको देखकर ही खानदानी रिश्ता बनता है, वरना नहीं बनता है (व्यवधान) अछूतों के यहाँ अब तक शादी व्याह नहीं होता था।

(व्यवधान)

(घोर व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

यह प्रस्ताव पर कहाँ बोल रहे हैं, यह तो मनमानी कह रहे हैं।

श्री गौरी शंकर भैय्या—

(कार्य सूची को हाथ में उठाकर दिखाते हुए) यह इस एजण्डे में कहाँ है, जो यह ऐसी बातें कह रहे हैं? श्रीमन्, इनको आप रोकिये।

(व्यवधान)

श्री प्रियद र्शी जेतली—

जाति वाद के नाम पर आप डिवीजन कराना चा ते हैं। इस तरह से इस जहर को समाज में घोलने की प्रवृत्ति को कभी बरदाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी बातों को बढ़ाने का श्रेय चौधरी साहब को है। उन्होंने जातिवाद के आधार पर इस प्रदेश और देश में अपनी राजनीति चलाई है। इन रामस्वरूप वर्मा ने जाने कौन कौन से आन्दोलन और कार्य क्रम चला कर विभिन्न जातियों में घृणा का जहर घोलने का कार्य किया है..... (व्यवधान) (घोर व्यवधान) (सर्व श्री गौरी शंकर भैय्या, राम आसरे वर्मा तथा मोती लाल देहलवी आदि सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलते रहे।)

श्री प्रियदर्शी जेतली—

उनको उठाने का मौका दें और जो रिजर्वेशन सर्विसेज में दिया गया है, उसको हम सुनिश्चित करने का प्रयास करें। यह चीज तो ठीक है, लेकिन किसी जाति विशेष के लोगों को उसमें भेजने की बात सोचना बिलकुल गलत है और यह किसी की चाल इस तरह से यहाँ चलने वाली नहीं है। इससे देश और समाज का कोई भला होने वाला नहीं है। आपका जो छिपा मकसद है वह इस सदन में पूरा होने वाला नहीं है। आपको विभिन्न जातियों में एकता पैदा करने का प्रयत्न करना चाहिए। उनमें परस्पर भाई चारे की भावना पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे रहते आपकी नीयत और मकसद पूरा होने वाला नहीं। यह चीजें समाज के लिए कतई हितकर नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं।

(श्री श्याम नारा ण तिवारी का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री गौरी शंकर भैय्या—

श्रीमन्, यह ब्राह्मण हैं और यह अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित मसला है, आपने इनको मौका दे दिया है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया ऐसी बात न कहें, जिससे कोई ऐसी भावना पैदा हो। यहाँ पर सभी सदस्य बराबर हैं। इसे आप वापस ही ले लें तो अच्छा हो.....

(व्यवधान)

(श्री श्याम नारायण तिवारी का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

आप जिन माननीय सदस्यों को पहचानते हैं उन्हीं को बोलने के लिये बुलाते हैं, मैंने कल भी निवेदन किया था कि आप कृपया अपने कक्ष में माननीय सदस्यों को बुलाकर उनका परिचय कर लें.....

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठें, परिचय करने की कोशिश आप करें, इस तरह का आप आक्षेप न करें। मैं प्रत्येक माननीय सदस्य से परिचय करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप अपने ऊपर भी कुछ रोक रखें, ऐसा आक्षेप न करें। ऐसी बात नहीं है कि मैं जिनको जानता हूं उन्हीं को बुलाता हूं।

श्री श्याम नारायन तिवारी–

श्रीमन्, माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, यह बड़ा ही व्यावहारिक है और इसकी व्यावहारिकता के औचित्य के संबंध में मैं दो तथ्य आपके समक्ष रखता हूं। आज सुबह एक महोदय मेरे पास आये, उन्होंने बताया कि एक विज्ञापन राज्य विद्युत परिषद् द्वारा 7 ला आफिसर्स के चयन के बारे में निकाला गया फरवरी, 80 में। 8 लोगों का चयन किया गया। उसमें दो स्थान आरक्षित हैं। आरक्षित स्थान के लिये एक ही अभ्यर्थी ने एप्लायी किया और जब वह इन्टरव्यू के लिये गया तो नहीं लिया गया, जो 8 व्यक्ति लिये गये उनमें एक भी इस जाति का नहीं लिया गया।

दूसरा तथ्य यह है कि श्रीमती इन्दिरा गाँधी का जो 20-सूत्री कार्यक्रम है इसमें एक सूत्र भूमि के आवंटन का भी है जिसमें यह है कि 75 प्रतिशत भूमि अनुसूचित जातियों के लिये सुरक्षित रहेगी। उनके नाम से भूमि का आवंटन तो हुआ, मगर भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया। ढाई वर्ष तक पिछली सरकार का शासन रहा उसमें भी उनको कब्जा नहीं मिल पाया। महामहिम राज्यपाल महोदय ने भी इस ओर संकेत किया है, अपने अभिभाषण में।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसके लिये यह संकल्प प्रस्तुत किया गया है। यह संकल्प व्यवहारिक है। इस समय इस पर जाति और वर्ग की चर्चा करना ठीक नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूं पूर्वकाल में वर्गों का उदय समाज के विकास के लिये किया गया था। उनकी भूमिका बड़ी सकारात्मक थी। किन्तु समय के साथ-साथ परिस्थितियाँ बदलती गयीं और बाद में स्वार्थी लोगों ने उसका प्रयोग अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए किया। आज भी वही हो रहा है। मेरा कहना है कि अगर इस संबंध में एक जनतांत्रिक अर्थ तंत्र का निर्माण हो जिसकी कि आज आवश्यकता है तो जो शासक दल वाले इसका विरोध कर रहे हैं उनको उसका विरोध करने का मौका नहीं मिलेगा। तो मान्यवर, जरूरत इस बात की है कि एक ऐसी व्यवस्था हो और एक ऐसी जनतांत्रिक समाजवाद उन्मुख अर्थतंत्र का निर्माण किया जाय जिसमें कि इन जातियों की सार्थकता समाप्त हो जाय और इस तरह की बहस न हो। अभी तो यह बहस होगी क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पर रोज बलात्कार की बातें उठ रही हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें जातियों का सवाल छेड़ देते हैं कि अनुसूचित जाति के लोगों की औरतों के साथ और ऐसी जाति के लोगों की औरतों के साथ बलात्कार हुआ है।

मान्यवर, औरत की जाति में लड़की जब तक है, उसकी शादी नहीं हुई है, तब तक वह अपने पिता पर आश्रित रहती है और शादी के बाद पति पर आश्रित हो जाती है और पुत्र हो जाता है तो पुत्र पर आश्रित हो जाती है। हमारे यहाँ की महिला जब स्वतंत्र हो जायगी, आर्थिक स्वतंत्रता स्थापित होगी, तब एक ऐसी स्थिति पैदा होगी कि शादी में हम पुत्री को किसी के हवाले नहीं कर सकेंगे और मान्यवर, वह अपने पति पर भी आश्रित नहीं रहेगी। मान्यवर, पुत्र पर भी आश्रित नहीं रहेगी। ऐसी स्थिति में जो हमारे समाज में शादी की चर्चा हो रही है और पुराण और स्मृति की बात हो रही है, जो वर्तमान ग्रंथ की बात हो रही है, तब यह विकसित अवस्था में समाप्त हो जायगा और शादियाँ तो ऐसी होंगी जो हर तरह से जो दोनों पक्षों के योग्य हों और दोनों पक्ष सोच समझ कर शादी करें, तब उसमें यह पैदा नहीं होगा कि हम यह प्रश्न उठावें शूद्र की औरत है या ब्राह्मण की औरत है।

जब मान्यवर, आर्थिक स्वतंत्रता कायम हो जायगी तब जातियाँ अपने आप समाप्त हो जायंगी। और यह अनुभव होने लगेगा कि समाज का विकास हो रहा है। ज्यों-ज्यों समाज का विकास होता जायगा, जातियाँ टूटती जायंगी। ज्यों-ज्यों जातियाँ बढ़ती जा रही

हैं, त्यों-त्यों वे समाज में विघटन पैदा करती जा रही हैं। यह प्रथा टूटनी चाहिए। एक बात और है समाजवादी समाज का और पूंजीवादी अर्थ तंत्र का। हमारे क्षेत्र में कुछ क्षेत्र विकसित हैं, कुछ क्षेत्र पिछड़े हुए है। हम माँग करते हैं कि पिछड़े हुए क्षेत्र के विकास के लिए योजना बननी चाहिए। मान्यवर, यहाँ पर तमाम जातियाँ थीं, तमाम वर्ण भी थे। ऐसी स्थिति में यहाँ पर मान्यवर, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, यहाँ पर वे आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़ी जातियाँ हैं। इसके लिए एक नियोजित आरक्षण की जरूरत है और इसके लिए आर्थिक तौर पर आरक्षण की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य संकल्प का ध्यान रखते हुए अपना भाषण दें।

श्री श्याम नरायन तिवारी--

मान्यवर, मैं संकल्प पर ही आ रहा हूं। मान्यवर, जो सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़ी जातियाँ हैं, उन पर तरजीह देना पड़ेगा। मान्यवर, इस तरह के लोग भी आ रहे हैं कि जिनकी भर्ती आरक्षित है, उनको कह दिया जा रहा है कि आप इस योग्य नहीं हैं। यह कह कर उनको उस स्थान पर लिया नहीं जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में मेरा कहना यह है कि हमारे समाज की यह आवश्यकता है, इस बात की जरूरत है कि मान्यवर, हम इस संकल्प के औचित्य को कबूल करें। इसको मानें। मान्यवर, जिससे पिछड़े हुए लोगों को अनुसूचित जाति को, जनजाति के लोगों को जगह मिल सके, उनकी तरक्की हो सके, उनका विकास हो सके। इस बात की सख्त जरूरत है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा। हमारे देश और प्रदेश के पूर्वान्चल में आग जल रही है, विघटनकारी शक्तियाँ सिर उठा रही हैं। उनके जाति विशेष के लोगों की भीड़ लगी हुई है। क्या होने वाला है मान्यवर, देश टूट रहा है, देश टूटने वाला है, इस देश के भक्तों को चाहिये और जरूरत इस बात की है, इस देश के लोग मिलकर ऐसी काली ताकतों को जो हमारे देश में विघटन पैदा करना चाहती है, हमारे देश की एकता को नष्ट करना चाहती हैं, ऐसी देशी और विदेशी ताकतों को खत्म करना चाहिये। जो संकल्प माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने रखा है इस संकल्प को पारित करने के लिये एक मत से मानने के लिये मैं माननीय सदस्यों से, दोनों तरफ के लोगों से आग्रह करता हूं कि इस सदन में इसके औचित्य को समझकर इसको स्वीकार करें।

श्री जैराज गौतम--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय श्री राम स्वरूप वर्मा जी के द्वारा प्रस्तुत संकल्प के विषय पर अपनी तरफ से इस माननीय सदन में कुछ सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह हिन्दुस्तान एक किसानों का देश है। 80 प्रतिशत किसान आज भी गाँवों में बसे हुए हैं और उन किसानों में आज उनके भी नीचे के स्तर की जिन्दगी बिताने वाले, हरिजन के नाम से पुकारे जाते हैं। बदकिस्मती से सर्वहारा हरिजन जिनके सामने शरीर ढकने की समस्यायें, रहने के लिये मकान नहीं है, पेट भरने के लिये भोजन नहीं है। मैं उनके सम्बन्ध में केवल इतना कहना चाहता हूं इसलिये कि मैं शौभाग्य से सुरक्षित क्षेत्र से आता हूं। उनकी समस्याओं को मैं भलीभांति जानता हूं, और सदस्य शायद इतना नहीं जानते होंगे। समाज को देखते हुए मैं कहता हूं कि आर्थिक रूप से और जाति के लोग भी पिछड़े हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यह हरिजन वर्ग सर्वहारा कहा जाने वाला खेतिहर मजदूर आर्थिक रूप से इतना पीछे है कि उसको सुधारने के लिये संविधान में व्यवस्था दी गई हैं कि नौकरियों में इनको आरक्षण दिया जाय और मान्यवर, 33 वर्षों को आजादी के बाद में भी हरिजनों का कोटा पूरा नहीं किया जा सका है। मैं कहना चाहता हूं यह देखा जाय कि किन-किन विभागों में कोटा पूरा नहीं किया और उनके लिए

[श्री जैराज गौतम]

जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता माननीय धर्म सिंह ने सुझाव रखा है इस माननीय सदन के माननीय सदस्यों की एक कमेटी बना दी जाय। और यह देखा जाय कि किन-किन विभागों में कोटा पूरा नहीं है और क्यों नहीं किया गया है। साथ ही साथ.....

श्री अध्यक्ष—

दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति बनी हुई है।

श्री जैराज गौतम—

हमने देखा है कि फोर्थ क्लास इम्प्लाइज के लिये, चपरासियों की भरती जब होती है तो उनको इसलिये यह कह कर नहीं लिया जाता है कि यह हमारे घर के अन्दर चौका बर्तन नहीं कर सकता है। और यह आरक्षण मान्यवर, इसलिए पूरा नहीं हुआ कि आज जो लोग इस बात को उठा रहे हैं वही बराबर इनको काटते रहे हैं। इन्हीं लोगों के कारण बदकिस्मती से आज इनका कोटा पूरा नहीं हो पाया। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि दोनों सदनों की ओर से जो अनुसूचित जाति की कमेटी बनी है, उसके अब तक के आँकड़ों को देख लें कि इन लोगों के राज्य में कितना कोटा पूरा हुआ है। एक सूचना के आधार पर मैं विरोध पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जो आज इसकी बड़ी वकालत कर रहे हैं, देखें कि अभी 442 सब-इन्सपेक्टर, मान्यवर लोक दल बनारसीदास की सरकार में भर्ती हुए। इन 442 में सारे के सारे ऊंची जाति और विशेष वर्ग के ही लोग थे।

मान्यवर, एक भी आदमी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का उसमें नहीं था और यहीं नहीं मान्यवर, 200 सहायक अभियंताओं की पदोन्नति की गयी लोकदल की सरकार के दौरान। बदकिस्मती है कि उसमें से एक भी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का नहीं था। (शेम शेम की आवाजें, सत्ता पक्ष की ओर से) और माननीय मुख्तार अनीस जी यहाँ बैठे हैं, जो इस समय इसकी वकालत भी कर रहे हैं, यह भी उस समय मंत्रिमण्डल में थे तब यह नहीं चिल्लाए कि हरिजनों को पदोन्नतियाँ क्यों नहीं दी गयीं? यह आज मान्यवर, बड़ा अहम प्रश्न है। जब तक इस तरह से गरीब मजदूरों और पिछड़े वर्ग के लोगों की हालत नहीं सुधरेगी इनको ऊपर नहीं उठाया जायगा, जब तक देश और प्रदेश की हालत नहीं सुधरेगी तब तक समस्याओं का हल नहीं होगा। इसलिए मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस कमेटी को निर्देश दिये जायं कि जिन जिन विभागों में हरिजनों के कोटे पूरे नहीं हुए हैं उनको अविलम्ब पूरा करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्रीमती महारानी दोहरे—

माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं को मौका नहीं दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप अभी बैठें।

(व्यवधान)

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि अभी माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव या संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है, वह हरिजनों के प्रति ऊंची भावनाओं को रखने वाला नहीं है बल्कि समाज में जाति वर्ग में द्वेष फैलाने वाला है। श्रीमन्, रामायण और गीता जैसी पवित्र पुस्तकों को फाड़ डालने मात्र से ही इसका निर्णय नहीं हो सकता है, इससे कोई हल नहीं निकल सकता। श्रीमन्, यह संकल्प

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

केवल लोक प्रियता का ही प्रतीक है। हो सकता है कि कल अखबारों के अन्दर उनका नाम आ जावे और वह यह समझें कि उनको लोकप्रियता प्राप्त हो गयी। लेकिन श्रीमन्, वह जिस समाज की आज बात करते हैं उससे कोई हित हरिजनों का होने वाला नहीं है। श्री वर्मा जी को मैं तब से जानता हूं जब वे रिपब्लिकन पार्टी में थे। बी0 पी0 मौर्य जी के चेले थे।

(शोर)

एक सदस्य—

वह रिपब्लिकन पार्टी में कभी नहीं रहे।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

खैर छोड़िए साहब, तो श्रीमन् मैं कह रहा था कि जब से इन्होंने अर्जक संघ की स्थापना की थी तब से वे लगातार मानसिक रूप से हीन भावना से ग्रसित हो गये हैं। श्रीमन्, जो लोग आज हरिजनों के हितों की बात करते हैं, उनकी वकालत करते हैं, वे लोग यह भूल जाते हैं कि जब वे सत्ता में थे तब उन्होंने इनके हितों के लिए क्या किया? तब कुछ नहीं सोचा था। श्रीमन्, अगर आज हरिजनों के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वह केवल कांग्रेस (आई) ही करेगी। और इनके हितों के लिए कांग्रेस (आई) की नेता श्रीमती गांधी ही कुछ करेंगी जो आज से 30 वर्ष पूर्व से उनके लिए करती आ रही हैं, इन्हें और अन्य छोटे-छोटे वर्गों के लिए रहने के लिए जमीन दिलवायी जा रही है, खेती के लिए जमीन दिलवायी, छोटे छोटे कारीगर को कर्ज दिलाया। आगरे के अन्दर जूते के छोटे-छोटे कारीगरों को कर्ज दिलवाया और जब जनता पार्टी की सरकार आयी तो कर्ज न देने के आदेश दे दिये गये और लाठी-डंडों के बल पर जमीन छीन ली गयी। कांग्रेस ही वह पार्टी है जिसने प्रदेश में मुख्य मंत्री बनाने का जब प्रश्न आया तो हरिजन को दावेदार बनाया और जनता पार्टी तथा लोक दल ने उसकी खिलाफत की। आज जो हरिजनों की बात करते हैं, देश का प्रधान मंत्री बनने की जब बात आयी तो वही चौधरी चरण सिंह, वही अटल बिहारी बाजपेयी ने हरिजन को प्रधान मंत्री नहीं बनने दिया। यही नहीं चौधरी चरण सिंह के लोग जो आज बैठे हैं, हरिजनों की वकालत करते हैं, वह जानते हैं कि चाहे विधान सभा का चुनाव हो या पार्लियामेंट का हो, उन्होंने हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया, रोक दिया और पहली बार देश के अन्दर इस विधान सभा के चुनाव में समाज के कमजोर लोगों को वोट डालने का मौका मिला। 33 साल के अन्दर पहली बार.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह केवल अध्यक्ष से कहें।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

यही नहीं मान्यवर, आज जो बात करते हैं, आगरे के अन्दर गोली चली, पुलिस ने, आर0 एस0 एस0 ने गोलियाँ चलवायीं, झोपड़ियाँ जलायीं। उस समय प्रदेश के मुख्य मंत्री आगरे में मौजूद थे लेकिन उन्होंने गवारा नहीं किया कि उनके दुख दर्द को सुनें। उस समय एक मात्र नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी आगरा गयीं, गली-गली, घर-घर पहुंची।

(शोर)

एक सदस्य—

बेलछी काण्ड में वहाँ गयीं। वहाँ का दुख सुना?

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल—

लाठियों और बन्दूक के दम पर हरिजनों को उठने नहीं दिया, उनकी वकालत करते हैं। मैं एक ही निवेदन करूंगा वर्मा जी से कि अगर वह वास्तव में कुछ चाहते हैं

[डा0 कृष्णवीर सिंह कोसल]

तो वहाँ बैठने से काम नहीं चलेगा, इस प्रकार के संकल्प लाने से काम नहीं चलेगा। यह सस्ती लोकप्रियता छोड़नी होगी और उधर से उठ कर इधर आयें, जो काँग्रेस की नीतियाँ है, वसूल हैं, वह हरिजनों के लिए ही बनाये गये हैं।

(व्यवधान)

श्री मोती लाल देहलवी—

माननीय वर्मा जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह संविधान संगत, सरकार द्वारा घोषित सिद्धान्तों और नीतियों के अनुरूप है। आज जो काँग्रेस के लोग इस प्रस्ताव . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

संविधान के अनुरूप है लेकिन माननीय रामस्वरुप वर्मा जी के प्रतिकूल है। अनुसूचित जाति के लिए कह रहे हैं तो खुद क्यों पेश किया इस प्रस्ताव के लिए कोई अनुसूचित जाति का ढूढ़ लावें।

(शोर)

श्री अध्यक्ष—

वह खड़े हैं, आप बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, आज जो काँग्रेस के लोग और विशेषकर हरिजन इस प्रस्ताव का विरोध करेंगे वह भारतीय संविधान के विरुद्ध, काँग्रेस की घोषित नीतियों के और सिद्धान्तों के विरुद्ध काम करेंगे। वह काम संविधान के प्रति अनादर होगा, काँग्रेस द्वारा घोषित नीतियों और सिद्धान्तों के प्रति अनादर होगा तथा वह हरिजन विरोधी और हरिजनों का नुकसान करने वाला काम होगा।

(इस समय 1 बजकर 16 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री भीखालाल पीठासीन हुए।)

श्री काशीनाथ मिश्र—

आप ज्यादा चिन्तित हैं।

(शोर)

श्री मोती लाल देहलवी—

श्रीमन, काशीनाथ जी हमारे पुराने मित्र हैं। मैं दूसरे के बारे में नहीं कह सकता लेकिन इनको मान्यवर, अन्न रोग ग्रसित कर गया है। जैसे कौरवों-पाण्डवों के जमाने में धर्मराज जी को अन्न रोग ग्रस्त था। ऐसे ही माननीय काशीनाथ जी अन्न रोग ग्रसित है। कहा गया है जैसा खाओं अन्न वैसे बने मन।

एक सदस्य—

तभी कमजोर होते जा रहे हैं।

(हंसी)

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

काशीनाथ जी को अन्न रोग है। क्या इनको स्थान रोग है ?

श्री मोती लाल देहलवी—

आप जब खड़े होते हैं हमको थोड़ा हंसने का मौका मिल जाता है ?

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

चलिए आपका मनोरंजन तो हुआ।

श्री मोती लाल देहलवी—

जी हाँ, आप इसी के लायक हैं।

(हंसी)

एक सदस्य—

आपको बधाई दी जा रही है। बधाई के पात्र हैं आप।

श्री मोती लाल देहलवी—

धन्यवाद, मान्यवर, कांग्रेस के कई लोग बोले, ऐसा लगा जैसे यह लोग अपनी बुद्धि के साथ बलात्कार कर रहे हैं।

(शोर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य को बोलने दें।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, यह बलात्कार से ग्रसित हैं। हर बात के साथ बलात्कार। सदन के समय के साथ बलात्कार, अपने साथ बलात्कार....

(हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, इन्हें कम से कम प्रस्ताव पढ़ लेना चाहिए। क्या प्रस्ताव है क्या बोल रहे हैं। कोई रामायण बोल रहा है कोई मनुस्मृति बोल रहा है। प्रस्ताव अपने आप में बहुत ही साफ है कि संविधान और कांग्रेस की घोषित नीतियों के अनुसार सरकारी नौकरी में जो आरक्षण हरिजनों को प्राप्त है वह पूरा हो। कांग्रेस के लोग भी यह जानते हैं कि राम स्वरूप वर्मा जी ने जो भी यहां आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार आज इतने वर्षों के बाद भी हरिजन रिजर्वेशन का कोटा किसी विभाग में पूरा नहीं हुआ। माननीय धर्मसिंह जी चले गये पता नहीं कभी वह अनुसूचित जाति कमेटी में रहे या नहीं रहे। मुझे नहीं मालूम है लेकिन मैं उस कमेटी में रहा हूं।

(एक सदस्य के फ्लोर क्रास करने पर)

श्री अधिष्ठाता—

सामने से आना जाना अनुचित है। माननीय सदस्य पीछे से आया करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

मुझे मालूम है कि उस कमेटी में भी इस तरह की घटनायें मेरे सामने आयी है कि जो हरिजन नहीं हैं, उन्हें हरिजनों के कोटे में नौकरियां दे दी गयीं। मैं तो कांग्रेस शासन को चैलेन्ज करता हूं कि अगर उन्हें जरा सी भी हया, शरम और गैरत है तो इन्हें शासन में रहने का कोई हक नहीं है क्योंकि जिस अधिकारी ने उनके आदेशों का पालन नहीं किया उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी, ऐक्शन लेना चाहिए था। मुझे जहां तक जानकारी है, कोई भी ऐक्शन आज तक नहीं लिया गया है। अगर जरा भी हया और गैरत की बात हो तो उन अधिकारियों को वैडइन्ट्री दे दी जाती।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

हया, शरम और गैरत तो चौधरी चरण सिंह के पास है।

श्री छत्तर सिंह—

मान्यवर, इनसे कहें कि ये बीच बीच में डिस्टर्ब न करें।

श्री मोती लाल देहलवी—

तो श्रीमन्, मै कह रहा था कि ऐसे अधिकारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुयी इसीलिए तो वहां पर माननीय राम स्वरूप वर्मा का प्रस्ताव काम आयेगा और इसी

[श्री मोती लाल देहलवी]

उद्देश्य से इस समय इस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया है। मान्यवर, आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ, इसको कौन देखेगा ? पूरा क्यों नहीं हुआ ? किस अधिकारी की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी। मेरी जानकारी के अनुसार एक भी अधिकारी के खिलाफ चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि नहीं की गयी। मैं चैलेन्ज कर रहा हूं अगर चाहें तो मुख्य मंत्री जी कार्यालय में अपने स्रोत से पता लगा लें कि क्या इसके लिए किसी भी अधिकारी को दोषी ठहराया गया, यदि हाँ तो क्या उसकी चरित्र पंजिका में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि की गयी ? क्या इस प्रदेश में इस प्रकार के प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है ? क्या इसकी जरूरियत नहीं है ? कुछ लोग यहां पर कह रहे थे कि यहाँ पर वर्गविहीन समाज हो। माननीय काशीनाथ भी भाग गये। वे क्यों इसकी वकालत कर रहे थे, सब लोग जानते हैं। मैं उनको बताना चाहता हूं और वे भी जानते हैं।

अभी मेरे एक कम्युनिस्ट सदस्य की ओर से कुछ इशारा भी किया गया कि वर्ण विहीन समाज कैसे बने ? यह तभी बनेगा जब स्वर्गीय डाक्टर लोहिया के कथनानुसार जो पिछड़े लोग हैं, उनको आगे बढ़ने का सामान अवसर ही नहीं, बल्कि उन्हें विशेष अवसर दिया जायगा। वर्ण विहीन समाज की रचना, मेरा निश्चित मत है, कि कोई दल भले ही कुछ करे। लेकिन कांग्रेस दल चाहे हजारों साल शासन में रहे लेकिन वर्ण विहीन समाज की रचना कभी कर ही नहीं सकता है, यह उसके लिए असम्भव बात है। कांग्रेस से संभव नहीं। पिछड़ों को जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको विशेष रूप से अवसर देना पड़ेगा। इस प्रकार की चीज को खत्म करना पडेगा कि अनसूटेबिल या उपयुक्त नहीं है। लेकिन आप ने तो राजाओं और महाराजाओं को नेतृत्व दे रखा है।

(व्यवधान)

आपने जो राजा-महाराजा को मुख्य मंत्री बना रखा है और एक राजकुमार के नेतृत्व में चल रहे हैं। यह जो उपयुक्त की बात है, उसको लेकर कोटा तो पूरा नहीं किया जा सकता और न वर्ण विहीन समाज बन सकता है।

श्री काशीनाथ मिश्र—

आपने क्या किया ?

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, माननीय काशीनाथ मिश्र भी मेरे साथ डा० लोहिया के चुनाव में गये थे। डा० लोहिया मालूम हैं—क्या कहा करते थे ? वह कहा करते थे कि अगर किसी को तैरना सिखाना है, तो उसको जमीन में नहीं सिखा पाओगे। उसको पानी में उतारना पड़ेगा। तो, मान्यवर, इस तरह की बात, इस तरह का तर्क, कौन देगा ? माननीय राम स्वरूप वर्मा के प्रस्ताव में जो निहित है, वही उसको पूरा कर सकेगा। आज 30 साल के अन्दर भी जब आप अपने ही बनाये हुए हरिजन रिजर्वेशन कोटे को किसी भी विभाग में पूरा नहीं करा पाये तो आप पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि आगे चल कर आप उस कोटे की पूर्ति करा पायेंगे। आप कहते हैं कि राजनैतिक लाभ के कारण नहीं पूर्ति हुयी। तो राजनैतिक लाभ तो आप उठाते है क्योंकि आपके खाने के दाँत और दिखाने के दाँत और हैं।

आप जब कभी वोट लेने का अवसर आता है, तो बड़े हमदर्द होते हैं हरिजनों के लिए। ऐसा लगता है कि हरिजनों के इस तरह से हमदर्द हैं, कि सिवाय आप लोगों के, कांग्रेस के, और कोई नहीं है। हम कहते रहे हैंकि जो जमीन को जोते-बोए, वह जमीन का राजा है। यदि आप इस वसूल को, इस सिद्धान्त को, कि आप हरिजनों के हमदर्द हैं, मानते हो तो जो आपने हाथ से हल चला रहा है, अपने हाथ से खेती कर रहा है,

सारी जमीन उसको दे दें और जो लोग निठल्ले बैठे रहते हैं, उनको जमीन न दें, तो हम मान लें कि आप सही मायने में उनके हमदर्द हैं और वर्ण विहीन समाज चाहते हैं लेकिन आपका नेतृत्व तो राजाओं-महाराजाओं का है कि जिनके पास बड़े-बड़े फार्म हैं . . . . .

(व्यवधान)

आपका नेतृत्व तो राजाओं महाराजाओं के हाथ में है ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी—

मान्यवर, जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, पहले देख लें कि उन्होंने तीन वर्षों में क्या किया, फिर आरोप लगायें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा था . . . .

श्री अधिष्ठाता—

आप थोड़ा विषयान्तर हो रहे हैं ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, कुछ विषयान्तर हुआ था ताकि इनके दिमाग व गुस्से को थोड़ा धो लूं . . . . . .

श्री काशीनाथ मिश्र—

रेलवे की जमीन जो हरिजनों को पहले बाँटी गयी थी इन लोगों के राज्य में ले लिया गया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठें ।

श्री मोती लाल देहलवी—

मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप आमदनी और खर्च की सीमा बाँध दीजिये । 30 सालों से आप बैठे हैं, आप हरिजनों की हमदर्दी की बातें करते हैं । आप आमदनी और खर्च की सीमा बाँध दीजिये तो समझा जायगा कि आप हरिजनों के हमदर्द है । लेकिन मैं जानता हूं सारा देश जानता है कि जंगली हाथी को पकड़ने के लिए पालतू हाथी की जरूरत पड़ती है। आज 30 साल से यह सरकार यही काम कर रही है और हरिजनों की आँखों में धूल झोंक रही है ।

एक सदस्य—

जब आप मंत्री थे तो आप अपनी कार में कुत्ते को बैठाकर ले चलते थे।

श्री मोती लाल देहलवी—

मान्यवर, यह जितने कांग्रेस के लोग बोले सब के सब बहस के बाहर बोले। इन्हें बेचारों को यह पता नहीं, माननीय धर्म सिंह जी इतने पुराने मेम्बर हैं, सबसे पुराना सदस्य मानकर उनको शपथ दिलाने का काम दिया गया। नये लोग अगर इस तरह की बात करें तो समझ में आता है यह कहते हैं कि राम की एक समिति बना दी जाय । कमेटी तो बनी हुयी है । समिति की क्या जरूरत है । समिति अपना काम करते हुये भी रिजर्वेशन के कोटे को पूरा करा नहीं पायी इसलिये माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के प्रस्ताव की उपादेयता है । इसीलिये मैं यह कहना चाहूंगा कि आप इसको राजनीतिक चश्मे से न देखिये। इसको आप यों देखिये कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अनजाने में आप अपने बनाये हुये संविधान का अनादर कर रहे हैं जिसकी शपथ ली है। कांग्रेस द्वारा घोषित नीति और सिद्धान्तों के विरुद्ध काम कर रहे है इसलिये मैं आप लोगों से

[श्री मोती लाल देहलवी]

और विशेषतः हरिजन विधायकों से आग्रह करूंगा कि कृपा करके आप संविधान का आदर करने के लिये, अपने ही दल की घोषित नीतियों और सिद्धान्तों का आदर करने के लिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस प्रस्ताव को सर्व सम्मति से पास करें।

श्रीमती महारानी दोहरे--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी बड़ी आभारी हूं कि आज आपने मुझे कई बार प्रार्थना करने के बाद यह सअवसर दिया, इतनी देर से इस प्रस्ताव के ऊपर चर्चा चल रही है। हमारे सम्मानित सदस्यगण, जबकि उनके पास प्रोग्राम भी है, दिशा से कुछ बाहर चले गये। मैं उनको यह बताना चाहती हूं कि 26 जनवरी, 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो उस समय देश में केवल एक मात्र पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस का जो संविधान इस देश के महान रचयिता को दिया गया वह थे स्वर्गीय भीमराव अम्बेदकर। भाई वर्मा जी ने जो यह प्रस्ताव रखा है इसमें वास्तविकता है क्योंकि हमारी राष्ट्र नेत्री, देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने चनाव के प्रथम घोषणापत्र मे पूरा हरिजनों के ऊपर हाथ रखा। अभी देहलवी साहब बोल रहे थे। मैं अधिठाता जी के माध्यम से बताना चाहती हूं, केवल कांग्रेस पार्टी ने उनकी भलाई की बात की है। आप इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें, हरिजन या अनुसूचित जाति का कहा जाने वाला व्यक्ति इस देश के महान नेता माननीय जगजीवन राम के ही पीछे चलता रहा। आपने 1977 के चुनाव का परिणाम देखा। इस देश के हरिजनों को, चाहे पूर्व से पश्चिम का भाग हो या दक्षिण से उत्तर का हो। यह कर्मचारी वर्ग था जिसने उन ग्रामों में रहने वाले शोषित पीड़ित लोगों को भ्रमित किया और दिशा से अलग कर दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि 1977 के चुनाव के बाद जो जनता पार्टी या लोक दल की सरकार आयी उसने हरिजनों मिटा दिया। आप इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें इस तरह का इतिहास कहीं नहीं मिलेगा।

मैं अपने विरोधी माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं और मेरा अधिष्ठाता जी से भी अनुरोध है कि यह सत्र चल रहा है, महिलाओं को मौका नहीं दिया। मुझे कुछ अवसर बोलने के लिए दिया जाय। मैं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों को बताना चाहती हूं कि जिस तरह से देहलवी साहब ने कहा, समता के आधार पर इस समाज का निर्माण हो सकता है। उनकी इस बात का समर्थन करती हूं। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या वह स्वर्गीय लोहिया की आत्मा को शान्ति देना चाहते है? डाक्टर लोहिया की नीति थी, सिद्धान्त था कि हिन्दुस्तान की महिला हरिजन से भी पिछड़े है, इसलिए महिला को विशेष अवसर मिलना चाहिए था। बड़े शर्म की बात है।

लोक दल और जनता पार्टी के शासन के पन्नों को उठाकर देखा जाय तो हिन्दुस्तान के नारी संस्कृति को इतनी बड़ी ठेस पहुंची है, वह इतिहास विदेशों में किन शब्दों में लिखा गया होगा। हिन्दुस्तान में नारी का बड़ी ऊचा स्थान है। तीन चार दिन सत्र चला, मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहूंगा कि कुछ घटनाओं में सत्यता भी होती है कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, अपने राजनीतिक स्तर को बढ़ाने के लिए सदन में रखी जाती है। लोक दल की सरकार के समय जब-जब मैं दिल्ली गयी, उस परिवार के होते हुए, इतना खर्चा वहन नहीं कर सकती थी लेकिन हमेशा टैक्सी या टेम्पो किया क्योंकि बसों पर लाइन लगती थी, पीछे से लड़के या कुछ लोग गंदी हरकतें करते थे।

यह उनकी सरकार थी। (व्यवधान) मैं सरकार से इस चीज का आग्रह करना चाहती हूं कि वर्मा जी ने जो प्रस्ताव किया है इसमें वास्तविकता है। अधिष्ठाता जी मुझे विशेष मौका मिल, तो तीन सालों की फाइल प्रस्तुत करने की पूरी कोशिश करूंगी। 1973 में जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेन्ट थी एम0बी0बी0एस0 में तीस लड़कों का सेलेक्शन हुआ था।

(1 बजकर 40 मिनट पर)

और उस 30 में कितने का रिजर्व कोटा में आना चाहिये था उसको बतायें। लेकिन मेरा सौभाग्य था जब श्री राम नरेश यादव मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने यहाँ एक हरिजन सेमिनार बलाया। मुझे बैकवर्ड और शिड्यूल कास्ट की महामंत्री की हैसियत से सेमिनार में आमंत्रित किया गया। मैंने सेमिनार में मुख्य मंत्री को एक प्रार्थना पत्र दिया कि 30 लड़के जिन्होंने एम0 बी0 बी0 एस0 पास किया उसमें हरिजनों का कोटा होना चाहिये था। लेकिन लोकदल की सरकार ने अपने गलत इरादे और नीयत से 5–10 लडकों को बुलाया और उसमें भी एक भी अनुसूचित जाति के लड़के को नहीं बुलाया गया।

दूसरा आपकी सरकार का उदाहरण देना चाहती हूं कि जिस समय पुलिस में भर्ती हो रही थी तो उसमें भी अनसचित जाति के लडकों को डंडे मार कर भगा दिया गया था। हमारे वहाँ पुलिस कप्तान तथा अन्य जो अधिकारी कर्सी पर बैठे थे वह चौधरी चरण सिंह के रिश्तेदार थे, मैं चौधरी चरण सिंह को प्रणाम करती हूं; लेकिन कहना चाहती हूं कि पुलिस भर्ती में भी लोकदल की सरकार ने अनसचित जाति और जनजाति के लड़कों पर लाठी चार्ज करके भगा दिया गया था। इस पर मैंने कप्तान के खिलाफ वहाँ आवाज उठायी और एक शिकायती पत्र भी यहाँ भेजा था। इसके अलावा फर्रुखाबाद में एक सेलेक्शन हुआ जिसमें 10 कर्मचारियों का सेलेक्शन करना था तो उसमें एक अनुसूचित जाति और एक जनजाति का विद्यार्थी था। लेकिन इनमें से किसी का भी सेलेक्शन नहीं हुआ। आप इसका जवाब दें। तो जब आप आज इस तरह का आरोप लगाना चाहते हैं तो देहलवी जी मेरी बात का भी जवाब दे।

मैं साफ बता देना चाहती हूं कि कांग्रेस ही आज ऐसे लोगों का उद्धार कर सकती है। इस देश में गरीब, पीड़ित और शोषित लोगों को जो 24 घंटे में एक समय की रोटी भी नहीं खा सकते हैं, उनका उद्धार कांग्रेस ही कर सकती है। जगजीवन राम का नारा तो बहुत लगा लेकिन हरिजन गरीब और शोषित लोगों ने बता दिया कि जाति के आधार पर कोई नेता नहीं बन सकता है और कहा कि यदि हमारा कोई नेता हो सकता है तो वह एक मात्र प्रधान मंत्री इंदिरा गाँधी हैं। इसलिए श्रीमती इंदिरा गाँधी को बहुमत से हिन्दुस्तान की हकूमत में बिठा दिया। (व्यवधान) आपने उनको 32 साल गुमराह किया और आज फिर हरिजनों के नाम पर घड़ियाली आँसू बहाते हैं और हरिजनों का नारा लगाते हैं, तो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूं कि आप जब यहाँ सदन में चुन कर आये हैं, तो जितनी जिम्मेदारी शासक दल की है उतनी ही जिम्मेदारी विरोधी दल की भी हो जाती है, इसलिये आज जो सदन में बुलन्दी के साथ माइक पर नारे लगाते हैं हरिजनों के बारे में तो आप अपने-अपने क्षेत्र में जाकर हरिजनों को पट्टे दिलवायें और कब्जा दिलवायें तो मैं आपके नेता को धन्यवाद दूंगी।

मान्यवर, वर्मा जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह ठीक है लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि जब वह हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं तो हमारा आरोप है कि इसके पहले आपको अवसर मिला था तो यदि हम गलत थे तो आपने उसको क्यों नहीं सही किया। इसका मतलब है कि आपकी नीयत गलत थी। इसलिये मैं कहना चाहती हूं कि हरिजनों का उद्धार इस तरह नहीं होता है जब तक कि सेलेक्शन करने वालों की नीयत सही न हो। इसलिये यदि देश की उन्नति करना है तो लोगों की भावनाओं में, हमारी भावनाओं म और नीयत सही होना चाहिये तभी देश का कल्याण हम और आप कर सकेंगे। हिन्दुस्तान के अन्दर कौन हरिजन नेता है जो यह कह सकता है कि हम हरिजनों क नेता है। मैं पूछना चाहती हूं कि जब कांग्रेस विरोधी दल में थी जगह-जगह आरक्षण के

[श्रीमती महारानी दोहरे]

प्रदर्शन हो रहे थे; क्या आप लोगों ने, लोक दल की सरकार ने कहीं पर देखा कांग्रेसी प्रतिनिधि को, कार्यकर्त्ता को उसमें इनवाल्व होते हुये। मैं केवल एक बात कहना चाहती हूं कि हरिजनों को केवल एक गुब्बारा समझ रखा है। बच्चे को प्रसन्न करने के लिये गुब्बारे को फुला दिया जाता है और उसके बहल जाने के बाद उसको पटक दिया जाता है। ऐसे रबर को इस्तेमाल करने से कार्य नहीं होता है। केवल अपने स्वार्थ के लिए, अपने काम करने के लिए, अपनी तरक्की के लिए हरिजनों के नारे दिये जाते हैं।

मैं केवल हरिजनों की बात ही नहीं कहना चाहती हूं लेकिन आपके माध्यम से उन गरीबों की बात भी करना चाहती हूं जो पहले भी गरीब थे और आज भी वही है। आज हिन्दुस्तान में सवाल गरीब और अमीर का है। इसलिए मैं अधिष्ठाता जी, आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि जो हमारा यह बीस सूत्री कार्यक्रम है जिसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने पुनः दोहराया है, यही कार्यक्रम है जो इस देश की शोषित और पीड़ित जनता को आगे बढ़ाया जा सकता है।

मैं तो बहुत सी चीजें ऐसी सदन में प्रस्तुत करूंगी कि लोक दल वाले अचम्भित हो जायेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि इस देश के हरिजनों ने फैसला दिया था और जनता पार्टी को इतने बड़े बहुमत से भेजा था और उन्हीं लोगों ने दो ढाई साल के बाद आप को वापस उसी जगह भेज दिया जहां आप पहले बैठा करते थे। इस बात के सही माने हैं कि केवल हरिजनों का ढोल पीटने से काम नहीं चल सकता....

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्या कुछ संकल्प के विषय पर भी बोलें....

श्रीमती महारानी दोहरे—

यहाँ जो कुछ कहा गया था मैं उसका जवाब देना चाहती थी। मैं उस पीड़ित समाज से आती हूं जिसे मैंने देखा है। जब तक हम और आप उन पीड़ितों के लिए काम नहीं करेंगे उनका उद्धार नहीं हो सकता।

अब मैं विषय पर आती हूं। वर्मा जी का प्रस्ताव वास्तविक है। दो-ढाई साल में चाहे पुलिस का कोटा हो, चाहे किसी और विभाग का कोटा हो उसमें एक ही वर्ग आपको मिला दूसरा नहीं। इसलिए कांग्रेस पर आरोप लगाना निराधार है, गलत और झूठा है। अगर हम कांग्रेस का पुराना इतिहास देखें तो उस समय सभी कर्मचारी सुरक्षित रहते थे। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि लोक दल की सरकार ने कृषि विभाग..... (व्यवधान) मैं कहना चाहती हूं कि कांग्रेस के समय में इतना अत्याचार नहीं हुआ और आज इस सदन में हरिजनों की दुहाई देते है। इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहती हूं पुलिस का जो कोटा है बहुत पीछे है। मैं कहना चाहती हूं कि एस0 पी0, डी0 एस0 पी0 का जो कोटा होना चाहिये था वह कम है। हमारी गवर्नमेन्ट को चेष्टा करनी चाहिए और उस कोटा को पूरा करना चाहिए।

मैं केवल इस सदन में इस बात को कहना चाहती हूं कि देश की जनता जाग गयी है और यही कारण है कि लोक दल की सरकार ने पीड़ित हो कर के कर्मचारी और नान कर्मचारी दोनों ने इतना बहुमत हमारी पार्टी को दे कर भेजा है। हम जागरूक हैं। मैं सम्मानित सदस्यों को बताना चाहती हूं कि हमारी पार्टी की जो नीति है हम उसके प्रति जागरुक हैं। हम अपना कार्यक्रम पूरा करायेंगे और जनता की समस्यायें दूर करेंगे।

धन्यवाद

(श्री सत्यपाल सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन—

मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं । माननीय राम स्वरूप वर्मा जी का संकल्प बहुत महत्व का है। अच्छा होता अगर हर पार्टी के एक-एक सदस्य को पहले सुन लिया जाता ताकि हर पार्टी की नीति सदन के सामने आ जाती। सुबह 11 बजे से मैं खड़ा हो रहा हूं, अगर मुझे समय न मिलना हो तो चला जाऊं।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है इस बात का प्रयास किया जायेगा। आपको भी मौका मिलेगा।

एक सदस्य—

मुझे भी मौका मिलना चाहिये।

*श्री सत्य पाल सिंह—

माननीय राम स्वरूप जी जो प्रस्ताव लाये हैं उसके समर्थन में मैं कुछ बोलना चाहता हूं। सत्ता पक्ष के लोगों ने बार-बार इस बात को दोहराया है कि उनका दल तथा श्रीमती इंदिरा गाँधी दोनों ही हरिजनों, अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिये सब कुछ करने को अपने दिल में संजोये हुए हैं और कर रहे हैं। यह संकल्प भी उनकी भावना के प्रतिकूल नहीं है। अगर उनके दिल व दिमाग में यह बात छाई हुई है और हो सकता है कि वह सब कुछ हरिजनों के लिये कर भी रहे हों लेकिन इस संकल्प के माध्यम से माननीय राम स्वरूप वर्मा ने एक प्रशंसनीय तथा ऐतिहासिक कदम उठाया है जिससे वह हरिजनों के हित की और अधिक पूर्ति करा सकेंगे। सन् 47 से लेकर आज तक कांग्रेस का शासन रहा।

यह सही है कि दो ढाई साल का शासन बीच में जनता पार्टी और लोक दल का भी रहा लेकिन जब उधर के सदस्य बोलते हैं तो वे 33 साल के इतिहास का दोष विरोध पक्ष पर रख देते हैं। इतने बड़े शासन काल में जो भी आरक्षण किया गया है उसको आप नाम मात्र को ही पूरा कर पाये हैं, कहीं पर भी उसकी पूर्ति नहीं हो पाई है। आपके कार्य कलापों से यह सिद्ध हो चुका है कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं, जिनके हाथ में आपने बागडोर सौंप रखी है वे किसी हालत में इस आरक्षण को पूरा नहीं कर सकेंगे। यहाँ पर लोक दल और कांग्रेस पार्टी की नीतियों का नहीं है। बल्कि प्रश्न उन नीतियों के कार्यान्वियन का है। जो नीति आपकी है जो भारतीय संविधान के अन्तर्गत निहित है उसके कार्यान्वियन का आज सवाल है और उसी के कार्यान्वयन के लिय राम स्वरूप जी यह प्रस्ताव लाये हैं।

किसी साक्षात्कार के लिये जब लोगों को बुलाया जाता है तो पहला मुद्दा यह सामने आता है कि कितने लोगों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़ी जाति के चुना जाना है। उस साक्षात्कार में केवल उच्च वर्ग के लोग बैठे होते हैं और वे रिजर्वेशन के कोटे के अनुसार लोगों को नहीं चुनते। उदाहरण के लिये लोक दल की सरकार ने पिछड़े वर्ग के लिये पुलिस में या स्कूलों में जो आरक्षण किया था और साक्षात्कार में यदि 10 पिछड़े वर्ग के कैण्डिडेट्स को चुना गया था तो उनमें एक ही कैंडीडेट पिछड़े वर्ग का चुना गया। अनेकानेक आरक्षण का इस तरह से गलत रूप से कार्यान्वयन किया गया। इनमें से एक पिछड़े वर्ग का, एक अनुसूचित जाति का कैण्डिडेट लिया गया और 8 कैण्डिडेट्स उच्च वर्ग के लिये गये। जबकि उसका कार्यान्वयन इस तरह से होना चाहिये कि योग्यता के अनुसार उन 10 लोगों में से जितने आ जायं, उनको रखना चाहिए। आरक्षण के हिसाब से जो भी उनका नम्बर आता वह रखा जाना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सत्यपाल सिंह]

लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है, अनुसूचित जाति के लोगों का दुर्भाग्य है कि इस कानून के सही क्रियान्वयन होने की जिम्मेदारी उन लोगों के हाथों में सौंपी गई जो उनको यह अधिकार देने के लिये तैयार नहीं है। इसी मंशा से प्रेरित होकर माननीय वर्मा जी इस बिल को लाये हैं और वे इसे इस संकल्प के माध्यम से इस बात को उठाना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारे कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि हम यह बात जातिवाद को बढ़ावा देने के लिये कह रहे हैं कि यह वर्गविहीन समाज होना चाहिए।

मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आपसे यह उम्मीद की जाती है कि आप भारतीय संविधान की उन धाराओं को जानते होंगे जो संविधान के अनुच्छेदों के अन्दर इन पिछड़े वर्ग और अनुसूचित वर्ग जो समाज के अन्दर एक बहुत बड़े समय से पीड़ित रहा है उस के अन्तर्गत कुछ अधिकार दिये गये हैं और उन्हीं अधिकारों के कार्यान्वियन के लिये अनुसूचित और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिये आरक्षण की बात कही जा रही है। इसलिये जो माननीय सदस्य यह समझते हैं कि हम जाति-विरादरी की बात कह रहे हैं, यह उनकी अनभिज्ञता का परिचायक है।

मान्यवर, यह सही है कि इतने लम्बे समय के बावजूद भी आज हम उन अधिकारों को उनको नहीं दिला पाये हैं तो हमारा कर्त्तव्य हो जाता है कि हम इस तरह के संकल्पों द्वारा सरकार का ध्यान दिलायें और सदन के माध्यम से सरकार को आगाह करें। यह सही है कि ढाई साल के समय में जनता पार्टी ने आरक्षण नहीं दिया लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पिछड़े वर्ग को अवश्य आरक्षण दिया गया जिसको कभी कांग्रेस शासन ने नहीं दिया था। 15 फीसदी लोगों ने सारे समाज के अन्दर हो-हल्ला मचा रखा था। आप यह न भूलें कि अब 50 प्रतिशत लोग जागरूक हो गये हैं। सिर्फ यह कहने से काम नहीं चलेगा कि लोक दल ने कुछ नहीं किया.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह अनुसूचित जाति पर बोल रहे हैं या पिछड़े वर्ग पर ?

श्री सत्यपाल सिंह—

यह जाति विशेष का सवाल नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

कृपया आपस में बातचीत न करें।

श्री सत्यपाल सिंह—

यह जो संकल्प है वह समाज के शोषित और पीड़ित वर्ग के विषय में है। जैसा कि काशीनाथ जी ने जिक्र किया बाबा भीमराव अम्बेदकर जी ने समाज के अन्दर एक क्रांति लाने की कोशिश की थी जब वे पढ़ रहे थे तो उस समय एक विशेष वर्ग के लोगों ने उनको पानी तक नहीं पीने को दिया। विदेशों से पढ़कर जब वे लौटे तो बम्बई के होटलों में उनको ठहरने की जगह नहीं दी गई। एक ऐसा महान व्यक्ति जिसके बगैर भारतीय संविधान का कोई आर्टीकिल ऐसा नहीं है जिस पर उनकी कमेन्टरी न हो उस महान व्यक्ति को हिन्दू धर्म छोड़कर बौद्ध धर्म स्वीकार करना पड़ा। इसकी गहराई के अन्दर आपको जाना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जब तक यह समाज का वर्ग जो सदियों से शोषित और पीड़ित रहा है उसे विशेष बल नहीं प्रदान करेंगे और केवल फाइलों में या घोषणा कर देने से कि इतना रिजर्वेशन रहेगा और धरती के पटल पर नहीं रखा जायेगा तब तक आपके कांग्रेसियों की मंशा, पं0 जवाहर लाल नेहरू की मंशा या इंदिरा गांधी की मंशा पूरी नहीं होने वाली है। केवल पट्टे देने की बात कह देने से काम नहीं बनेगा। आज प्रश्न इस बात का है कि जो आरक्षण संविधान के अन्दर देखा

है, नाम मात्र का आरक्षण दे रखा है उसकी भी पूर्ति नहीं हुई है। आज 84 फीसदी जो लोग कुर्सियों पर हैं वह इसका पालन नहीं करते हैं। नौकरियों के अन्दर आज हरिजन और गरीब भी बराबरी का मौका चाहते हैं लेकिन आपने वह जो अधिकार दे रखे हैं वह फाइलों पर ही हैं वह धरती के धरातल पर नहीं उतरते हैं। उस आरक्षण को पूरा करने के लिए दूसरी युक्ति नहीं हो सकती सिवाय इसके कि इस संकल्प को जो माननीय वर्मा जी ने प्रस्तुत किया है जिसके माध्यम से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग देखेंगे कि कहाँ पर कमी है, कहाँ पर खामी है उसे पूरा किया जाय।

आपके नेता 33 साल तक इसे पूरा नहीं कर पाये हैं उसी से मजबूर होकर माननीय वर्मा जी यह संकल्प लाये हैं। अनुसूचित जाति के विधायक चाहे इधर के हों या उधर के इसका समर्थन करेंगे, उधर के माननीय सदस्यों की कुछ मजबूरियाँ हैं जो यहाँ इन्दिरा गान्धी की लम्बी-लम्बी बातें कहते हैं और इस संकल्प का विरोध करते हैं लेकिन जब सदन से बाहर निकलेंगे तो इसकी प्रशंसा करेंगे। यहाँ पर माननीया दोहरे जी बोल रही थी वह संकल्प के पक्ष में बोल रही थीं लेकिन उसमें इंदिरा जी की तारीफ कर रही थी। आज वक्त तारीफ का नहीं है बल्कि जो संकल्प माननीय वर्मा जी लाये हैं उसकी भावना को समझने का है और उसे कार्यान्वित करने की बात है। इसमें कोई जाति-विरादरी की बात नहीं है, किसी ऊंच नीच की बात नहीं है। हमें संविधान की मौलिकता को स्वीकार करते हुए उसे कार्यान्वित करना है। इस वर्ग के लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। मैं उनसे कहूंगा माननीय वर्मा जी से इसमें जो दो वर्गों के बारे में आप विचार कर रहे हैं उसमें तीसरे वर्ग को भी जोड़ कर विचार करना चाहिये। जब तक इन जातियों के लोगों को यह अधिकार नहीं दिया जाता है तब तक आप किसी भी हालत में इन वर्गों के लोगों की हालत सुधारने में सक्षम नहीं हो सकेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्यों को मालूम होगा कि इस संकल्प के लिये आधे दिन का समय निश्चित था और आधा दिन जिस विधेयक के लिए निश्चित था वह आया नहीं उसे अनुज्ञा नहीं मिली। अगर आप लोगों की अनुमति हो तो ढाई बजे के बाद भी इस पर बहस हो, नहीं तो इस पर ढाई बजे बहस समाप्त हो जानी है।

श्री अम्मार रिजवी--

इसे 5 बजे तक चलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

इस संकल्प पर 5 बजे तक बहस चलेगी और 5 बजे के बाद विधेयक लिया जायेगा।

श्री राम समुझावन--

मान्यवर, आपने मुझे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर बोलने का मौका दिया मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है कि किस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों का चुनाव हो और उसके लिए उसी जाति के चुनाव अधिकारी रखे जायं, मैं इस बात से अपनी सहमति नहीं प्रकट करता हूं उसके कई कारण हैं क्योंकि आज देश एक ऐसे रास्ते से चल रहा है, जबकि सबको चिन्ता है कि देश के जो अनेक प्रकार की विभीषिकाएं हैं चहल-पहल हैं, उनमें हर एक का, हर एक नागरिक का सहयोग आवश्यक है, जाति-पाँत को लेकर किसी प्रकार का यदि हम बदलाव करते हैं तो उससे देश का भला होने वाला नहीं है। कुछ बातें ऐसी हैं, जिनकी ओर हमें संकेत करना है। चाहे जो भी सरकारें रही हों, सभी से कहा ह कि हरिजनों के साथ न्याय होना चाहिए, उनका आरक्षण मिलना चाहिए, उसे पूरा होना

[श्री रामसमुझावन]
चाहिए और उनकी तरक्की के लिए हर कार्य होना चाहिए। लेकिन चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, हमने देखा कि वह आरक्षण चाहे जिस श्रेणी में रहा हो, सब में कम ही रहा है, उनका कोटा कभी पूरा आज तक नहीं हुआ है, बावजूद हमारे सब के तमाम प्रयासों के। इस पर हम सब को मिल बैठकर सोचना चाहिए कि इसका कारण क्या है, जबकि सरकार इस चीज को बार-बार अपने आदेशों द्वारा पत्रों द्वारा पूरा करना चाहती है, लेकिन हो नहीं पा रहा है।

यहां तक कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में भी—चाहे बस कंडक्टर्स हो, चाहे सफाई कर्मचारियों में हो या न्यायालय के चपरासियों में हो उनका भी कोटा पूरा नहीं हुआ है। जसा धर्म सिंह जी ने कहा, यह कमेटियां इसके लिए बनी हैं, बारबार बैठकर वह हर विभाग से पूरी सूची मांगती है और उसको देखती और जांचती कि कोटा पूरा हुआ है या नहीं। लेकिन उसके बाद यह कमेटियां क्या करती हैं, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम है, इसको देखने वाला भी कोई है। चाहे जिस विभाग के मंत्री हो, वह बैठकर इस बात को सोचें कि आरक्षण पूरा न होने का क्या कारण है। हर एक व्यक्ति इसको सोचता है लेकिन उसमें अपना स्वार्थ है और ऐसी भावना छिपी रहती है जिसको वह प्रकट नहीं करता है, वह कार्य सदैव अपने सोचने के विपरीत करता है और यह चाहता है कि हरिजनों को नौकरी न दिया जाए। चाहिए यह कि हर मिनिस्टर चाहे जहाँ भी जाए, जिले में जाकर इसे देखें और जिलाधिकारियों से पूछे कि जो जगह खाली होती है, या नई आती है, उन पर हरिजनों का कोटा पूरा क्यों नहीं होता है और वह उनको पूरा करने के लिए उन पर जोर डालें।

जनता सरकार में हमने देखा कि वह उस वक्त एक भी सीट उन्हें नहीं दी गई है और आरक्षण समाप्त करने की कोशिश की 80 में बात थी, उन लोगों को दिल से नहीं चाहा कि वह आरक्षण आगे भी जारी रहे। लेकिन इन्दिरा सरकार ने आते ही पहला काम यह किया कि अगले 10 साल के लिए उनके आरक्षण की अवधि संविधान में और बढ़ा दी है। अब ठंडे दिल से हमें विचार करना चाहिए और हरिजनों को बुलाकर उन्हें आवश्यकतानुसार जगह देनी चाहिए, उनके साथ न्याय करना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री शम्भूनाथ—

माननीय अधिष्ठाता जी, आज जो हमारे माननीय सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने जातिवाद को बढ़ाने का प्रस्ताव सदन में पेश किया है, मैं पूछना चाहूंगा कि यह समाजवाद का नारा देने वाले व्यक्ति जातिवाद को कैसे बढ़ावा दे रहे हैं। जहाँ तक हरिजनों की बात है, मैं साफ कहना चाहता हूं और सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी की नीति हरिजन विरोधी रही है। हमारी पार्टी ने हरिजनों को आगे बढ़ाने के लिये और उनका विकास करने के लिए काम किया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी की नीति हरिजन को ऊंचा उठाने की रही है। मैं आजमगढ़ से चुन कर आता हूं। जनता पार्टी के लोगों ने हरिजनों के साथ खून खराबा किया है वह किसी से छिपा नहीं है। मेरे आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में जब इलैक्शन हुआ तो उस वक्त जनता पार्टी के लोग उन हरिजनों को वोट नहीं डालने दिया जो उनके विरोध में पड़ने वाले थे।

श्रीमती मोहसिना किदवई का इलेक्शन था, भूतपूर्व मुख्य मंत्री के इशारे पर हरिजनों के साथ अत्याचार किया जाता था। बूथ कैपचरिंग करके उनको वोट नहीं डालने दिया गया। चुनाव के बाद एक रात को जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिजन जाति के 20 घरों को बन्दूक की नोक पर लूटा और अत्याचार किया। उसकी जाँच नहीं हुई। भूतपूर्व मुख्य मंत्री के इशारे पर किसी की गिरफ्तारी तक नहीं हुई। जब मेरी सरकार आयी तो अब मुकदमे की तफतीश शुरू हुई है। यह विरोध पक्ष पकायी लैग की तरह टुकड़े-टुकड़े होकर बिखर गया है। यह विरोध पक्ष वाले गरीबों की रहनुमायी की क्या बात

करते हैं ? खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत जो सड़कें बनी थीं उसमें तमाम गरीब मजदूरों ने, हरिजनों ने काम किया था, मगर खाद्यान्न योजना का सारा अनाज भूतपूर्व मंत्री के इशारे पर चोर बाजारी में बेच दिया गया और गरीब मजदूरों का पेट काटा गया।

मेरे क्षेत्र में पकड़ा गया चावल आज भी थाने में मौजूद है। गरीबों के लिये सस्ते गल्ले की जो दुकानें खुलीं वे दुकानें भी भूतपूर्व मंत्री के इशारे पर एक विशेष जाति वालों को ही दी गयीं जिन्होंने गल्ले को गरीबों में वितरण करने के बजाय खुले आम चोर बाजारी में बेचा। मैं सबूत के साथ कहना चाहता हूं कि आज भी सारी चीनी और डीजल मेरे क्षेत्र में थाने में बंद करके रखा गया है। वह गरीबों में बिकने जा रही थी जिसे इन लोगों ने चोरबाजारी में बेचा है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का जो संकल्प का विषय है उस पर भी कुछ कहें।

श्री शम्भूनाथ—

मान्यवर, जहाँ तक सवाल है जाति का, आपने कहा है कि कितने अधिकारी किस जाति के रखे गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी बैठे हैं ढाई साल उत्तर प्रदेश में जनता पार्टी के भूतपूर्व ग्राम्य विकास मंत्री ने नियम-कानून को तोड़कर एक जाति के ढाई सौ लोगों को प्रादेशिक विकास दल में ब्लाक आर्गनाइजर की नियुक्ति एडहाक रूप में की है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें कोई हरिजन भी है। मैं माँग करता हूं कि ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। वे निकाले जायं और पुनः नियमानुसार चुनाव कराये जायें। युवक मंगल दल के सदस्य व टोली के नायक हल्का सरदार की नियुक्ति की गई। आज कहते हैं कि हम गरीबों की रहनुमाई करते हैं। जनता पार्टी के शासनकाल में जितने काण्ड हुए हैं किसी से छुपा नहीं है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं और साथी लोग बोलेंगे। इन शब्दों के साथ मैं बहुत ही आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

(कई सदस्यों को एक साथ बोलने के लिए समय माँगने के लिए खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

बारी-बारी से सबको समय मिलेगा।

श्री रुद्र प्रताप—

माननीय राम स्वरूप वर्मा जी ने जो प्रश्न उठाया है, यह प्रश्न हमारा नहीं है बल्कि समाज का है। इसके दोषी जो भी हों, उन्हें दंडित किया जाना चाहिए, चाहे वह 30-33 वर्षों की सरकार इंदिरा की हो या 3 वर्ष की जनता पार्टी की सरकार हो। हमारा अभिप्राय सुधार है और इसको करना है और वह प्रस्ताव केवल यह याद दिलाता है कि इन लोगों को सुरक्षित होने दिया जाय। हमारे देवरिया जिले में कम ऐसी संस्थायें हैं जहाँपर हरिजनों को संरक्षण मिला है। जो पुरानी समितियाँ हैं, वे पुराने कर्मठ काँग्रेसियों की कमेटियाँ हैं।

"मंत्र परम लघु जासु वस, विधि हरि हर सुर सर्व,
महा मत्त गजराज कहं वसकर अंकुश खर्व।"

इन्होंनें केवल अंकुश लगाने की बात कही है जिससें कि मतवाला हाथी भी रुक जाता है ऐसे ही यह जो संविधान की धारा है, इसको लागू करने के लिए तथा उसकी भावनाओं का आदर करते हुए यह आवश्यक है कि जो भी दोषी हो, चाहे वह जनता पार्टी हो, चाहे वह काँग्रेस पार्टी हो उसको दंडित किया जाना चाहिए।

श्री राज कुमार--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय सदस्य श्री राम स्वरुप वर्मा जी ने जो प्रस्ताव किया है मैं उसका विरोध करता हूं, क्योंकि यह प्रस्ताव न केवल जनघाती है, राष्ट्र-घाती है बल्कि समाज में एक ऐसा विद्रोह फैलाने वाला है जिससे समाज का हर वर्ग आपस में लड़ झगड़कर छिन्नभिन्न हो जायेगा। माननीय वर्मा की कुत्सित भावना के बारे में इस सदन को जानकारी है हम सभी इसे जानते हैं। हमें ज्ञान है वर्मा जी किस अखाड़े में रहने वाले है और उनका इरादा इसके द्वारा विफल हो गया। इस विधेयक को लाकर वर्मा जी ने पिछड़े वर्ग का सहारा न लेकर, माननीय वर्मा जी से मैं कहना चाहता हूं कि उनको इसमें पिछड़ा वर्ग जोड़ देना चाहिये था।

अब हरिजन और अनुसूचित जाति का नाम लेकर चलाया है जिससे उनकी सहानुभूति वह प्राप्त कर सकें। माननीय राम स्वरूप वर्मा जी किसी जमाने में अर्जक पत्रिका चलाकर, अर्जक संघ का गठन करके एक विशेष जाति का प्राश्रय दिया था वह कहानी पूरी नहीं हुई। इस विधेयक में माननीय वर्मा जी का इरादा साफ नहीं है यह प्रस्ताव जो अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिये अनुसूचित जाति या जनजाति के अधिकारी उनके चुनाव करें, उसमें बहुत से मामले पेचीदें खड़े हो जायेंगे। अगर एक वर्ग के लिये अनुसूचित जाति या जनजाति के लिये इस प्रकार के अधिकारियों द्वारा नियुक्ति होगी तो दूसरे लोग माँग करेंगे। वर्मा जी विपक्ष में बैठे हैं विपक्ष में बैठे कुछ ऐसे भाई हैं जो पिछड़े वर्ग की माँग करने वाले हैं।

अभी पिछली सरकार ने सरकारी नौकरियों में यू0 पी0 और बिहार में पिछड़े वर्ग के लोगों को जिस तरह रखा गया था अभी वह स्याही सूख भी नहीं पायी थी, अच्छे वातावरण में अभी हम साँस भी नहीं ले पाये थे कि उसमें वर्मा जी ने फिटकरी डाल दिया और जैसा उन्होंने फैसला किया था अपना फैसला पूरा कर दिया। इस बात की कायदे और कानून के अन्दर भी निर्देश दिया गया है हमारे संविधान में लिखा है कि हमारे अनुसूचित जाति और जनजाति का प्राश्रय मिले यही नहीं हमारे काँग्रेस की नेता श्रीमती इन्दिरा गाँधी आज जो शासक है इस बात के लिये पूर्ण रूप से खड़ी है हम जिन बातों को लेकर आये है इलेक्शन के मैनफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया गया है उनको पूरा कराने के लिये उन पर कार्यवाही के लिये हम पूर्ण रूप से सतर्क हैं। किसी को कहने की जरूरत नहीं।

हमारा यह कहना है, हमारा दिन प्रति दिन यह प्रयास है हमारे विधान मण्डल के भाई और अधिकारी दिनरात विचार विमर्श कर रहे हैं कि हम किस तरह कानून बनाये कि हमारे जो हरिजन हैं, पिछड़े हुये लोग, गिरजन हैं, शोषित और कमजोर लोग हैं उनको इम्प्लायमेंट हम दे सकें। मैं कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ भाई संविधान में जो सिड्यूल कास्ट लिखा है उसका अर्थ अछूत समझते हैं। ऐसी बात नहीं है संविधान में सिड्यूल का मतलब है, एक सिड्यूल उसके अन्दर जो भी जातियाँ आ जायं। एक माननीय सदस्य ने जैसा कहा, जहाँ तक मैंने समझने का प्रयास किया है उन्होंने सिड्यूल का मतलब एक जाति से समझा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो वर्मा जी ने आरक्षण का विधेयक प्रस्तुत किया है यह उस जमाने में रखना चाहिये था जब ट्रेजरी बेन्चों पर बैठ कर आप कानून की तरफ न देख कर, कानून की ओर मौन रह करउस पर परदा डाल कर, ब्लाकेट डाल कर पिछड़े वर्ग को आरक्षण दे रहे थे।

उस जमाने में अगर पूरा कर लिया गया होता तो आज यह स्थिति न होती। इस समय आज बात उठा रहे हैं। जबकि आज हम खुद ही इसके लिए सोच रहे हैं। सरकार इस ओर खुद सुनिश्चित कर रही है अनेकों कार्यक्रम। तब आप क्या प्रस्ताव लाते हैं। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि इनके हितों

को दृष्टि में रखते हुए एक उचित मापदण्ड सुनिश्चित करे और इस किस्म के कार्यक्रम बनाये ताकि प्रदेश के हरिजनों और पिछड़े वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके । मैं इन शब्दों के साथ पुनः वर्मा जी के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वर्मा जी सदन के इतने पुराने सदस्य होने के नाते उन्हें कोई भी प्रस्ताव सदन में लाने से पूर्व कम से कम देख लेना चाहिए ।

*श्री फखरे आलम—

मान्यवर, मैं श्री राम स्वरुप वर्मा जी के संकल्प का पूरा समर्थन करता हूं और मैं समझता था कि सदन में इस संकल्प का कोई विरोध नहीं होगा । यह जो संकल्प है, सदन में प्रस्तुत हुआ है, जिस पर कोई भी बहस का मौका नहीं था । मगर यह लोग यह तय किये बैठे हैं कि विरोध पक्ष से कोई भी बात कही जायेगी, उसकी चर्चा करने लगेंगे और उसका विरोध करेंगे तो बात दूसरी है । श्री वर्मा जी ने जो संकल्प हमारे सामने रक्खा है , जो सदन में है । वह केवल यह है कि अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का जहाँ कहीं सेलेक्शन हो और जो उस सेलेक्शन में बैठे हों, उनमें एक अनुसचित जाति का अधिकारी भी हो । इसमें कौन सी हर्ज की बात है । इसमें इन्होंने कौन सी ऐसी बात कह दी । जिसके लिए विरोध किया जाये । मैं नहीं समझ पाया कि इसमें विरोध के लायक क्या कुछ है और मैं नहीं समझता कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा ।

हमारे कान्टिट्यूशन में शिड्यूल्ड कास्ट शब्द लिखा है और उसमें इनके आरक्षण की बात भी लिखी है तो मैं समझता हूं कि इससे भी तो एक विशेष जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा । अगर जातिवाद की परिभाषा यही हो सकती है कि किसी गरीब की मदद की जाय किसी वर्ग विशेष की मदद की जाय, तो यह बढ़ावा है और जिसको आप लोग शुरु से दबाते चले आ रहे हैं जिनको थोड़ा उठाने की बात अगर कही जाय तो क्या जाति-वाद को बढ़ावा देना होगा । मैं इस ओर नहीं समझ सका कि ऐसी चर्चा क्यों की जा रही है । ऐसा नहीं होना चाहिए । इनके लिए एक निश्चित रिजर्वेशन है । इनके लिए जो रिजर्वेशन हैं उनको पूरा करके इनके हितों की रक्षा करें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों का रिज- र्वेशन तक नहीं है और पिछड़े हुये भी है, जिनकी स्थिति 33 सालों से बदतर होती चली आ रही है, उनके बारे में भी कभी आपने सोचा है। उनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा ।

मैं इस बात को समझता हूं । मैं इसलिए समझता हूं कि मेरा इस तबके के साथ ताल्लुक रहा है । इनके साथ अब तक इन्साफ करने की बात तो कही जाती रही है । लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूं कि इनके साथ इन्साफ तो क्या हमेशा अन्याय ही हो रहा है । 33 साल के अन्दर इनकी सुविधा के लिए जो भी कहा गया मगर वह कभी भी पूरा नहीं हुआ जिसके वह हकदार थे । "तुम जरा भाई अपने रवैये पर गौर करो, अगर हम करेंगे तो शिकायत होगी ।" जो वर्मा जी ने संकल्प रखा है वह 100 फीसदी सही है । इस पर आपको सोचना चाहिए । उन्होंने किसी पक्ष या किसी बूथ को कैपचर करने की बात नहीं कही । मैं उनको इस बात पर मुबारकबाद देने के लिए खड़ा हुआ हूं और इनके संकल्प का पूरी तरह से समर्थन करता हूं । और मैं यह समझता हूं कि यह एक इन्साफ का तकाजा है, ईमानदारी का तकाजा है और एक इन्सानियत का तकाजा है कि ऐसे वर्ग के लोगों के साथ इन्साफ होना चाहिए कि वह नौकरियों में सही प्रतिशत से आएं ।

मान्यवर , मैं आपके माध्यम से यह बात सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि इस बात को आप भूल जाएं । वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री फखरे आलम]

तबका, वह वर्ग जो पिछड़ता जा रहा है इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वह और पिछड़े। पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बात आती है तो आप कहते हैं कि जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है। आप कुछ बात तो बताइये। एक मामूली सी बात रामस्वरूप जी ने कही। आज 33 साल हो गये है, इतने आदमी सर्विस में आ चुके हैं, वह इतने काबिल है कि वह चुनाव कर सकें। अगर हम कमिश्नर, गवर्नर बना सकते है तो क्या वह डिप्टी कलेक्टर का सेलेक्शन करने के काबिल नहीं हैं। डी0 वाई0 एस0 पी0 का सेलेक्शन करने के काबिल नहीं है। आयोग हैं। तो पब्लिक सर्विस कमीशन में हरिजन मौजूद हैं। वह उनका चुनाव कर लेंगे। मैं समझता हूं कि कोई चीज छिपायी जा रही है जिसको वह जाहिर करना नहीं चाहते। "कब यह कुदरत का सलीका है सितमगारी में, कोई माशूक है उस परदापेजंगारी में।"

मैं यह समझता हूं कि छिपाते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। खुल कर कह दीजिये कि हम नहीं कर सकते। हमें तुम न दो लेकिन इन गरीबों को क्यों नहीं देना चाहते। आप हमें मुतवातिर करना चाहते हैं। उनको चुनने के लिए उनका आदमी हो वरना हमेशा की तरह उनके साथ नाइंसाफी होती रहेगी। मैदान में आइये और कहिये कि हम आपको देना चाहते हैं। अभी रामस्वरूप जी ने कहा कि पुलिस कान्स्टेबल कुल 79192 थे जिसमें अनुसूचित जाति के 12925 और जनजाति के केवल 325 थे। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन जाता है इन नौकरियों में। कितने वर्ग हैं जो इन नौकरियों में आते हैं। तो क्या 15 प्रतिशत लोग जो इस मुल्क के हैं तमाम नौकरियों में कब्जा किये हैं यह कब तक चलता रहेगा। मैं आपके माध्यम से अर्ज करना चाहता हूं कि यह झगड़ा कब तक चलता रहेगा?

एक सदस्य--

जब तक उनको नीचे नहीं ले आयेंगे।

श्री फखरे आलम--

ऐसा होता तो सब साथ में दफन हो जाओगे।

इस बात पर सोचिये। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से अपने भाइयों से जो उधर बैठे हैं, जो बराबर मुखालिफत करते रहते हैं, कहना चाहता हूं कि उनको ऐसा मौका न दीजिये जो वह विद्रोह पर उतर आयें। माननीय रामस्वरूप जी के इस संकल्प का क्यों विरोध कर रहे हैं। बहुत पछताओगे जब एक आलम को खबर होगी अभी तो शिकवाये जोरो जफा मेरी जबाँ तक हैं।

बहुत बदनामी होगी . . .

इसीलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से फिर कहूंगा कि श्रीराम स्वरूप वर्मा का संकल्प मंजूर कर लिया जाय और इस बात का मौका न दिया जाय कि बात आगे बढ़े, बात आगे बढ़ेगी तो हमारे हाथ से निकल जायेगी। मैं इसका पूरी तौर से समर्थन करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस बात का मुझे मौका दिया कि अपने जजबात को आपके सामने रख सकूं। बहुत से भाई इस बात को चाहते होंगे कि उनको मौका मिले इसलिए मैं बहुत न कहके इतना ही कह कर समाप्त करता हूं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी--

अधिष्ठाता महोदय, सम्मानित वरिष्ठ सदस्य श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने जो संकल्प सदन के सामने रखा है मैं उसे समझने की कोशिश कर रही हूं कि आखिर यह बेसुरी वासुरी बजी कहाँ। जिसके बारे में कभी सोचा नहीं, जिसको कभी उठाने की कोशिश नहीं की, आज वह संकल्प आया है। यह क्या आया है। मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूं उनकी भावना को। उन्होंने अच्छी तरह से यह देख लिया है। हमारे जो विरोध पक्ष के सदस्य हैं और जिन्होंने बड़े दावे से भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस का हवाला देते हुए हमें अपनी जिम्मेदारी समझाने की कोशिश की है। हमें याद है कि हमें क्या करना है, हमें याद है कि हमारी जिम्मेदारियाँ क्या हैं।

हम विरोध पक्ष में बैठ चुके हैं। आज फिर हमें जनता ने मोका दिया है, हम उधर बैठे हैं। आप घबड़ाइये नहीं हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, क्या करना है हमें। आज आप ठेकेदार बन गये अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के। कारण क्या है? कारण स्पष्ट है। एक बार इसी घर, देश प्रदेश पर शासन किया। दिल्ली से लेकर यहाँ तक राज्य किया। अनेक प्रकार के मुखौटे नकाब आये और पहनकर शासन किया। वहाँ जाकर उतावलो में खड़े हुए और टूट गये। हमने तो भेजा था शासन करने के लिए, आपने किया क्या, वहाँ बैठकर लड़ाई की। इस देश की जनता ने सोचा था आप कुछ काम करेंगे आपने क्या किया, ठीक उसी तरह से जैसे किसी लड़के को पढ़ने के लिए डाक्टरी में हम भेजें। हमने पाँच साल के लिए भेजा और पता चला वह ढाई साल में लौट आए, कहे कि मैं तो निकम्मा निकला अब मुझे दूसरे कम्पटीशन में बैठाइये। आप ऐसे ही निकले। देश की जनता के सामने फिर आएगा कौन सी पार्टी सही मायने में शासन चला सकती है उसी की हुकूमत बनाई।

[2 बजकर 39 मिनट]

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि हमने कभी भी इस काँग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे पं0 जवाहरलाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर से आज कीने ता इन्दिरा गाँधी तक दुराव नहीं किया। हमने हर व्यक्ति को उठाने की कोशिश की। हमारा इरादा स्पष्ट हो जाता है कि जब हमने अपने राज्य में सम्मानित बाबू जगजीवन राम को रक्षा मंत्री बनाया। हमने अखिल भारतीय काँग्रेस का अध्यक्ष अपने हरिजन साथी को बनाया है। उत्तर प्रदेश में भी अपना संगठन भाई धर्मवीर जी को दे रखा है। इससे स्पष्ट है कि हमारी नीयत बिलकुल साफ है। हमने एक बड़ा प्रोग्राम भी ले रखा है जिसके अनुसार हम हर जगह हरिजनों को उत्थान की ओर ले जाना चाहते हैं। आपने कभी भी यह करके नहीं देखा कि जितने भी बड़े-बड़े जमींदार है उनसे जो जमीन बची वह हरिजनों को मिले लेकिन मैं जानती हूं आप कभी नहीं करेंगे। आपने ऐसी कौनसी बात को जिससे आप हरिजनों के मन में अपना स्थान बना सकें और उस भावना से प्रेरित होकर आपने यह प्रस्ताव रखा है। हम सोचते हैं कि उनका सर्वतोमुखी विकास हो लेकिन आप कहते हैं कि सर्वतोमुखी विकास की आवश्यकता नहीं है।

आप चाहते हैं कि राज्य सरकारी सेवाओं में इन जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों को भरने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के उम्मीदवारों का साक्षात्कार केवल इन्हीं जाति के अधिकारियों द्वारा हो। आपकी जब सरकार बनी तो एक कायदा चला दिया लेकिन फिर आपने जातिवाद चला दिया। जिस देश में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख ईसाई रहते हैं तो क्या उस स्थान पर एक जाति की सरकार चल सकती है, एक अलग से नारा चल सकता है। इस देश की नेता श्रीमती इंन्दिरा गाँधी। हमने हरिजनों के साथी को अपना साथी बनाया लेकिन जब वे हमसे अलग हो गये तो क्या हरिजन लोग हमसे अलग हो गये? अगर काँग्रेस की नीतियों और सिद्धान्तों से वे सहमत हैं तो हमारे ऊपर विश्वास करते हैं लेकिन जब आप कुर्सी पर बैठे आपने गुमराह ही उन्हें किया है।

अभी हमारी बहिन महारानी दोहरे जी जब बोलने उठीं तो आपने उचक कर कहा कि महारानी जो कहाँ से आयीं। आप किसी को सम्मान दीजिए लेकिन सम्मान तो दूर की बात उसके पीछे आपकी स्पष्ट भावना दिखायी देती है। आप घड़ियाली आँसू तो बहाते हैं, थोथे चने की तरह से घने बोल रहे हैं लेकिन आपका इरादा स्पष्ट नहीं है। हमने कभी भी गद्दारी नहीं की है। हमारा संविधान हरिजन हितार्थ है, हमारे कार्यक्रम हरिजन हितार्थ हैं। कभी यहाँ पर कहा जाता है कि जाटव प्रदेश अलग बनाया जाय, कभी बैक वर्ड और कभी हरिजन इलाके की बात होती है। मैं कहना चाहती हूं कि आप दकियानूसी विचार न दिखायें, संकुचित विचारधारा से ऊपर उठें, आप अपनी संकुचित विचारधारा

[श्रीमती प्रेमवती तिवारी]
से ऊपर उठें। आपने कभी हरिजनों का साथ नहीं दिया। कभी उनके साथी नहीं बने। उनको दबाने की कोशिश की। इसलिये कह रहे हैं कि हरिजन अलग हो जायं। अलग होकर उनका काम करें। तो मैं स्पष्ट शब्दों में कहता चाहती हूं कि सभी सम्मानित सदस्यों से कि हम कांग्रेस के तिरंगे झंडे के नीचे, श्रीमती इन्दिरा गाँधी के नेतृत्व में, पूरे समाज को उठाना चाहते हैं, और उस वर्ग को खासतौर से उठाना चाहते है जिसको कि आज हरिजन के नाम से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं तो बड़ी विनम्रता से अपने वरिष्ठ, सम्मानित साथी मा0 रामस्वरुप वर्मा से निवेदन करना चाहती हूं कि ईश्वर के लिये अपनी सस्ती पब्लिसिटी के लिये इस प्रकार का संकल्प उठा लेंगे तो उनकी साख बढ़ेगी, उनको ज्यादा सम्मान मिलेगा। नहीं तो इसके मायने कुछ होते नहीं। मैंने पहले इसका विरोध नहीं किया, मैंने बहुत सोचकर, मा0 रामस्वरुप वर्मा जी की वरिष्ठता को ध्यान में रख कर और मा0 मोती लाल जी के दर्द को समझकर, हरिजनों के पक्ष में उनको ऊपर उठाने के हक में आपके इस संकल्प का विरोध करती हूं—इस विश्वास के साथ कि हमसे ज्यादा हमदर्द उनका न है और न होगा।

*श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, मेरी समझ में यह बात नहीं आयी कि माननीय रामस्वरुप वर्मा जी ने जो संकल्प किया है, इसका विरोध क्यों किया जा रहा है ? इसलिये, कि इस सारी बहस को दबाया जा रहा है—चाहे इसको कांग्रेस ने किया, लोकदल ने किया या जनता पार्टी ने किया। सवाल है कि 33 साल हो गये मुल्क को आजाद हुये। इस 33 साल में इस संकल्प की जरूरत क्यों पड़ी ? श्रीमन्, जरूरत इजाजत इजाद की माँ होती है। 33 साल बीत गये। इसमें 30 साल की जिम्मेदारी आप पर है और 3 साल की जिम्मेदारी औरों पर है—चाहे लोक दल हो, चाहे जनता पार्टी पर हो, या चाहे 'संविद' को ले लें। लेकिन 30 साल की जिम्मेदारी आप पर है। तो इस जिम्मेदारी से भागने से काम नहीं चलेगा।

श्रीमन्, कान्स्टीट्यूशन के अनुच्छेद 330 में शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन के लिये बात कही गयी है और उसके मुताबिक उनको हक न मिलने की वजह से आज तक जो पीड़ा रही है, उसकी वजह से वह संकल्प लाना पड़ा।

मा0 धर्म सिंह जी, एक सीनियर आदमी हैं, इसलिए परेशान हैं कि इसके लिये सदन की एक कमेटी क्यों नहीं बन जाती। श्रीमन्, 1974 में एक कमेटी बनी थी जबकि पार्लियामेन्ट में और सब जगह यह बात थी कि जो शिड्यूल कास्ट के लोग हैं, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, इस सदन में भी कमेंटी बनायी गयी थी और मैं स्वयं उसका मेम्बर रहा हूं। उस कमेटी के साथ ही जो मैं पूरे प्रदेश के अन्दर ही नहीं, देश के अन्दर घूमा हूं तो देखा कि सभी जगह, हर प्रदेश के अन्दर, यही कमी सामने आयी कि हरिजनों का कोटा कहीं पूरा नहीं हुआ.... न क्लास–1 में, न क्लास–2 में और न क्लास–3 में, और पूछा कि क्यों नहीं पूरा हुआ, तो एक ही बुनियादी बात सामने आयी कि लोगों के सोचने का ढंग बड़ा संकुचित है, अधिकारीगण बड़े नैरो-माइन्डेड है। वे नहीं चाहते कि यह पूरा हो। यह अपने प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में यही बात मिली। यह इसीलिये कि लोगों के सोचने का ढंग इस तरह का नहीं बना है, कि जो आरक्षण कान्स्टीट्यूशन में दिया है,उसको पूरा कर दिया। जो पूरा करने वाले हैं, उनका ही इरादा नहीं है, लिहाजा वह अभी तक पूरा नहीं हुआ। और रही आदेशों की बात अभी जाने किसने कहा था, कि आदेश जारी किया जाय, चरित्र पंजिका में इंटरी की जाय, तो श्रीमन्, इन-इन आदेशों का एक कलेक्शन है, 300 सफे का कलेक्शन है? समय-समय पर जो सन 48 से लेकर आज तक इस संबंध में आदेश जारी किये गये हैं उन आदेशों का एक कलेक्शन है जिसमें चीफ सेक्रेटरी का स्पष्ट आदेश है कि जो इंसपेक्टिंग अथारिटी डिवीजनल कमिश्नर होंगे जो और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

विभागाध्यक्ष होंगे वह अपने-अपने विभागों की इन्क्वायरी करेंगे और यह भी देखेंगे कि विभाग के अन्दर क्लास 1, 2, 3, 4 में इनके रिजर्वेशन का कोटा पूरा हुआ है या नहीं। जिस अधिकारी ने यह चीज नहीं की होगी उस अधिकारी की चरित्र पंजिका में इंटरी की जायगी, यह आदेश कई बार जारी किये जा चुके हैं।

एक समय यह आज्ञा दी गयी कि जब तक इनका कोटा पूरा न हो जाय क्लास फोर्थ में 40 प्रतिशत आरक्षण किया जाय। क्लास 3 में 30 प्रतिशत जब तक 18 प्रतिशत पूरा न हो जाय। इसको फिर रिडयूज करके क्लास 4 में 30 प्रतिशत और क्लास 3 में 25 प्रतिशत किया जाय जब तक कि 18 प्रतिशत पूरा न हो जाय, यह आदेश किये गये थे हमारी कमेटी जिलों में भी गयी और सारे विभागाध्यक्षों को बुलाया गया, मुझे बड़े खेद के साथ आपके सामने कहना पड़ता है कि क्लास 4 में जिस चपरासी की जगह आती है जहाँ पर एजूकेशनल क्वाली फिकेशन की जरूरत नहीं है वहाँ आज भी 8 प्रतिशत रिजर्वेशन है। क्लास 3 और 1-2 की बात छोड़िये। क्लास 4 में भी रिजर्वेशन इन 30 सालों में नहीं हुआ है इसकी जिम्मेदारी किसकी है। चाहे इसकी जिम्मेदारी काँग्रेस पार्टी पर हो या लोक दल पर लेकिन फैक्ट से आप डिनाई नहीं कर सकते हैं।

अब सवाल सिर्फ यह पैदा होता है कि कौन सी ऐसी चीज की जाय और कौन सा ऐसा रास्ता अख्तियार किया जाय जिससे क्लास 1, 2, 3, 4 में इनको 18 प्रतिशत रिजर्वेशन पूरा हो सके। इस चीज को सामने रखते हुये कि जरुरत ईजाद की माँ होती है हमारी कमेटी की सिफारिश थी कि जो इंटरव्यू लेने वाली अथारिटीज हैं, चयन समिति में एक अधिकारी शिड्यूल कास्ट का होता है और 4-5 दूसरी कास्ट के होते हैं, उस एक अधिकारी की नहीं चलती है, हमने सिफारिश की कि जो सेलेक्शन करने वाले हों वह शेड्यूल कास्ट के ही हों ताकि इस बात को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। जितनी जल्दी आप इस चीज को पूरा करेंगे उतनी जल्दी आपके चेहरे पर जो एक बदनुमा दाग और जो कालिख लगी हुयी है 33 साल से, वह धुल जायगी। इसका जो भी रास्ता आप निकालें यह जिम्मेदारी अब आपकी है। वर्मा जी ने इसके लिये संशोधन के द्वारा एक रास्ता सुझाया है। मैं एक मिसाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इर्रीगेशन विभाग के अन्दर 1978 में असिस्टेंट इंजीनियर के लिये 180 पोस्टें निकाली गयीं, 18 परसेंट के हिसाब से 32 आनी चाहिये शेड्यूल कास्ट की, लेकिन 32 में से केवल 7 आदमियों का सेलेक्शन हुआ।

एक सदस्य—

हरिजन विरोधी सरकार के समय में यह काम हुआ है।

श्री रियासत हुसैन—

यह कहने से काम नहीं चलेगा। श्रीमन्, सन् 79 में प्रोमोशन आर्डर जारी हो गये लेकिन अभी तक ज्वाइन नहीं कर सके हैं। यह देखने की बात है कि सन 79 के अन्दर सेलेक्शन आर्डर जारी हुये हैं और अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाये हैं। यह मिसाल के तौर पर मैंने बताया जिस तरह का मामला चल रहा है। कांस्टीट्यूशन और सारी चीजों को रख कर, इस सदन की एक समिति बनी। दूसरे प्रदेशों में वह गयी, हर जिले के हर विभाग के परसेन्टेज को देखा। इन सारे प्रयासों के बावजूद भी हम 18 परसेन्ट पूरा नहीं कर पाये। तो वह पूरा कैसे हो। उसे पूरा करने के लिये एक रास्ता इस संकल्प के अन्दर है कि चुनाव समिति में शेड्यूल कास्ट के ही लोग हों तो बहुत हद तक आगे करके ले जायेंगे। वरना क्या चीज है कांस्टीट्यूशन के अनुच्छेद 335 के अन्दर एक लफ्ज आ गया है "मेंटिनेन्स आफ एफीसियेंसी आफ एडमिनिस्ट्रेशन।

शुरू में इस चीज को लेकर यह कहा गया कि नान अवेलेबिल है, क्वालिफिकेशन के लोग हीं नहीं मिलते। लेकिन जब हर क्वालिफिकेशन का नौजवान सामने आ गया तब उन्होंने

[श्री रियासत हुसैन]

कहा कि अपटु दि मार्क आफ स्टैन्डर्ड नहीं है। जब अधिकारियों से रिपोर्ट माँगी गयी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 335 को कोट करके कहा है कि कांस्टीट्यूशन की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, सूटेबिल नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिये परसेंटेज पूरा नहीं हो रहा है। मान लिया कि क्लास वन, क्लास टू में एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है कि उसमें एफीशेंसी आफ एडमिनिस्ट्रेशन डाउन हो जायगी। लेकिन क्लास 3 और 4 में कहाँ एडमिनिस्ट्रेशन डाउन होने जा रहा है। जहाँ तरकारी लाना है, कलमदान उठाना है, फाइल ले जाना है, वहाँ पर कौन सी सूटेबिलिटी है।

यही है कि जो आदमी सवर्ण वर्ग के हैं, वह बरदाश्त नहीं कर सकते कि उनका चपरासी शिड्यूल कास्ट का होगा तो उनका चौका नापाक हो जायगा, उनके बच्चे नापाक हो जायेंगे, उनकी तरकारी नापाक हो जायगी और कपड़े नापाक हो जायेंगे। यह सूटबिलिटी की आड़ लेकर, इस तरह से न क्लास 3 में और क्लास 4 में कोटा पूरा कर पाये। यह कोई ऐक्ट नहीं है। यह संकल्प है। सदन द्वारा पास हो जायगा तो थोड़ी मारल फाउन्डेशन जरूर हो जायगी। हमारे सदन का यूनानिमस प्रस्ताव है कि 18 परसेन्ट पूरा करें। उसके लिए संकल्प में एक रास्ता है कि उन्हीं के अधिकारी हों, वरना कहेंगे कि हम तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहना कर गये थ, बड़ी अच्छी तरह से जवाब भी दिये लेकिन इंटरव्यू लेने वाले आफिसर जो थे वह पंडित जी थे, ठाकुर साहब थे, सब वही ले लिये गये। कम से कम यह ऐतराज तो समाप्त हो जायगा। 18 से 20 परसेंट होने वाला नहीं है।

लेकिन जहाँ कांस्टीट्यूशन में 18 परसेंट का अधिकार है,जिसकी आपने भी कसम खायी है, कम से कम उसी को पूरा करने के लिए 18 परसेंट कैसे पूरा किया जाय, उसके लिए यह संकल्प प्रस्ताव पेश किया गया है, इसमें कोई पालिटिकल पार्टी का हित नहीं है। कांस्टीट्यूशन में दिया है कि 18 परसेंट शिड्यूल कास्ट क्लास 1, क्लास2, क्लास 3, क्लास 4 में पूरा किया जाय इसकी पूर्ति के लिए संकल्प एक रास्ता है। इस संकल्प पर कोई विरोध होने का सवाल ही नहीं है। यहाँ से सर्वसम्मति से पारित होना चाहिए।

श्री राम जी राम—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह संकल्प जो हमारे सम्मानित सदस्य श्री वर्मा जी ने पेश किया है मुझे बड़ा ताज्जुब होता है कि वैसे मैं इनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन इन्होंने देर कर दिया। अच्छा होता कि यह उस समय पेश करते जब यह यू0 पी0 में कैबिनट के मेम्बर थे। खैर देर आयद दुरुस्त आयद लेकिन प्रस्ताव अधूरा पेश किया है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह हरिजनों की जगह को कम करने का प्रस्ताव है। मैं हरिजन हूं इसलिये मुझसे ज्यादा दर्द आपको नहीं है।

(व्यवधान)

मान्यवर, जब मैं पार्लियामेंट में मेम्बर था और शिड्यूल कास्ट एवं शिड्यूल ट्राइब वेलफेयर पार्लियामेंट कमेटी का सदस्य था तो मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि बाल्मीकी और मेहतरों की पोस्ट को गजटेड कर दिया जाय और 500 से 1200 रुपये उनका वेतन कर दिया जाय, तो हमारे विरोधी दल के सदस्यों में से किसी सदस्य ने उस प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। इसलिये मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने जो प्रस्ताव रखा है वह हरिजनों को केवल बरगलाने वाला प्रस्ताव है। अब हरिजन उससे आगे बढ़ गये हैं इस प्रस्ताव से हरिजनों की नौकरी कटेगी।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

यह घोषणा आप अपने क्षेत्र में करें।

श्री राम जी राम—

अब मैं एक शेर कहना चाहता हूं—

हमने तेरा जुनू भी देखा है, आलमे पुर सकूं भी देखा है ।
कितना परवर है हर अदा तेरी, तुमको मैंने यूं भी देखा है और यों भी देखा है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व प्रधान मंत्री, चौधरी चरण सिंह जो पिछड़े वर्ग के मसीहा कहे जाते हैं, संविधान के आर्टिकिल 335, जिसका अभी मा0 सदस्य ने उल्लेख किया था कि—इफीशिन्सीआफ एडमिनिस्ट्रेशन—के ऊपर घड़ियाली आंसू ही बहाए होते और इस प्रस्ताव को जो सिर के बल खड़ा है, नेता विरोधी दल पेश किये होते और शासक दल की सम्मति से पेश किया होता ठीक होता लेकिन ऐसा नहीं किया। मान्यवर, मान लिया कि इस प्रस्ताव के जरिए इंटरव्यू में शिड्यूल कास्ट के मेम्बर बिठा दिये जायं लेकिन परीक्षा में शिड्यूल कास्ट के लड़के ही फेल हो गये तो क्या फायदा होगा । इससे अलगाव की भावना पैदा होगी, इसलिये हरिजनों को उनके रास्ते पर ही उनको तरक्की करने दें । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आज हरिजनों के साक्षात्कार में हरिजन मेम्बर बैठाने का प्रस्ताव पेश करके, जो कि कानून अनुचित है, हरिजनों में चीप पापुलेरिटी गेन करने की यह बात करना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सही तौर से आयें और इस प्रस्ताव को वापस ले लें और कहें कि अगर साक्षात्कार कमेटी ही बनानी है तो उसमें पांच तबके के लोग हों एक हरिजन, एक बड़ी जाति का ब्राह्मण, ठाकुर जाति के जैसी आपकी मनशा है, एक मुस्लिम, एक पिछड़ी जाति का, पांच लोग इन्टरव्यू कमेटी में बैठे और हरिजन को इन्टरव्यू कमेटी का चेयरमैन बनाया जाय, उसको अख्तियार दिया जाय। तब मैं समझता हूं कि आपको दर्द है हरिजनों के लिए और ये घड़ियाली आंसू बहाकर हरिजनों का गला काटा जाय खुदा के वास्ते उन पर रहम कीजिए ।

मैं कहना चाहता हूं कि यदि कांग्रेस पार्टी के अन्दर, कांग्रेस के नेताओं के अन्दर इस बात की लगन और इस बात का दर्द नहीं होता, संकल्प नहीं होता तो बाबासाहब डाक्टर अम्बेदकर जैसे धुरन्दर विद्वान को जो शिड्यूल कास्ट के थे ड्राफ्ट कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया जाता । लोग कहते है कि तीस साल के अन्दर कांग्रेस ने क्या किया । कांग्रेस के तीन चौथाई लोग तो उधर हैं उनको मिलाकर जोड़िये । वे लोग भी तो जिम्मेदार हैं। बाबू जगजीवन राम जिम्मेदार हैं, चौधरी चरण सिंह जिम्मेदार हैं मोरारजी देसाई जिम्मेदार हैं, बाबू चन्द्र शेखर जिम्मेदार हैं, तथा कथित जितने भी कांग्रेसी लोग उस समय थे। इसलिये मैं कहता हूं कि (व्यवधान) महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में स्पष्ट संकेत किया गया है और हम उस संकल्प को पूरा करने वाले हैं.....(व्यवधान) (शोर) आप शैड्यूल कास्ट, सैड्यूल्ड ट्राइब का नाम इसलिये ले रहे हैं कि उसके पीछे आपकी बेईमानी छिपी है, पिछड़े वर्ग का संरक्षण आपको चाहिए, प्रदेश का विभाजन आप कराना चाहते है और वर्ग संघर्ष को भड़काना चाहते हैं.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

माननीय अधिष्ठाता जी, एक ही विषय पर एक ही माननीय सदस्य को आप दो बार बुला रहे हैं। यह बैठ गये थे।

श्री अधिष्ठाता—

उनके भाषण के मध्य व्यवधान किया गया था।

श्री राम जी राम—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने ऐसे गंभीर प्रश्न पर एक ऐसे गंभीर संकल्प पर जो गलती से हमारे सम्मानित सदस्य की तरफ से पेश किया गया

[श्रीराम जी राम]
बोलने का मौका दिया मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह इस गलत प्रस्ताव को वापस ले लें और खुदा के वास्ते हरिजनों को अपनी तरक्की के लिए छोड़ दें, "सुतुन दार पे रखते चलो सरों के चिराग, जहाँ तलक यह सितम की सियाह रात चले।" यह हरिजनों ने समझ लिया है चाहे आप हों चाहे इस दल के लोग हों। जो लोग अत्याचारी है, जो आततायी है, जो हरिजनों को इन्सान नहीं समझते हैं, उनकी तरक्की नहीं चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी के संकल्प को नहीं समझते हैं, यह कांग्रेस पार्टी इसलिए खड़ी है कि वह ऐसे लोगों और विचारों के खिलाफ, भावना के खिलाफ डटकर मुकाबला करेगी। कांग्रेस पार्टी के सहारे ही, उसके संकल्प से ही हरिजनों की समस्यायें हल हो सकती हैं यह कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय परम्परा है। आप सूरज को चिराग दिखलाने का बहाना ढूंढ़ रहे हैं। आप इस संकल्प के जरिये रोड़ा अटकाना चाहते हैं। इससे पहले जो भाषण हुए हरिजनों के बारे में उनमें बलात्कार, बलात्कार की आवाज गूंज रही थी। यह बलात्कार करने वाले कौन है। यह समाज में कोढ़ है। उसको ठीक करना होगा। इंटरव्यु लेने वाले, इम्तिहान लेने वाले कौन हैं? इस प्रशासनिक इकाई में आपके भाई भतीजे भी हैं। तो मैं यह सफाई के साथ कहना चाहता हूं जैसा कि इस संकल्प द्वारा चाहा गया है शेड्यूल कास्ट के लोगों की समस्यायें हल हो रही है।

यह तो जागरण है जिसमें बहुत से वाकयात होंगे। ऐसे जागरण और संघर्ष के द्वारा ही जो अराजक तत्व हैं समाज के उनको दबाया जा सकेगा। यह जो आई0 ए0 एस0 तथा आई0 पी0 एस0 अधिकारी हैं जो इम्तिहान लेते हैं इनमें कुछ असामाजिक तत्व भी हैं जिनकी भावनायें कुंठित हो गयी हैं, इत्तिफाक से वह ऊंचे पदों पर पहुंच गये हैं, कमेटियों में पहुंच गये हैं जिनकी वजह से हरिजनों को पूरे अधिकार नहीं मिल पाते हैं उनके खिलाफ जद्दोजेहाद और हमको आपको करना चाहिये, तभी मैं समझ सकूंगा कि आपका दिल बहुत साफ है। इसलिये मै इस प्रस्ताव का डटकर विरोध करता हूं। यह बहुत वाहियात प्रस्ताव है, बरगलाने वाला प्रस्ताव है, अधूरा प्रस्ताव है तथा हरिजनों को गुमराह करने वाला प्रस्ताव है, लिहाजा इसका विरोध करता हूं। आपके दिल में उनके लिये अगर विशेष कसक थी तो आपको भी सरकार में रहने का मौका मिला था, आप उनके लिये उस समय कुछ करके दिखाते और इस तरह यह घड़ियाली आँसू बहाना छोड़ दें।

*श्री चेतराम गंगवार—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण मामले पर बोलने का अवसर दिया। सभी लोग इस बात से परिचित हैं कि श्री रामस्वरुप वर्मा के दिल में अनुसूचित, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग एवं दबे हुए वर्ग के प्रति एक विशेष कसक रही है। आपको वित्त मंत्री की हैसियत से सरकार में भी रहने का मौका मिला था लेकिन वह सरकार ज्यादा दिन चल नहीं पाई थी लेकिन फिर भी ऐसा नहीं था, उन्होंने हरिजनों के लिये कुछ न किया हो। इस बात को भी आप जानते हैं कि पिसे हुए लोगों की बात जब की जाती है तो जो कुछ ऊंचे उठे हुए लोग हैं जो अपने को सवर्ण कहते हैं, जो अपने को शिक्षित कहते हैं उनको बुरा लगता है और मैं तो कहूंगा कि यही वजह थी कि बाकायदा आप विधान सभा में चुनकर आये थे लेकिन आपके खिलाफ यह आदेश हुये कि जिससे आप 7 साल तक इलेक्शन ही न लड़ सकें और विधान सभा में न बैठें। लेकिन जिसकी जैसी आदत होती है वह वैसी ही रहती है। इस संकल्प को देखकर मुझे खुशी हुई कि आपने अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह जो करना चाहिए था वह किया। मेरे पास एक छोटी सी पुस्तक है। मैं कुछ आँकड़े देना चाहूंगा। फर्जी बात नहीं करता। यह 1978 तक की रिपोर्ट है। यह पुस्तक यही विधान पुस्तकालय में है और यह अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संख्या की सूचना इसमें दी गई है जैसा कि 1 जून, 1978 को थी जिसमें राज्याधीन सेवाओं और सेवा निगमों की संख्या और उसमें कार्यरत लोगों की संख्या दी गई है। मान्यवर, सरकारी कर्मचारियों की सेवा श्रेणी नम्बर 1 में सारे प्रदेश में 3800 हैं। इसमें 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लोग होने चाहिए। आज पूरे प्रदेश में देखा जाय तो शिक्षा का कितना विस्तार हुआ है हर मुहल्ले और हर गाँव में। आप अपने ही क्षेत्र में देखें मान्यवर, गाँव-गाँव में इन्टरमीडिएट ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट मिलते हैं।

मान्यवर, इस श्रेणी एक में 3800 में से केवल 106 आदमी इसमें रखे गये हैं सन् 1978 तक। जबकि 18 प्रतिशत इसका होना चाहिए। यानी केवल 2.79 प्रतिशत हुआ। यह तो अनुसूचित जाति की संख्या है। अनुसूचित जनजाति की ओर ज्यादा है। 2 प्रतिशत के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए लेकिन केवल 3 आदमियों को एप्वाइन्ट किया है और इस तरह से केवल .008 ही इसमें किया है यानी जितना होना चाहिए था उसका हजारवाँ हिस्सा है। मान्यवर, अब श्रेणी (ख) में देखे। इसमें कुल संख्या 15,550 है। इसमें 18 प्रतिशत होना चाहिए था, इसमें कुल 688 आदमियों को ही पोस्ट कर पाये जिसका प्रतिशत केवल 4.43 आता है। अनुसूचित जनजाति में 2 प्रतिशत होना चाहिए था उसमें केवल 49 आदमियों को ही पोस्ट किया गया। इसका प्रतिशत .32 है। यह पहली श्रेणी से कुछ ज्यादा है। अब श्रीमन्, समूह (ग) यानी श्रेणी सी० देखिये. .....(व्यवधान)। आप कृपया धैर्य से सुने। महिलाओं का प्रतिशत तो बिलकुल भी नहीं है। शून्य है। श्रेणी 3 में कुल संख्या है 2,45,511 है। इसमें से 18 प्रतिशत अनुसूचित जाति के होने चाहिए लेकिन यह प्रतिशत केवल 8.18 है।

अनुसूचित जनजाति में 2 प्रतिशत होना चाहिए जबकि केवल .22 प्रतिशत लोगों को नियुक्त किया गया है यानी इसमें केवल उसका 20वाँ हिस्सा आता है। अब श्रीमन्, मैं समूह (4) को लेता हूं। श्रेणी 4 में सवर्णों का भी इस्तेमाल कर दिया है जिसमें पिछड़ी जाति के लोग भी आते हैं। इसमें ज्यादातर सफाई वाले आते हैं। मैं कहता हूं कि सवर्ण और बैकवर्ड जिनके ठेकेदार चौधरी चरण सिंह कहे जाते हैं। अगर ये सब लोग धैर्य रखते तो जैसे उन्होंने कसम खाई थी चाहे बापू की समाधि पर कसम खाई हो या गवर्नर साहब ने शपथ दिलाई हो, चाहे विधायकों को हमारे अध्यक्ष जी ने तीन दिन पहले श्री धर्म सिंह जी ने शपथ दिलाई हो अगर हम उसकी कद्र करते या जरा भी हया या शर्म होती तो इस सरकार के अन्दर तो इस चतुर्थ श्रेणी में सारे इन लोगों को एपोइंट किया जाता। जो दबे और पिसे है जिनको रोटी खाने को नहीं मिलती है उन अनुसूचित जातियों और जन जातियों को कोटा यह सरकार नहीं दिला पाई। माननीय मंत्री जी, सीतापुर यहाँ बैठे है वह पहले भी मंत्री रह चुके हैं।

एक सदस्य——

मैं एक जानकारी चाहता हूं जो आँकड़े वह पेश कर रहे हैं उसमें ऐसे आँकड़े भी पेश करें कि इन जाति के कितने लोग बेकार हैं, आज उनको कितनी छूट दे रखी है, शराब पीयें और क्राइम करें।

श्री चेतराम गंगवार——

आप बैठें, आपको मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता——

माननीय सदस्य बैठें।

[श्री चेतराम गंगवार]

मैं यह जो कह रहा हूं वह माननीय सदस्य की समझ में नहीं आयेगी। यहां लखनऊ में कोई दूकान नहीं खोली है। मैं कह रहा था कि इसके भी चतुर्थ श्रेणी में भी 18 प्रतिशत नहीं दिया है इसमें भी 15 प्रतिशत है। हमारे जो कंजर, बंजारे और घाते आदि के लोग हैं वह 0.36 पर चले गये जो कि 2 परसेंट होने चाहिये। मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूं कि आज पढ़े लिखे लोगों की देश और प्रदेश में कमी है। यह हालत सरकारी नौकरियों में है जिसके बारे में 425 ठेकेदार हैं जो सजग रहते हैं, भगवान की कृपा से जिनको लोगों ने चुन कर भेजा है उनकी ठेकेदारी के बाद भी यह हालत है।

आज एक, दो और तीन श्रेणी भी उनकी संख्या 8 प्रतिशत से अधिक नहीं हो पायी है। केवल चौथी श्रेणी में 15 प्रतिशत है जबकि आदेश रहते हैं कि जब तक कोटा पूरा नहीं होगा 25 और 30 परसेंट तक हों। ऐसे आदेश सरकार के रहे हैं माननीय बहुगुणा जी के समय में, माननीय कमलापति त्रिपाठी के समय में और फिर चौधरी चरण सिंह के समय में उनकी पुनरावृत्ति हुई है। इसके बावजूद भी जो लोग सलेक्शन करते हैं, जो कुर्सियों पर बैठे हैं उन्होंने इन दबे पिसे तबके के लोगों को 8 परसेंट से अधिक नहीं घुसने दिया है। इसका क्या कारण है इसका कारण यह है कि जो हमारे हेड्स हैं वह नहीं चाहते हैं। माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी की बात कहते हैं तो क्या वह नहीं चाहते हैं कि हरिजन न आयें, उनके ही यहां चीफ मिनिस्टर बैठे थे उन्होंने आदेश कर दिये, माननीय चौधरी चरण सिंह ने आदेश कर दिया लेकिन उनका पालन नहीं हुआ।

जो जनता के नुमाइन्दे हैं उनके मन में इस बात की इच्छा थी वह इस बात को चाहते थे। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि इसमें कमी किस की रही। कमी रही प्रशासकों की जो चयन करते हैं। मुझे शर्म आ रही थी जब हमारे दोस्त अभी कह रहे थे खडे होकर कि एक सवर्ण हो, एक वह हो एक फलां हो और एक ब्राह्मण हो। अरे भाई क्या इसमें हवन करना है। या कोई बच्चा पैदा हुआ हो और उसका नामकरण करना हो। अगर हरिजनों को अपनी जगह पर बैठाना है तो जो माननीय वर्मा जी संकल्प लाये हैं वह सही हैं। इन तीस वर्षों में साफ हो गया है कि जब तक इन जगहों को भरने के लिए इन्हीं व्यक्तियों के लोगों को उनका सेलेक्शन करने के लिये जब तक नहीं बिठा देते, तब तक इन जगहों की पूर्ति सम्भव नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। वर्मा जी के कहने का कभी मतलब यह नहीं था कि अपने भाई-भतीजों को भर दें। यहां कोई टिकट नहीं बंट रहा है एम0 एल0 एज0 बनाने के लिये जो भाई-भतीजों को दे दिया, लड़के–बहू को दे दिया पोतों को दे दिया और उसकी बहू को दे, दिया, पूरे खानदान को भर दिया या जिसने हवाई जहाज चुराया है या आग लगाया है उसको भी टिकट दे दिया। इस संकल्प का सीधा साधा मकसद यह है। मैं आपको बताऊं, श्रीमन्, इसमें 307 का भी एक सुलजिम है। वह एक डाक्टर को मारने के लिए अपने 20 आदमियों के साथ गये थे और अपने साथियों से कह रहे थे मारो, मारो, मार डालो इस डाक्टर को।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

पहले आप अपने चरित्र को देखें फिर दूसरे के बारे में कहें।

श्री चेतराम गंगवार—

ईश्वर करे आप भी वैसे हो जाएं, जैसा मैं हूं।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आप यह बताएं कि पार्टी में रहकर आपने वोट किसको दिया ?

श्री चेतराम गंगवार—

हालाँकि यह बताना नहीं चाहिए, इसमें सीक्रेशी रहनी चाहिए। लेकिन वह भी मैं आपको बताए देता हूं। मैंने माता प्रसाद जी को फर्स्ट प्रिफरेंस दिया और चौधरी राम सेवक जी को दिया। जो हमारे वोट्स के हकदार थे, वास्तव में हमनें उनको ही विधान परिषद और राज्य सभा दोनों में वोट दिया है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य इसको न कहें तो अच्छा है।

श्री चेतराम गंगवार—

ठीक है। मेरे पास 27 कारपोरेशनों की लिस्ट है। उत्तर प्रदेश स्टेट टैक्सटाइल कारपोरेशन में 54 आदमियों के स्थान थे, किन्तु इन जगहों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का एक भी व्यक्ति नहीं था। उत्तर प्रदेश सीमेण्ट कारपोरेशन, चुर्क में 17 जगह हैं, उसमें भी अनुसूचित जाति का केवल एक है, यानी 6 परसेंट है, जबकि उसमें कम से कम 3 आदमी होने चाहिये थे। डाला सीमेंट फैक्टरी में एक भी नहीं, हालाँकि 20 जगहें इसमें है। उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम में 20 जगहें हैं, लेकिन उनमें कोई भी अनुसूचित जाति और जनजाति का व्यक्ति नहीं है। उ० प्र० जल निगम में 224 जगहें हैं, लेकिन इन जातियों के केवल दो व्यक्ति हैं।

एक सदस्य—

क्या यह आँकड़े लोकदल की सरकार के हैं?

श्री चेतराम गंगवार—

इसी तरह से राज्य पर्यटन विकास निगम, राज्य भण्डारागार निगम और पूर्वांचल विकास निगम में भी इनकी यही हालत है। इन 8 निगमों में 100 स्थान हैं लेकिन कोई अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का नहीं है। राज्य खाद्य वस्तु निगम में केवल एक आदमी नियुक्त किया जा सका है। उत्तर प्रदेश निर्यात निगम में 6 स्थान थे, उसमें एक भी आदमी एप्वाएन्ट नहीं किया जा सका है। उत्तर प्रदेश ब्रासवेयर निगम, मुरादाबाद में 3 स्थान थे, कोई भी इनमें से वहाँ आदमी नियुक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम में 24 स्थान थे, लेकिन कोई भी स्थान उनके द्वारा नहीं भरा गया है।

(इस समय 3 बजकर 30 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इन्डस्ट्रियल ऐन्ड इंवेस्टमेंट कारपोरेशन में कोई स्थान नहीं है। क्षत्रीय विकास परियोजना गन्डक नहर, गोरखपुर में एक आदमी को रखा है, मगर जो प्रतिशत होना चाहिये था वह पूरा नहीं है। उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्रीय विकास निगम, लखनऊ में कोई स्थान नहीं दिया गया है। गोरखपुर मंडल विकास निगम में कोई स्थान नहीं है। राम गंगा कमान्ड प्रोजेक्ट, कानपुर में भी प्रथम श्रेणी में कोई स्थान नहीं है। सार्वजनिक निर्माण, पर्यटन व परिवहन निगम में 59 में से 5 स्थान मिले हैं जो 8 प्रतिशत के करीब है। इस प्रकार आप देखेंगे तो मिलेगा कि 27 निगमों में से केवल 7 निगम ऐसे हैं जहाँ अनुसूचित जाति के लोगों को कुछ स्थान मिले हैं, बाकी 20 निगमों में संख्या शून्य है। सरकारी नौकरी में तो इनका प्रतिशत करीब 8 हो गया है, पर निगमों में यह कुछ प्वाइन्ट्स में ही होगा।

(व्यवधान)

माननीय राम नरेश यादव जी ने बैकवर्ड क्लास का प्रतिशत 15 कर दिया तो कांग्रेस वाले लड़ते हैं, कहते हैं कि हमने किया। नारायणदत्त जी ने किया। अरे आप 32 साल में जब 18 परसेंट पूरा नहीं कर पाये तो यह 15 प्रतिशत तो धोखा देने वाली बात

[श्री चेतराम गंगवार]

है, यह हजार वर्ष में भी पूरा होने वाला नहीं है। क्लास फोर में भी यह पूरा नहीं होगा। यहाँ तो आप देखें कि चिराग तले ही अन्धेरा नजर आ रहा है, इस मंत्रि मंडल में अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति नहीं लिया गया है। एक बहुत पुराने साथी हैं जो पार्लियामेंटरी बोर्ड में भी रहे हैं, पार्लियामेंट में भी रहे हैं, यहाँ के भी सदस्य रह चुके हैं, उनको शामिल भी किया गया है तो उनको विभाग कोई नहीं दिया गया है और उनको स्टेट मिनिस्टर बनाया है। यह है कारगुजारी आपकी। यह सरकार तो सौतेलेपन का व्यवहार करती है उनके साथ।

हमारे यहाँ भोजीपुरा एक जगह है, वहाँ कन्वनपुर नाम का एक गाँव हैं। उसमें कन्जड़ जाति के लोग रहते हैं। यहाँ एक हरिजन की पत्नी के साथ पुलिस वालों ने बलात्कार किया, उसे उठाकर थाने ले गये और जब उसके पति ने शिकायत की तो उसे भी थाने ले जाकर मारा पीटा और उसकी डैड बाडी आज तक नहीं मिली। ..... (व्यवधान) आप लोग जो राजे महाराजे हैं या उनके पुत्र हैं, आपके दिलों में उनके प्रति दर्द कहाँ हो सकता है। आपके दिलों में तो हरिजनों के लिये दर्द है ही नहीं। तो मान्यवर, हमारी मंशा इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। एक शेर है—

ऐसी मुहब्बत है तो जुबाँ पर न लाओ,
लौट दो सातों जहाँ आज ही कयामत ढाओ।"

तो आप इस संकल्प को पास कर दीजिए, अगर आप चाहते हैं कि सब जगह अनुसूचित जाति की परसेंटेज 18 प्रतिशत हो जाय। अगर आप चाहते हैं कि स्वप्न बापू का साकार हो और चाहते है कि प्रदेश के लोगों को वाकई में रोजी-रोटी मिले और जो बहुत ही गरीब हैं, भिखारी हैं और जो खानाबदोश है, उनको रोजी रोटी मिले, तो इस संकल्प को पारित होने दीजिये। मैं फिर माननीय वर्मा जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री श्याम नारायन तिवारी—

आपको चरित्र सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं 2-3 दिन से यह देख रहा हूं कि माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं उसके द्वारा वे यहाँ की प्रजातांत्रिक प्रणाली पर प्रकाश डालेंगे। लेकिन वे ऐसी बातें कर रहे हैं कि विधान सभा कार्यवाही पढ़ने वाले सिवाय इसके कि वे हमारी स्पीचेज पर हंसें और उनको कुछ मिल ही नहीं सका। मान्यवर, आज जो सम्मानित सदस्य, संकल्प प्रस्तुत करने वाले भाई रामस्वरूप वर्मा जी हैं, उनके संकल्प को मैंने पढ़ा, तो मेरे मन में उनका पिछला इतिहास जो हाई कोर्ट के मुकदमें में उभरा चाहे वह कहानी जो कानपुर की सड़क और वहाँ के गाँवों में बोली जाती हो, चाहे वह प्रदेश के किसी कोने में चर्चा का विषय रहा हो, वह बातें हमारे सामने में उभर कर आयीं। तो मैंने समझा कि उस संकल्प के पीछे उनका कुछ भाव होगा जिसके द्वारा परेशान होकर उन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है।

मान्यवर, वह मेरे बुजुर्ग हैं, मजाक नहीं कर सकता, लेकिन मैं उनको प्रसन्न करने के लिए कह सकता हूं कि इसके पीछे कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना है। तो यह उनका निशाना है। मान्यवर, अगर इसको पास कर दिया जायगा, तो उसका क्या परिणाम होगा ? उसका परिणाम यह होगा कि एक जाति विशेष के लोगों को चुनने के लिये एक जाति विशेष के लोग इकट्ठा हो जायेंगे तथा एक सूची बनानी पड़ेगी। आज आपने यह कहा, कल आप यह कहेंगे, जिस पर सम्मानित सदन ने इसके पहले एक कानून पास करके एक व्यवस्था की है, तो आप उसमें भी संशोधन करेंगे।

मान्यवर, रिजर्वेशन हरिजनों का किया गया था तो उनके लिए आपने वहाँ की जाति विशेष के लोगों को चुनने के लिए कर दिया। तो आप यह कहेंगे कि बैकवर्ड के लोगों को चुनने के लिए ऐसा ही कुछ कर दिया जाय। अगर हरिजनों के रिजर्वेशन का

कोटा पूरा नही है, तो उसमें जो भी शासन रहा हो, वह दोषी है, चाहे वह लोक दल का शासन रहा हो, चाहे वह शासन जिसमें माननीय चेतराम गंगवार जी मंत्री रहे हों, सब दोषी है। लेकिन जब आप आँकड़े पेश करते है, तो 77 का आँकड़ा पेश करते हैं 80 का नहीं पेश करते हैं। आप 77 का आँकड़ा पेश कर रहे थे कि किन सेवाओं में कितना प्रतिशत आरक्षण रहा है। 80 में कितना बाकी रहा यह भी बताते। अगर अनुपात को पूरा करने के लिए जातिगत भावना को उभाड़ा जायेगा तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मान्यवर, यह देश और यह प्रदेश टुकड़े-टुकड़े में बट जायेगा यह उत्तर प्रदेश जाति और वर्ग के रुपों में बट जायेगा। आप एक जाति को दूसरी जाति से लड़ा रहे हैं, एक जाति को दूसरी जाति का दुश्मन बना रहे हैं। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि यह हरिजनों के प्रति क्रोकोडाल टीयर्स, इस घड़ियाली आँसू बहाने का जो यह प्रयोजन बना है, जैसा कि हमारी बहन महारानी दोहरे और हमारे भाई राम जी राम ने कहा आप उनके दर्द को क्या समझेंगे। हरिजन वर्ग की सर्विस दिलाने के लिये इण्टरव्यू में हरिजन वर्ग का एक अधिकारी बैठेगा तो और क्या यह योग्यता और अयोग्यता को नहीं देखेगा। उस समय योग्यता और आयोग्यता का सवाल उठेगा उसमें सुटेबिलिटी और अनसुटेबिलटी को देखना पड़ेगा।

मान्यवर, हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, हरिजन वर्ग के कुछ लोग सम्मानित सदस्य है। वह जिस बोर्ड में बैठते हैं इण्टरव्यू के लिये उसमें सवर्णो और सभी वर्गों के लोगों को चुनते हैं। अगर सवर्ण यह माँग उठाये को उन्होंने चुनाव में सवर्ण के साथ गड़बड़ी किया तो क्या होगा। अगर आप प्रजातंत्र की पद्धति के द्वारा कुछ जोड़ने की मंशा रखते हैं। यह आपका संकल्प है जो वैसे तो यह सम्मानित सदन पास करने की गलती नहीं करेगा लेकिन अगर पास करने की कल्पना भी करे तो उस पर विचार करते हुये यहाँ पर बहुत सी बातों पर गौर करना पड़ेगा। आप जब किसी बोर्ड को बनाने क लिये उसको दो भागों में बाट देंगे। एक वर्ग इन्टरव्यू देने वाला होगा और दूसरे वर्ग इन्टरव्यू लेने के लिये होगा।

मान्यवर, अनुसूचित जाति और जनजाति में बहुसंख्यक चमार होगा, उसमें भंगी भी होगा। उसमें भंगी को आपत्ति पैदा हो सकती है हमारा रिप्रजेन्टेशन चमार जाति के लोग ठीक से नहीं कर रहे है तो इसलिये मेरे जाति का आदमी बोर्ड में रखा जाय। तो मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप कल्पना करें आपके संकल्प पर विचार करें और उसका प्राविधान बना तो प्रदेश का क्या स्वरुप होगा। जब लोग बैठेंगे तो कहेंगे मान्यवर, गवर्नमेंट में किस जाति का मिनिस्टर हो उसी जाति का काम करेगा और उसी जाति का अधिकारी हो।

मान्यवर आपका अधिकार छिन जायेगा और यह होगा कि जिस जाति का मामला हो अगर हरिजन का मामला है तो हरिजन ही बोलेगा और कोई नहीं बोल सकता है। मैं संविधान की व आपकी किताबें पढ़ता था तो मेरी आपके बारे में कल्पना तरह-तरह की रही है, अच्छी ही रही है। जो संविधान में फन्डामेंटल राइटस, मौलिक अधिकार की विवेचना की गई है। आप मौलिक अधिकार की विवेचना में ध्यान द जिसमें आर्टिकल्स 15 में इक्वालिटी की बात कही गई है। किसी विशेष जाति के लोगों को चुनने के लिये उसी जाति का बोर्ड हो यह नहीं है। मान्यवर, मैं उम्मीद करता था कि आपको सुनकर ज्ञान होगा और आशा करता था कि विचार करेंगे कि आज इस प्रदेश में कर्मचारियों की कार्यकुशलता क्यों गिर रही है। क्यों घट रही है। यह आप तय करेंगे। इस प्रदेश का कौन सा रुप है, जिससे लोगों में असतोष पैदा हो रहा है। और इस बात को भी प्रस्तुत करूंगा कि यहाँ पर गड़बड़ियाँ और खामियाँ क्यों रह गयीं। वह इसलिये कि आपने जातिवाद को उभारने और भड़काने के लिए योजना तैयार कर हरिजनों में अपना

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी]

प्रेमदर्शाने के लिए 15 प्रतिशत का रिजर्वेशन आपने कर दिया। और जब आपने यह देखा कि हाईकोर्ट ने यह फैसला दे दिया कि संविधान के अनुसार 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता तो आपने 15 प्रतिशत का रिजर्वेशन दे दिया ताकि यह वर्ग आपकी प्रशंसा में लग जाये। इसीलिए आप अपने नाम के लिए सदन में यह संकल्प ले आये कि जहाँ कहीं इन्टरव्यू हो तो उसमें एक मेम्बर अनुसूचित जाति का होना चाहिए।

श्री ऊदल—

मान्यवर, मैं एक बात आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। कोई छेड़खानी मुझे नहीं करनी है। मैं आपके भाषण पर धन्यवाद देना चाहता हूं और यह जानना चाहता हूं कि क्या आपको यह जानकारी है कि श्री नारायणदत्त तिवारी जी की सरकार के दौरान, अम्मार साहब यहाँ बैठे हैं, जिसमें यह भी मंत्री थे। इन्होंने ही 15 प्रतिशत का रिजर्वेशन किया था। यदि आपको जानकारी न हो तो अम्मार साहब से पूछ लीजिये। गलतफहमी में न रहिए।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं मान्यवर, आपसे यही कहलाना चाहता था। क्योंकि बाहर तो आप यही कहते हैं कि मैंने 15 प्रतिशत का आरक्षण किया। और जब आप चुनाव के दौरान अपनी कान्स्टयूनसी में गये तो इसी का हवाला देकर चुनाव लड़े हैं। इसीलिए मान्यवर, इसको मैंने कहा और यही चाहता था कि आप इसको मानें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे सम्मानित सदस्य का यह मनसा कभी भी नहीं रहा होगा कि इस प्रदेश में जो संकल्प उनके द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा, उसमें समाज में विद्वेश पैदा हो। हाँ मैं भी यह जरूर चाहता हूं कि हरिजनों के प्रति जो रिजर्वेशन निर्धारित हुए हैं, उनका कोटा यदि कहीं पूरा नहीं हुआ है, तो क्यों नहीं पूरा हुआ है और किस वजह से पूरा नहीं किया गया है। जहाँ आप सब बातें कहते हैं वहाँ आपको माननीय मुख्य मंत्री, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की प्रशंसा भी करनी चाहिए थी कि शासन संभालने के प्रारम्भ में ही समस्त विभागों को खासकर निर्देश दे दिये थे कि जब भी किसी जगह इन्टरव्यू या इम्तिहान हो, उनमें अगर हरिजनों का कोटा पूरा नहीं किया जायेगा तो संबंधित अधिकारी इसका जिम्मेदार होगा। इस बात की आपको प्रशंसा करनी चाहिए थी लेकिन आपने प्रशंसा नहीं की। यह वही नाटक आपने बना रखा है। जैसे एक ही आदमी यदि रावण जैसे कपड़े पहन ले तो रावण बन जायेगा। और यदि वही दूसर कपड़े पहन ले तो सुग्रीव बन जायगा। जब आप शासन में थे तब आपने इसके लिए क्या किया। आपके प्रस्ताव में ऐसी कोई गम्भीरता नहीं है, जिससे बाहर के लोग उससे प्रभावित हों, जिसमें आपकी प्रशंसा हो। जनता तो केवल काम देखना चाहती है, बातें और केवल नारे नहीं चाहती। और यह लोग हमारे बारे में क्या बातें करते हैं। इसे सोचें इस लिए, मान्यवर आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है श्री रामस्वरुप वर्मा जी से कि जो आपने इस संकल्प को पेश किया है, उसको पास न करायें।

एक सदस्य—

आप भी वोट करेंगे ?

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मैं यह नहीं जानता कि आपका मंशा क्या है, बात क्या है। संकल्प के रुप में वर्ण व्यवस्था इस देश से समाप्त हो, इसमें संविधान एक मत है, एकराय है। हर वर्ग समान दृष्टि से देखा जाये। लेकिन हर ऐक्शन का रिऐक्शन होता है। बैक वर्ड—बैक वर्ड हरिजन हरिजन कहते हैं और दूसरे लोग जो दूसरी जाति की बात कहने लगते हैं। इस लिए जातिवाद समाप्त करने के लिये आप के सिद्धान्तों, मान्यताओं के नाम पर होने वाली कोई बात चाहे किसी के लिए हो, कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। मान्यवर, आपके बारे में नहीं कर सकता क्योंकि सम्मानित न्यायालय में जाति के निर्धारण में कुछ निर्णय भी

लिये गये हैं। आप उससे सहमत हो या असहमत, मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस देश के लोग सम्मानित न्यायालय के आदेश का पालन करते हैं लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप ऐसा कार्य न करें जिसे जातिवाद का घिनौना स्वरूप प्रदर्शित हो। इस लिए आप अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लें।

उन्नाव में हुई बलात्कार की घटना से संबंधित महिला की सचिवालय परिसर में मौजूदगी की सूचना एवं संरक्षण की मांग

श्री मोहन सिंह---

माननीय, मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूं कि जो घटना यहां कल उठी, उन्नाव की है। एक हरिजन महिला के साथ पुलिस ने बलात्कार किया था। वह आपके परिसर में आयी है। उसको संरक्षण प्रदान करना आपका दायित्व है। आप निर्देशित करें गृह सचिव को कि सुरक्षा प्रदान करें।

(व्यवधान)

केवल उसकी सुरक्षा की व्यवस्था हो जाय। अगर आप संरक्षण प्रदान नहीं करेंगे तो यह उचित नहीं होगा।

(व्यवधान)

एक सदस्य---

एस0 डी0 एम0 ने कलेक्टर ने गलत रिपोर्ट भेजी है। लड़की आयी हुई है। हमें आशंका है कि कहीं वह उसे उठा न ले जायें।

एक सदस्य ---

हम सदन के बाहर क्या हो रहा है उस पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं ?

श्री मोहन सिंह---

परिसर की बात है माननीय, सचिवालय के परिसर में महिला आयी हुई है।

श्री अध्यक्ष---

आपने बात कही। सब सदस्यों ने, मंत्रीगण ने सुनी, उनके सामने बात आ गयी।

(शोर)

श्री अम्मार रिजवी---

जैसा आपका आदेश है, गृह सचिव को अभी आदेश दिये जा रहे हैं कि वे स्वयं उनसे मिलें और पूरा प्रोटेक्शन दें।

श्री सच्चिदानन्द---

माननीय, यह उन्नाव का प्रश्न है। मैंने अखबार में देखा कि नवाबगंज....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

एक संकल्प पर विचार चल रहा है। उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं हो सकता है। माननीय सदस्यों ने खड़े होकर सूचना दी। मैं उस पर कोई विचार नहीं करना चाहता था। मंत्री जी शायद खड़े हुए और जवाब दिया। अब संकल्प पर भी चर्चा जारी हो।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी---

उसी सूचना के सम्बन्ध में अगर कोई और सूचना उसी क्षेत्र के विधायक देना चाहते हैं उसको भी सुन लें। मैं समझता हूं कि उनको भी सुनना निहायत जरूरी है इसलिए आप उनको भी इजाजत दें। हो सकता है कोई और बात हो जिससे आपको निर्देश देने में सुविधा हो।

श्री अध्यक्ष—

उस सूचना के उपरान्त मैंने उनको बैठा दिया। मैं कोई उस पर व्यवस्था नहीं देना चाहता, कोई निर्देश नहीं देना चाहता। मंत्री जी ने उस पर स्वयं कहा, स्वयं खड़े हुए। मैंने नहीं कहा।

राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरने हेतु साक्षात्कार के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

*श्री पंचानन—

मान्यवर, आपने श्री रामस्वरुप वर्मा जी के इस संकल्प पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह संकल्प हरिजनों के दर्द को दिल में रख कर लाया गया है लेकिन इसके पीछे वास्तव में हरिजनों के हित की भावना नहीं है। इसमें इस प्रदेश में जाति-विद्वेश पैदा करने की भावना निहित है। माननीय सदस्य ने जिन्होंने यह संकल्प प्रस्तुत किया है उनका पुराना इतिहास इस बात का साक्षी रहा है कि उन्होंने इस प्रदेश के अन्दर अर्नक संघ बनाकर इस प्रदेश की जनता को दो हिस्सों में बाँटना चाहा। इस प्रदेश को दूसरा तमिलनाडु बनाने का प्रयास किया था। प्रदेश के न्यायालय ने उनके विरुद्ध निर्णय दिया कि वह इस विधान मण्डल के सदस्य नहीं हो सकते। इस प्रदेश की जनता ने दुबारा उनको यहाँ आने का मौका दिया आते ही उन्होंने जाति विद्वेष पैदा कर दिया। हरिजनों का आरक्षण पूरा करने का हमारी सरकार ने सुविधायें दी। ऐसा नहीं हो सका। हरिजन जाति के लोग इन सुविधाओं के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं हो सके। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 30 सालों में हरिजनों को वजीफा देकर इस बात का मौका दिया कि वे सुविधाओं के लिए तैयार हो सकें।

इस तरह से हरिजनों को सरकारी दफतरों में जगह मिल सके। लेकिन जब इस प्रदेश के अन्दर जनता पार्टी और लोक दल की सरकारें आयीं, वे कहने के लिए जनता पार्टी की सरकारें थीं, वे केवल जातिगत आधार पर सरकार बना कर रह गये हरिजनों के आरक्षण की ओर ध्यान नहीं गया। एक दूसरी जाति तैयार कर दिया बैकवर्ड के नाम पर। उसमें एक वर्ग विशेष के लोग थे। हरिजनों को वोट देने से रोक दिया गया, गुण्डों को संरक्षण दिया गया। पूरा प्रदेश जाति संघर्ष में जूझ गया। समय के अन्दर अगर सरकार न बदल गयी होती तो इस प्रदेश में न जाने क्या हो जाता। ईश्वर में जो आस्था रखते हैं उन्हें विश्वास करना पड़ेगा कि भगवान से भी जब देखा नहीं गया, इस देश में लोकतंत्र को रहना था, जम्हूरियत को रहना था, इसलिये इस शासन का अन्त हो गया।

मान्यवर, यह संकल्प जो लाया गया है वह इस बात को ध्यान में रखकर नहीं लाया गया है कि इससे हरिजनों का हित हो। हरिजनों का आरक्षण पूरा नहीं होता तो जो अधिकारी हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिये। 1977 में जब कांग्रेस की सरकार थी उसने निश्चित आदेश दिया था कि यदि हरिजन का आरक्षण पूरा नहीं होता तो विशेष आरक्षण दिया जाये। संकल्प में बात की गयी होती कि हरिजनों का आरक्षण पूरा नहीं होता कोटा बढ़ा दिया जाये, सुविधायें दी जायें। यह बात सही है कि हरिजन गरीब है, पिछड़े हैं, उन पर पिछले तीन सालों में जितनी ज्यादती हुई है उसकी मिसाल इस इतिहास में नहीं मिलती। न मिला है और न मिलने की संभावना है। जितने अत्याचार गत 3 वर्षों में हरिजनों पर हुए हैं, आज तक कभी नहीं हुए हैं। इसके पीछे वही सिद्धान्त है। आज ये हरिजनों को यह दिखाना चाहते हैं कि उनके दिल में उनके प्रति दर्द है लेकिन प्रदेश में जो वे जाति विद्वेश ये फैलाने की कोशिश कर रहे है इससे सवर्णों और हरिजनों में संघर्ष कायम हो रहा है। आज बागपत में जो हुआ, वह भी उसकी ही एक कड़ी है। जब हमारे दल की सरकार दिल्ली में बनी और हरिजनो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को मतदान का अवसर मिला तो यह सिद्ध हो गया कि पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहाँ लाठी के बल पर हरिजनों को वोट तक नहीं डालने दिया जाता था, इस दफा उन्होंने खुल कर वोट दिया और पूरे पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश में काँग्रेस बहुमत में आयी। इसीलिए हमारे वे साथी आज उनकी बैकवर्ड के नाम पर वकालत कर रहे हैं।

समाज में सबसे सम्पन्न वर्ग के जो लोग हैं, जिनके पास लाठी की ताकत है और उनके जो वकील हैं, उनको बड़ा फस्ट्रेशन हो रहा है। बागपत में जो असामाजिक तत्वों द्वारा हुआ, यह संकल्प उसी साजिश और तिकड़म का हिस्सा है ताकि इस प्रकार का संकल्प लाकर अखबारों में छपे कि हमारे साथियों के दिल में हरिजनों के प्रति दर्द है लेकिन इसका सहारा लेकर हरिजनों को भड़काया जा रहा है। किस प्रकार से यहाँ पर जाति और वर्ग संघर्ष कराकर जनतंत्र को कमजोर किया जा रहा है। देखने में तो यह संकल्प बड़ा ही इन्नोसेन्ट है लेकिन बड़ा ही खतरनाक है। मैं जानना चाहता हूं कि इससे हरिजनों को क्या राहत मिलेगी! आज हरिजनों के लिए साक्षात्कार की बात की जा रही है कल यह होगा कि उनकी कापियाँ जाँचने के लिये अधिकारी अलग होना चाहिए। फिर यह होगा कि हर महकमें में इसी जाति का एक-एक मिनिस्टर हो। अगर इस संकल्प में गरीबों को उठाने का सवाल होता तब तो यह अच्छी बात होती लेकिन यह तो कुलक्स और बड़े लोगों के वकील बने हैं।

इस संकल्प के द्वारा ये प्रदेश में हरिजनों के संरक्षण की कोई बात नहीं करने जा रहे हैं बल्कि यह तो उसी तिकड़म और साजिश का हिस्सा है जिससे प्रदेश में अराजकता पैदा की जा रही है। जो बागपत में शुरू हुआ है और पूरे प्रदेश में फैलाने की योजना है। माननीय वर्मा जी हमारे बड़े पुराने सदस्य हैं। इस संकल्प पर जो सारी डिबेट हुयी है उस पर विचार करने के बाद वे इस संकल्प को वापस ले लेंगे।

*श्री मित्रसेन—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय वर्मा जी का आभारी हूं कि वह ऐसे लोगों के लिये एक सुन्दर सा प्रस्ताव लाये, जो हमारे समाज के अन्दर पीड़ित थे, दबे हुये थे, कुचले हुये थे, वह ऐसा सुन्दर प्रस्ताव लाये जिस पर कि हम सभी को विचार विमर्श करने का मौका मिला। मान्यवर, इस पर न आपका दोष है और न हमारा दोष है। परेशानी बढ़ जाती है जब कुर्सी के साथ हम लोगों के मापदण्ड बदल जाते हैं। जब कुर्सी बदल जाती है, तो उनका चश्मा बदल जाता है। परेशानी इस बात की है। तो मान्यवर, आज जो सत्ता पक्ष में बैठने वाले हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि हरिजनों, अनुसूचित जाति के लोगों की समस्या है, उसको सही रूप में देखना है, तो गाँव में चलकर देखें कि उनकी क्या स्थिति है। कानून में चाहे जो भी कर दिया हो, प्रेक्टिकली उनके साथ क्या होता रहा है। जो सबसे ज्यादा श्रम करते रहे हैं वे उपेक्षित रहे हैं। उनका उत्थान नहीं हुआ। सबसे ज्यादा श्रम करने वाला है, मान्यवर, उनका हलवाहा और चमार कह कर नेगलेक्ट किया गया है, और दूसरी तरफ नारे देते हैं . . . . इनके चार सूत्री नारे हैं अनुशासन, परिश्रम और जाने क्या-क्या। उसमें भी एक परिश्रम है।

लेकिन सब से ज्यादा परिश्रमी वर्ग को किस नजरिये से देखा जाता है। स्थिति यह है कि अगर कुत्ता भी खा ले तो, उस थाली में खा लेंगे, लेकिन हरिजन अगर उस थाली में खा ले तो उस थाली में नहीं खा सकते हैं यह स्थिति है। इससे इन्कार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, मान्यवर, हम तो कहना चाहते हैं कि अभी आप 10 दिन से बैठे हैं। 5/7 दिनों का एक अभियान चलाया गया। क्राइम कन्ट्रोल--जो कि प्रायः हर वर्ष चलाया जाता है। उसके शिकार, मान्यवर, कौन होते हैं? ये ही लोग। मान्यवर, दफा 109, दफा 109

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मित्रसेन]
और दफा 60 के मुल्जिम—ये सारे के सारे लोग थानेदार के जरिये पकड़ लिये जाते हैं और उनसे टट्टी साफ करायी जाती है, झाड़ू लगवाया जाता है। तो सही बात तो यह है। जिसको कोई नहीं कहता। ये तो केवल गीत गाते हैं, केवल एक व्यक्ति की.... तेरे नाम की जय, तेरे काम की जय.....इन्दिरा गाँधी की ही जय बोलते हैं। हरिजनों की जो समस्या है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। अब तक तो यह कहते रहे हैं (जब लोक दल और जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी थीं) अपने गुनाहों को अंग्रेजों पर थोपते हुये कि हमारा देश सैकड़ों वर्ष तक गुलाम रहा है। दो ढाई साल लोक दल की सरकार आ गयी, तो उनके सामने समस्या आ गयी।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्तावक महोदय से चाहेंगे कि विषय पर बोलें।

श्री मित्रसेन—

अब उस सरकार को दोष देते थे। तो अगर 33 वर्ष में 3 वर्ष छोड़ दें तो 30 वर्षों में उनकी बेहतरी के लिये, उनकी तरक्की के लिये, उनकी जिन्दगी की खूबसूरत बातों के बारे में सोचा होता तो, आज जो उनकी स्थिति है, वह न होती। गाँवों में उनकी जो स्थिति है, उसको देखें। तो न उनके पास अपने पैरों पर खड़े होने के लिये धरती है और न कोई कारोबार है। जिस तरह की जिन्दगी बसर कर रहे हैं, वही जानते हैं। एक कानून 5 रुपये मजदूरी का उनके लिये गाँवों के लिये बनाया गया, लेकिन वह भी उनको नहीं मिलता। और जो भूमि उनको आवंटित की गयी, उसके लिये कानून बनाया गया कि जो उनकी भूमि पर कब्जा करेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। लेकिन उनकी जमीन पर जिन सरकस, जमीनदार और सामन्तों ने कब्जा किया है, वे इनके ही साथी हैं। आज उन पर न कोई मुकदमा चले और न उनकी जमीन छीनी गयी। भूमि का आवंटन किया गया है, घर बनाने के लिये जमीनें दी गयी हैं उन पर जमींदारों ने 298 का मुकदमा दायर कर दिया है तो 13 धुर जमीन के लिये कौन हरिजन होगा जो मुकदमा लड़ेगा। एक तरफ तो आप आवंटन करते हैं और दूसरी तरफ कानून बना दिया है मुकदमा लड़के ले लो। अगर उनको जमीन देनी ही है तो उस पर दूसरों को आपत्ति करने और मुकदमा लड़ने का क्यों अधिकार देते हैं। जो वर्मा जी ने प्रस्ताव किया है वह इतना व्यवहारिक है और तथ्यपूर्ण है और वास्तविकता से छूता हुआ है कि उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। इसे दलगत राजनीति की दृष्टि से नहीं देखना चाहिये कि यह सत्ता पक्ष का है या विरोध पक्ष का। हरिजनों का, अनुसूचित जातियों का जो हमारे देश में आर्थिक और सामाजिक ढांचा है उसमें हमें सुधार करना होगा। हम उन्हें ज्यादा दिन तक धोखे में नहीं रख सकते।

मेरा विचार है कि यह आवंटन और आरक्षण उनकी हालत में सुधार नहीं ला सकता। उनको अपने बल पर खड़ा होना पड़ेगा और उनके प्रति जो समाज में दुर्व्यवहार और दुर्व्यवस्था है उसके खिलाफ बगावत करनी पड़ेगी। बिना बगावत के किसी को दुनियाँ में अपना अधिकार नहीं मिला है। इस संरक्षण से उनको अपना अधिकार नहीं मिलेगा। हरिजनों को एक जुट होकर अपने अधिकारों के लिये इस देश में संघर्ष करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ और उनके अधिकारों की रक्षा नहीं हुयी, वह अपना अधिकार नहीं प्राप्त कर सके तो वह भी इस देश के अन्दर बगावत कर इसको टुकड़ों में बाँट सकते हैं। हिन्दुस्तान के अन्दर पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के अन्दर बंगला देश बना। वह किस बात के लिये बना कि इन्सानों के अधिकार की हत्या हुयी, इसलिये बना।

हिन्दुस्तान को हम तोड़ने के जिम्मेदार नहीं हैं, तोड़ने के जिम्मेदार यह हैं क्योंकि माननीय वर्मा जी को यह प्रस्ताव क्यों लाना पड़ा। प्रस्ताव के लाने के मुलजिम कौन हैं, उस पक्ष में बैठने वाले इसके मुलजिम हैं। आज वह अपराधी हैं जो इस प्रस्ताव को लाने

के लिये मौका दे रहे हैं। उनके हाथों में 30 साल की हुकूमत थी, यह चीज अब तक ठीक हो जानी चाहिये थी। यह चीज आज नहीं आनी चाहिये थी कि हरिजनों को आरक्षण की जरूरत है। मैं दो एक उदाहरण देना चाहता हूं। हमारे जनपद फैजाबाद में रोडवेज रीजन में अभी कंडक्टर्स के चुनाव हुये हैं। 258 अभ्यर्थी चुने गये हैं। हरिजन अभ्यर्थी बी0 ए0, इंटरमीडियट पास, फर्स्ट क्लास लड़के थे लेकिन चुनाव में वह नहीं आये। सिर्फ 24 लड़के लिये गये हैं जबकि 42 लिये जाने चाहिये थे। इस संबंध में मैंने माननीय परिवहन मंत्री वीर बहादुर सिंह जी को लिखकर दिया है कि इसको सिरस्त कर दीजिये इसको आप तुरन्त रोक दीजिये। लेकिन उन्होंने रोका नहीं, उन्होंने कहा कि हम इन्क्वायरी करा रहे हैं।

यहाँ पर एक अनुसूचित जाति का वित्त निगम है। पिछले साल एक लाख, डेढ़ लाख रुपया मारजिन मनी पर दिया गया है, ताकि हरिजन जो जीप खरीदना चाहते हैं, ट्रक खरीदना चाहते हैं, पेट्रोल पंप लगाना चाहते हैं, लगा सकें। यह जो मारजिन मनी पर कर्जा देने की व्यवस्था थी जब से कांग्रेस सरकार आयी है तब से केवल 6 हजार की सीमा बाँध दी गयी है। अभी बनारसी दास जी ने पुट अप किया कि ज्यादा पैसा दिया जाय लेकिन 6 हजार की सीमा बाँध दी गयी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें है जो उदाहरण के लिये आपके सामने पेश की जा सकती हैं। यह सरकार गंभीर समस्याओं को भी दलगत राजनीति से देख रही है इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा और न उस समाज का भला होगा और न हमारे उद्देश्य की मंशा पूरी होगी। इन शब्दों के साथ मैं रामस्वरूप वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करता हूं। पक्ष और विपक्ष के सभी साथी इसे पास करें।

श्रीमती किशोरी शुक्ला—

मान्यवर, जो संकल्प माननीय रामस्वरूप वर्मा जी ने पेश किया है उसका मैं विरोध करती हूं क्योंकि इस संकल्प से हरिजनों का भविष्य उज्ज्वल नहीं है बल्कि सवर्णों और हरिजनों के बीच एक खाई बनाने की साजिश है। जब बेलछी काँड में हरिजनों पर अत्याचार किया गया तब हरिजनों के हिमायती नहीं थे। जब नरायनपुर काँड देवरिया में हुआ, माननीय मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वहाँ जाते है, हम लोग कैम्प लगा कर बैठे थे। हरिजनों पर जो अत्याचार ढाये गये हैं, बहू बेटियों के साथ जो सुलूक किया गया है, तब हरिजनों के हिमायती नहीं थे। मैं पूर्वांचल के सहजनवा क्षेत्र से लड़ कर आयी हूं। हमारे इस चुनाव में हरिजनों पर जो अत्याचार किया गया है, हरिजनों को जोर जबरदस्ती से मतदान करने नहीं दिया गया तब हरिजनों के हिमायती नहीं थे।

मुझे डर लगता है। आज हरिजनों और सवर्णों में एक खाई पैदा करने की पूरी साजिश है। हरिजनों को गुमराह करने की साजिश है। इस चुनाव में हरिजनों ने जो उल्टा तमाचा मारा है उससे पीड़ित होकर आज यह बात लायी गयी है। यह हरिजन के हिमायती कब से हैं मैं यह सोच नहीं सकती। हम लोग एक कार्यकर्त्ता की हैसियत से हरिजनों की टोली में जाकर देखा। 1978 में गोरखपुर में हरिजनों की झोपड़ियों को फूंक दिया गया, उनकी जमीन छीन ली गयी, तरह तरह से हरिजनों को पीड़ित किया गया। आज यह हरिजनों का आरक्षण चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

आप संकल्प पर बोलें। आरक्षण पर नहीं।

श्रीमती किशोरी शुक्ला—

आज हरिजनों का नाम लेकर एक साजिश की जा रही है। कहते चले जा रहे हैं कि हम हरिजनों का आरक्षण चाहते है, यह सुरक्षा चाहते हैं, यह व्यवस्था चाहते हैं।

[श्रीमती किशोरी शुक्ला]

यह हरिजन के हिमायती बनते हैं। हमारे क्षेत्र में हरिजनों की सारी भूमि बरबरता से छीन ली गयी, उनकी झोपड़ियाँ जला दी गयीं। उनके सारे शासन में जाकर हम लोगों ने देखा। माननीय चौधरी चरण सिंह के पास गये, तो कोई सुनवायी नहीं हुई। हरिजनों के बीच जाकर मैं देखती हूं। आज हरिजनों का नाम लेकर बार बार जबरदस्ती कहते हैं कि हमारे प्रस्ताव को माना जाय ताकि आने वाले दिनों में हरिजनों को फिर बहका कर साजिश करें, उनको गुमराह करें। इसलिए इस संकल्प की मैं घोर निन्दा करती हूं और इसका विरोध करती हूं। इसको न लाया जाय।

धन्यवाद।

उन्नाव में हुयी बलात्कार की घटना से संबंधित महिला के संबंध में जानकारी
(4 बजकर 20 मिनट)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी ने एक जिम्मेदारी लिया था तो उसमें मैं जानना चाहता हूं कि क्या हुआ ?

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, आपके आदेशानुसार मैंने गृह सचिव को आदेश दिया था कि वह तुरन्त आपके कक्ष में पहुंच जांय। वह वहाँ पहुंचे लेकिन वहाँ कोई महिला नहीं थी, जिसकी तलाश की जा रही है। गृह सचिव आपके यहाँ बैठे हैं। जैसे ही वह महिला आ जायेगी वैसे ही पूरी सूचना आपको दी जायेगी।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, वह प्रेस रूम में बैठी है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मंत्री जी पता कर लें।

राज्य सरकार की सेवाओं में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित स्थानों को भरने के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारी नियुक्त किये जाने के संबंध में संकल्प (क्रमागत)

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

माननीय अध्यक्ष जी, आज हमारे माननीय सदस्य श्री राम स्वरूप वर्मा जी ने जो हरिजनों के आरक्षण के संबंध में हरिजनों की एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव रखा है उसका मैं विरोध करता हूं विरोध इसलिये नहीं करता हूं कि वह हरिजनों की हमदर्दी जाहिर कर रहे हैं और वह सही नहीं है बल्कि इसलिये विरोध कर रहा हूं कि यदि इनका प्रस्ताव मान लिया जाय तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होने वाली है क्योंकि इस जातिवाद के बेश में हरिजनों की उत्तर प्रदेश में 66 जातियाँ है और 5 अनुसूचित जनजातियाँ उत्तर प्रदेश में हैं। इस तरह कुल 71 जाति के लोग अनुसचित जाति और जनजाति के हैं। यदि यह मान लिया जाय कि हरिजनों की नियुक्ति के बारे में हरिजनों की कमेटी बना दी जाय और वही नियुक्ति करे तो इस बढ़ती हुई जातिवाद के प्रवाह में 71 जातियों के लोग कहेंगे कि हमारे जाति के लोगों के लिये एक-एक कमेटी होनी चाहिये। इस प्रकार प्रदेश से लेकर जिले तक और हर विभाग में नियुक्तियों की कमेटियाँ बनानी पड़ेंगी और इस तरह एक जिले में हर विभाग में 71–71 सदस्यों की कमेटियाँ बनानी पड़ेंगी। जो ठीक नहीं होगा।

मान्यवर, इसके अलावा वियार जाति जो न हरिजन में है और न पिछड़ी जाति में, तो वह भी माँग करेंगे कि हमारी अलग कमेटी बनायी जाय। इसी तरह पिछड़ी जाति के लोग माँग करेंगे कि हमारी हर जाति के लिये अलग कमेटी बनायी जाय। तो इस प्रकार एक विकट समस्या खड़ी हो जायेगी। अतः इस जाति के प्रवाह को रोकना

बहुत आवश्यक है। हम सभी लोगों ने संविधान में संकल्प लिया है कि जातिवाद के प्रवाह को रोकने के लिये हम सभी एक होकर चलेंगे तो उसके अनुसार भी यह प्रस्ताव उचित नहीं है।

मान्यवर, जहां तक रिजर्वेशन का कोटा पूरा नहीं हुआ है तो वह सही बात है। 1972–73 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हरिजन कल्याण जांच समिति गठित की गयी थी, सरकार की तरफ से जिसमें मैं भी मेम्बर था, तो उसकी जो रिपोर्ट आयी थी उसमें हरिजनों का कोटा थर्ड क्लास में पूरा नहीं था और क्लास–1 में नहीं के बराबर था। फोर्थ क्लास में 14 प्रतिशत लोग चुने गये थे। तो इसमें असत्य बात नहीं है कि इतने समय के बाद भी हरिजनों का कोटा पूरा नहीं हुआ है। मैं तो समझता हूं कि गाँव में चारों तरफ अंगऊ की व्यवस्था रही है। अंगऊ एक पुरोहित को ही मिलता था और अंगऊ दूसरे लोगों को नहीं मिलता था। यह अंगऊ जैसी प्रथा रिजर्वेशन कोटे की यदि होती तो यह सवाल आज न खड़ा होता। उनका यदि कोटा पूरा होता तो यह बात न होती। आज भी यदि पूरे रिजर्वेशन कोटे की भर्ती की व्यवस्था कर दी जाय तो हरिजन शायद हर विभाग में पूरे कोटे के अनुसार न आवें जैस मेडिकल, टेक्निकल सर्विसेज में कमी हो सकती है, लेकिन चपरासी, बाबू और इन्सपेक्टर का जो सवाल है उसमें उन्हें कोटा पूरा करने में सभी उम्मीदवार उपलब्ध हो सकेंगे। लेकिन नहीं है, तो इस रिजर्वेशन के कोटे को पूरा किया जाना चाहिए। इस बात को मैं बड़े स्पष्ट तरीक से कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन की श्रेणियां दो जगह हैं एक तो विधान समाओं में और एक लोक सभा में और दूसरी तरफ नौकरियों में रिजरवेशन निश्चित रूप से लागू किया गया है। नौकरी में रिजर्वेशन की पूर्ति बहुत कम है जबकि विधान सभाओं और लोक सभाओं में कोटा पूरा है रिजर्वेशन नहीं है इसलिये उसमें हरिजनों की संख्या बहुत ही कम है। इसे पूरा करनें की कोशिश की जा रही है। बात बिल्कुल सही है कि समाज के लोगों का मन अभी अपनी-अपनी लाइन पर बना हुआ है।

मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि सन् 77 में जब कांग्रेस पार्टी की पराजय हो गई और जनता पार्टी के नाम से विभिन्न दल के लोग इकट्ठा हुये और केन्द्र की सरकार बनाई जाने वाली थी तो एक बात आई उस समय। एक वरिष्ठ नेता जो किसानों के बड़े हिमायती, गरीबों के हिमायती अपने को कहती हैं, उनके दल के लोग भी बड़े जोर शोर से कहते हैं, वह नेता अस्पताल में थे और अस्पताल से उन्होंने चिट्ठी लिख दी कि मैं अमुक नेता के नेतृत्व में काम नहीं कर सकता। नाम आप लोग समझ गये होंगे। माननीय चौधरी चरण सिंह ने बाबू जगजीवन राम के बारे में कहा था। तो जब एक व्यक्ति के नेतृत्व में काम नहीं कर सकते तो फिर उन के अफसर नियुक्त करके उनका हुक्म और आदेश कैसे मानने की बात कर रहे हैं। नीयत तो खराब है (तालियां)।

इस समय विपक्ष में बैठे हुए जोर शोर से चिल्ला कर हरिजनों के हमदर्द बन रहे हैं। तीस साल तक कांग्रेस का शासन था, उसमें कमियाँ हो सकती हैं, उन कमियों को स्वीकार भी किया जा सकता है लेकिन इन कमियों को दूर करनें की आप लोगों ने कोशिश क्यों नहीं की? माननीय चौधरी चरण सिंह यह भी कहते हैं कि जो अलाभकारी जोत है उस जोत के लोगों को जमीन से कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार गरीब जोत वाले लोगों को मजदूर रहने के लिए लाचार कर देना चाहते हैं। अलाभकर जमीन उनके पास नहीं रहनी चाहिए उससे उनको फायदा नहीं है और जब नौकरी देने की बात करते हैं तो यह कितनों को नौकरी दिलाये थे। लोक दल के लोगों से कहना चाहता हूं कि वह इस तरह की बात करते हैं तो पहले वे नीयत ठीक रखें। क्या वे केवल वोट के लिए बातें करते है? हम तो समझते हैं कि जो शक्तिशाली आदमी हो जाता है तो वह विवेक खो देता है। ये ऐसे लोग हैं।

[श्री संकठा प्रसाद शास्त्री]

अगर इनको ताकत आ जाय तो हरिजन एकदम उनकी मर्जी के माफिक चलने के लिए बाध्य हो जायेंगे और इसका बहुत साफ प्रमाण था बूथ कैपचरिंग का। विवेकशील आदमी ताकतवर हो जाय तो कुछ सोचता भी है लेकिन जिसके पास विवेक ही नहीं है और ताकत उसके हाथ में आ जाय तो जो कुछ दिया गया है वह भी छीन ले जायेगा।

इस सिलसिले में आप को याद दिलाना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन में यह कर रखा था कि पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजरवेशन दिया जाय लेकिन यहाँ तो रिजर्वेशन ऐसे लोगों को दे दिया गया जिनकी कोई जरूरत नहीं थी। जो हरिजनों को रिजर्वेशन दिया गया उसमें भी कटौती कर दी गयी। कटौती के बाद फिर हरिजनों की इतनी दुहाई क्यों दी जा रही है? हरिजनों के कोटे को पूरा करने के लिये कोई ऐसा उपाय सोचना चाहिये जिससे सब लोगों को एक साथ मिल कर ले जाया जा सके। ऐसा कोई कानून, व्यवस्था अथवा नियम नहीं बनाना चाहिये जिससे जाति से जाति का अलगाव हो जाय। डाक्टर अम्बेदकर गरीब, पिछड़े, दबे हुए लोगों के बड़े हमदर्द थे और अभी तक भारत की हमदर्दी पर ऐसा बड़ा उनका हमदर्द पैदा भी नहीं हुआ लेकिन उन्होंने भी इस देश की सामाजिक और जातीय समस्याओं को समझते हुए सब लोगों को एक साथ ले चलने वाला संविधान बनाया ताकि जातीय विद्वेष न फैल सके। लेकिन आज उसको फैलाने की जो साजिश की जा रही है उसको अच्छा तो यही है, न किया जाय।

चौधरी चरण सिंह ने इस बात को साफ कर दिया कि जगजीवन राम जी से सम्बन्धित जो बिरादरी के लोग हैं उनको काटा जाय और ऐसे लोगों को जोड़ा जाय जो हरिजन नहीं हैं इस तरह की साजिश करके उनको लड़ा कर इस प्रकार जाति द्वेष की भावना को फैलाने का काम न किया जाय। सब लोगों को एक साथ जोड़ कर काम किया जाय। मेरा विचार है कि राम स्वरूप वर्मा जी ने जो प्रस्ताव रखा है उनकी शायद मंशा यही है कि कमजोर तथा गरीब लोगों को अवसर अधिक से अधिक मिल सके रिजर्वेशन के जरिये लेकिन यह जो प्रस्ताव है इसमें एक बड़ी विचित्र समस्या खड़ी हो जायगी कि हर एक अपने प्रतिनिधि के लिये लड़ने लगेगा, जिसे सुलझाया नहीं जा सकेगा। ऐसी परिस्थिति में इस प्रस्ताव को वापस ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा।

*श्री जटा शंकर सिंह—

माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है उसके सम्बन्ध में अभी माननीय तिवारी जी यह शंका व्यक्त कर रहे थे कि अगर हरिजनों के लिये अलग से साक्षात्कार समिति के लोग बैठेंगे तो उसी तरह से बैकवर्ड्स के लिये भी व्यवस्था की जायगी और अन्य लोगों के लिए भी यह बात कही जा सकती है। अगर हमने आरक्षण दिया है जैसा कि लोक दल की ओर से कहा जा रहा था कि उनका दिया हुआ है लेकिन तिवारी जी ने यह कहा कि मैं यह कहलवाना चाहता था कि यह आरक्षण हमारा किया हुआ है। अगर वह आरक्षण भी आपका ही है, हरिजनों का आरक्षण भी आपका ही किया हुआ है तो मैं कहता हूं कि केवल ईमानदार होना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि ईमानदारी करना भी आवश्यक है। हरिजनों के आप मसीहा हो। आप बनने की बात कहत हो, आप बनो। भगवान आपको शक्ति दे लेकिन सदन के बाहर अपने क्षेत्र में मसीहा बन जाना और सदन के अन्दर अपने मन में छुरी रख कर दूसरी तरह का व्यवहार करना, मैं समझता हूं, उचित नहीं है। यह जो आप कहते हैं कि हम हरिजनों को आरक्षण देते हैं तो ईमानदारी से उसे लागू भी करें। हमारे माननीय वर्मा जी ने एक संकल्प आपके सामने प्रस्तुत किया है जिसमें कोई ऐसी बात उन्होंने नहीं कही है केवल ऐसा कहा है कि आज तक आखिर क्या कारण रहे कि आपकी नीतियाँ होते हुए भी, सरकार की नीतियाँ होते हुये भी आरक्षण ईमानदारी से लागू क्यों नहीं हो सका।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उन्होंने अपने मस्तिष्क में इस विषय पर विचार किया और विचार करने के बाद उनकी समझ में यह बात आयी कि सरकार को ईमानदारी से उस आरक्षण को लागू करना चाहिए था ।

परन्तु इन्टरव्यू में बैठने वाले लोग, सम्भवत: उनके मनों में ईमानदारी से आरक्षण लागू करने की बात नहीं थी। जहाँ तक हमारे और हमारे दल का प्रश्न है, मैं स्पष्ट रुप से कहना चाहूंगा कि हमारी दृष्टि में यह हरिजन है, यह बैकवर्ड है, यह सवर्ण है ऐसा क्लासिफिकेशन उचित नहीं है। सब नागरिक एक समान हैं और आरक्षण गरीबी और अमीरी के आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार पर होना चाहिए। अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण आप करते हैं तो वह स्वागत योग्य है। लेकिन जिस तरह से आपने यह आरक्षण कर रखा है वह चलने वाला नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि ईमानदारी से वह आरक्षण लागू हो सके। इसके लिये मन में विचार न करें कि 74 जातियाँ हरिजनों में है और 78 जातियाँ बैकवर्ड की हैं।

सवर्णों और ब्राह्मणों में भी कई जातियाँ है। उन सब को भी देखने की आवश्यकता है। पूज्य बापू के शब्दों में जो सच्चे रूप में और वास्तव में हरिजन है उनके लिये आरक्षण होना चाहिये। यदि आप आरक्षण को हरिजनों के लिये सचमुच में लागू करना चाहते हैं तो वह केवल वोट प्राप्त करने के लिये नहीं होना चाहिये।

मान्यवर, मैं उस क्षेत्र से चुनकर आया हूं जहाँ बहुमत रूप में उन्हीं के साथ रहा हूं। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि उसके मस्तिष्क में यह बात आयी कि हाथी के दाँत खाने के और दिखाने के और हैं। इससे परिस्थितियाँ बिगड़ जायेंगी। मैं अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ढाई वर्ष में हम उस ओर से इस ओर आ गये। शाश्वत कोई नहीं है। जनता ने सदैव के लिए चुन कर किसी को नहीं भेजा है और परिस्थितियों को कोई नहीं जानता है। 23 जून के पहले जिस बल, जिस उत्साह और जिस मनोबल के साथ आपके चेहरे में दमक थी क्या वह बात अब रह गई है। आप विश्वास करें कि विधि का विधान भी कुछ होता है और आप अपने क्षेत्रों में वायदा करके आये हो और उधर जितने भी बैठे हो, अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनको हरिजनों ने अपने हृदय के अन्तर्गत कोने से समर्थन दिया है।

यह बात अपने भाषणों में भी उन्होंने कहीं है, माननीय महारानी दोहरे ने, मैं नहीं जानता कि वह महारानी हैं या क्या है लेकिन जैसा वह बोल रही थीं, मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प रखा है उससे उनकी तबीयत परेशान हो रही है। आखिर क्या कारण है इसमें परेशानी की कौन सी बात है। दस या 15 जो भी प्रतिशत आपने आरक्षण के लिए रखा है ईमानदारी से उसे देना चाहते हैं तो उन अभ्यर्थियों के इन्टरव्यू के लिए हरिजन अधिकारी ही बैठाये जायं उसमें आपको क्या आपत्ति हो सकती है। अगर मन में स्वच्छता है, अगर ईमानदारी से कोई काम करना है जैसा कि तिवारी जी ने कहा बैकवर्ड के लिए आरक्षण उन्होंने करवाया है, मैं भी उनसे यही कहलवाना चाहता था यानी कांग्रेस ने ही कराया है, आपको वह मुबारक हो, बैकवर्ड के आरक्षण का सेहरा आपके ही माथे पर रहे, तो बैकवर्ड के सलैक्शन के लिए बैकवर्ड अधिकारी ही बैठा दिये जायं तो क्या दिक्कत है।

अगर आप इस प्रकार का आरक्षण चलाना चाहते हैं तो इसे स्वीकार करें; नहींतो हम भी सहमत हैं तो अमीरी और गरीबी के आधार पर आरक्षण होना चाहिये, यहाँ पर क्लास स्ट्रगल को नहीं होने देना चाहते हैं तो ईमानदारी से इस बात को कहना चाहिये और हिम्मत होनी चाहिये और वोटों की बातों को भूला कर सस्ती लोकप्रियता को भुला कर,

[श्री जटाशंकर सिंह]

मन में साहस पैदा करके खड़े हो और बोलो कि इस देश का इस प्रकार के आरक्षण में कल्याण नहीं है । पोलीटिशियंस की तरह से इलैक्शन को न देखो बल्कि नैक्स्ट जनरेशन को देखो और घोषणा करो कि हम गरीबी और अमीरी के आधार पर आरक्षण करते हैं। अगर ईमानदारी से वह घोषणा नहीं कर सकते हों तो जो आरक्षण की बात कही है उसके लिए माननीय वर्मा जी ने जो संकल्प आज प्रस्तुत किया है, बिलकुल सही है उसके लिए समर्थन शासन की तरफ से होना ही चाहिय ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वह अपनी नीतियां यहां स्पष्ट करे और इस प्रकार के आरक्षण को बैकवर्ड क्लास और हरिजनों के लिए चलाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इस संकल्प को जब मतदान का समय आता है, समर्थन करें । मैं इस बात का हृदय से समर्थन करता हूं क्योंकि इनकी नीति है इसलिए। इसका समर्थन करते हुए मैं संकल्प का समर्थन करता हूं और आपको एक बार मुझे समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं ।

[4 बजकर 45 मिनट]

*श्री बिहारी लाल दोहरे--

माननीय अध्यक्ष जी, आपने वर्मा जी के संकल्प पर बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका शुक्रगुजार हूं हमारी विरोधी पार्टियों की तरफ से तरह तरह की बातें आई और आज उधर बैठे हुए साथियों ने उनकी आवाज यहां उठाई और ऐसा मालूम पड़ता था कि यह सब हरिजनों के मसीहा हैं और वास्तव में हरिजनों का भला करना चाहते हैं। मैं उधर के बैठे अपने साथियों को बताना चाहता हूं कि आपके चौधरी साहब ने क्या किया। जो रिजर्वेशन होता था वह क्या हुआ। आज वह कहते हैं कि हमने पूरा कराने की चेष्टा की, किन्तु उसमें शायद एक परसेंट कामयाबी नहीं हुई है और न दिखाई देती थी । जैसे हमारे फर्रूखाबाद में 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए इन्टरव्य हुआ, किन्तु उसमें दोनों पदों पर सवर्ण ले लिए गये, कोई हरिजन नहीं लिया गया। वैसे ही तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए इन तीन सालों में जो इन्टरव्यू हुए 18और 25 परसेंट की बात कही गई, उसमें एक परसेंट की भी पूर्ति नहीं हो सकी, उनकी सरकार के समय में।

हमारे साथियों ने यह सही बताया कि यदि हरिजनों की एक कमेटी एक जाति के लोगों की बना दी गई तो एक अच्छा खासा विवाद खड़ा हो जाएगा। जो पचासों अन्य जातियों के लोग हैं वह सब के सब कहेंगे कि हमारे जाति के लोगों की कमेटी हो। यदि यह सबकी मांग हुई तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा और कोई काम नहीं हो सकेगा। यह ठीक है कि आरक्षण की पूर्ति अब तक नहीं हुई है, उसको पुरा होना चाहिए। उसके लिए हमारी पार्टी और इन्द्रा गांधी, जिन्होंने इसके लिए नियम बनाया है पूरी चेष्टा कर रही हैं। हमारी कांग्रेस पार्टी आरक्षण की पूर्ति करेगी और वर्मा जी जो अपना प्रस्ताव लाकर गुमराह कर रहे हैं उससे हम लोग प्रभावित होने वाले नहीं हैं।

सबसे पहले हमारे समाज के जो गलत तत्व हैं, उनसे जो हमारे समाज की बर्बादी हो रही है, उसे दूर करने का प्रयास करना चाहिए। विरोधी पक्ष के जो लोग कहते हैं कि हरिजनों पर अत्याचार हुआ, तो अत्याचार करने वाले यही लोग हैं। उनको चाहिए कि वह समाज में एक नई दिशा लाएं, लेकिन वह इस दिशा में कुछ नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रस्ताव से गुमराह नहीं होंगे और हम वर्मा जी से प्रार्थना करेंगे कि वह अपने प्रस्ताव को वापस लें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री जियाराम शुक्ल विकल 'साकेती'—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। संकल्प में दो वस्तुओं का होना आवश्यक होता है—एक तो करुणा और दूसरा विवेक, जब यह दोनों चीजें होती हैं तभी संकल्प पूरा होता है। इस संकल्प में यह दोनों चीजें नहीं हैं— न इसमें करुणा है और न इसमें विवेक है। इसलिये यह संकल्प तो हो ही नहीं सकता। यह ऐसा है कि जैसे सोने के घड़े में जहर भरा हो। यह ऐसा संकल्प है जो पूरे राष्ट्र के चरित्र को खराब कर सकता है। इसलिये मुझे तो इसका विरोध करने में भी लज्जा आ रही है। इस देश के लिये महात्मा गांधी से लेकर इन्दिरा गांधी तक जो लड़ाई लड़ी गयी उसमें कांग्रेस ने दो ही जातियां मानी हैं—एक तो अमीर और एक गरीब। गरीब चाहे हरिजन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुर्मी हो, किसी भी जाति का हो उसके विकास के लिये हमने काम किया। लेकिन हमारे वर्मा जी की जो फिलास्फी रही है उसके अनुसार जातिवाद को बढ़ावा दिया गया। गरीब आदमी अपने को गरीब न समझ कर एक जाति विशेष का समझने लगा।

मैं तो कहना चाहता हूं कि यह संकल्प नहीं है, वरन् एक साजिश है। इस संकल्प का समर्थन करना एक साजिश का समर्थन करना है। इस संकल्प में ऐसी भावना छिपी हुई है जो देश और समाज में एक जाति वर्ग विशेष का जहर बोयेगी और उससे आगे चल कर बड़ी बड़ी समस्यायें पैदा होंगी। कल को यह भी कहा जायेगा कि स्कूलों में हरिजनों के बच्चों को पढ़ाने के लिय हरिजन मास्टर हों। इसी तरह की अनेकों समस्यायें पैदा होंगी। इसलिये मैं अधिक समय न लेकर, इस संकल्प का विरोध करता हूं और माननीय वर्मा जी आग्रह करूंगा कि वे इसे वापस ले लें।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी के संकल्प का समर्थन करता हूं। जिन लोगों ने इस संकल्प के विरोध में अपनी बात को यहां रखने की चेष्टा की है वे बाहर रह कर भी हरिजनों के साथ जुल्म और अत्याचार करते रहे हैं। मेरा तो यह कहना है कि इनकी कथनी और करनी में बड़ा अन्तर है। इस अन्तर को समाप्त कर आपको धैर्य और शान्ति से हरिजनों के मसले पर विचार करना चाहिय। अभी एक हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि यह संकल्प हरिजन विरोधी है मैं कहना चाहता हूं कि वह जो माननीय सदस्य थे उन्होंने हरिजनों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, मैं उस व्यवहार को सदन में चर्चा के रूप में नहीं कहना चाहता हूं। उन्होंने यह कहा कि अगर इस तरीके से इस संकल्प को पास कर दिया गया तो हरिजन अधिकार पाने से, आरक्षण पाने से वंचित कर दिये जायेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि जहां तक यह बात कर दी गयी है कि हरिजनों के लिए 18 प्रतिशत कोटा रहेगा, उस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि उसमें से कितना प्रतिशत कोटा पूरा किया गया। जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं एक तरफ वह आरक्षण का नाम लेते हैं तथा उनको सुरक्षा देने के अधिकार की बात करते है, दूसरी तरफ जब हक पाने की बात आती ह, तो उसमें ऐसा व्यवधान पैदा करते हैं कि वे लोग हक पाने से वंचित हो जाते हैं।

मान्यवर, जो माननीय राम स्वरुप वर्मा जी ने अपना संकल्प रखा है वह काफी हद तक अच्छा है। उस तरफ के माननीय सदस्य कहते हैं कि हरिजनों की रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी पर है। तो जब आप इस प्रदेश के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोपी नाथ वर्मा]

शासन में आकर यह कहते हैं तो आप ऐसा क्यों करते हैं कि जब हम हरिजनों की बात उठाते हैं तो आप खड़े होकर बीच में शोर-शराबा क्यों करते हैं, क्या यह प्रस्ताव हरिजन विरोधी है। मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रस्ताव आप लाते हैं, उस प्रस्ताव को हम लोग मंजूर करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूं कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अन्तर हैं। जो माननीय राम स्वरूप वर्मा जी हैं इनके अन्दर हरिजनों के प्रति काफी सहानुभूति है।

मान्यवर, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरीके से वर्मा जी के प्रस्ताव का लोगों ने विरोध किया, जिसका विरोध नहीं होना चाहिए था। मैं माननीय राम स्वरूप वर्मा जी के संकल्प का हृदय से समर्थन करता हूं और यह चाहता हूं कि सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग इस बात का समर्थन करें और इसे पास करें।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदन की इच्छा जानना चाहूंगा कि क्या इस प्रस्ताव पर अभी और चर्चा चले।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

अगर आप और बोलना चाहेंगे, तो अब 5 बज रहा है, यह आपका संकल्प जारी रहेगा और आपका जो अगला गैर-सरकारी दिवस होगा, तब फिर इस पर चर्चा चलेगी।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980†

(5 बजे)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, आप पहले विधेयक पर विचार का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दें।

*शिक्षा राज्य मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

क्षमा कीजियेगा, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय विधेयक, 1980 को.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी यह प्रस्ताव आपको प्रस्तुत करना है नम्बर 12। यह प्रस्ताव है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय यह प्रस्ताव आपको प्रस्तुत करना है इसे प्रस्तुत करें।

श्री मोहन सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय बता दें क्या कहना है।

श्रीमती स्वरुप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

जो कुछ कहना हो, कह दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से इसे प्रस्तुत करते हुये निवेदन करती हुं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973, 2 सितम्बर को अधिसूचना द्वारा लागू किया गया था। जब यह लागू हुआ तो इसके पूर्व विभिन्न विश्वविद्यालयों के जो भी अधिनियम थे वह निरस्त कर दिये गये थे। 25 सितम्बर, 1974 को संशोधन किया गया और अधिनियम लागू किया गया और 1973 में अधिनियम निरस्त कर दिया गया। इसके पश्चात् आवश्यकता पड़ने पर कई बार संशोधन किया गया। सन् 1975 में 1977 में 1978 में और इसके अतिरिक्त कुछ अध्यादेश जारी किये गये विश्वविद्यालयों के संचालन के लिये।

---

†दिनांक 9 जुलाई, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह अध्यादेश जो जारी किये गये उनका विवरण इस प्रकार था। 6 जून, 1979; 19 अप्रैल, 1979, 26 दिसम्बर, 1979, 27 फरवरी, 1980 और जो अन्तिम बार अध्यादेश जारी किया गया वह 22, अप्रैल, 1980 का था और इन अध्यादेशों का प्रति स्थायी विधेयक विधान सभा में प्रस्तुत किया है और मैं उसे प्रस्तुत करती हूं।

विधेयक की धारा 2 के विषय में मैं निवेदन करती हूं कि मूल अधिनियम की धारा 4 (1)-क से यह सम्बन्धित है। इसके मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अपने प्रदेश में 3 विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई थी। बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, रुहेलखंड विश्वविद्यालय और अवध विश्वविद्यालय और इसके संचालन के लिये अन्तरिम प्राधिकरण का गठन किया गया था और उसका समय निर्धारित किया गया था 31 दिसम्बर, 1978 तक। वह लोग नियमानुसार अपने प्राधिकरण का गठन करा लेते तो यह अन्तरिम प्राधिकरण समाप्त हो जाता। लेकिन कुछ कारणवश यह कार्य सम्पन्न नहीं हो पाया। विशेष कर रुहेलखण्ड का जिक्र करती हूं इसके कार्य में देरी हुई। यह हमारे सामने जो बिल पेश है इसमें 31 दिसम्बर, 1981 तक समय बढ़ाने की योजना है। श्रीमन् यह समय मिल जायगा, मैं इतना विश्वास दिलाती हूं सभी सदस्यों को कि इसके आगे कोई भी समय नहीं बढ़ाया जायेगा और मुझे पूरा विश्वास है इस समय में इन प्राधिकरण का गठन हो जायेगा।

मान्यवर, अभी मुझे कहने दीजिए। अभी तो केवल एक खण्ड हुआ है। अभी धारा 8 पर बोलना है। इसमें ऐसी है कि जो मूल अधिनियम है, उसकी धारा 12 से इसका संबंध है, जिसमें दो उपधाराएं जोड़ने की व्यवस्था है। मान्यवर, यह जो मूल अधिनियम 12 है इसमें उप कुलपति के चुनाव की बात का जिक्र है कि उपकुलपति को क्या-क्या अधिकार हैं और उनके लिए क्या-क्या एमाल्यूमेंट्स हैं तथा उनके कार्यकाल की अवधि कितनी है। यह सब है। इनके कार्यकाल की अवधि 3 वर्ष की है। तीन साल का उनको पूरा अधिकार रहता है। तीन साल के ऊपर कोई उपकुलपति नहीं रह सकता। लेकिन प्रैक्टिकल रूप में देखा जाता है कि कभी कभी यह भी सम्भावना हो सकती है कि विश्वविद्यालयों की स्थिति बहुत खराब हो जाती है, उप कुलपति उस परिस्थिति को संभालने में या अपने कार्य में सक्षम न होने या विश्वविद्यालयों के जो आजकल इतने क्षेत्र बढ़ गये हैं, उनको मैनेज करने में या कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाये, उसका सामना करने में सक्षम न हो ऐसी परिस्थिति में हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसकी व्यवस्था के लिए कुछ करें।

मैं देख रही हूं कि आज कल विश्वविद्यालयों का आकार बढ़ता ही चला जा रहा है। इस बढ़ते हुये आकार के साथ-साथ समस्याएं भी उसी हिसाब से बढ़ती हैं, उनका सामना करने में यदि हम दखत हैं कि उप कुलपति सक्षम नहीं है परिस्थिति को काबू नहीं कर पा रहे हैं, इस लिए यह खतरा हम नहीं ले सकते कि पूरा विश्वविद्यालय विनाश की ओर जाय। परन्तु जहां तक व्यक्तिगत रूप से उप कुलपतियों का प्रश्न है, उनके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा है और सम्मान की भावना है। मैं समझती हूं कि हमारे कुलपति हमारे विश्वविद्यालयों की बहुत सेवा कर रहे हैं और बहुत ही विश्वविद्यालयों का विस्तार किया है और हमारे प्रदेश के कुलपति जो अब तक रहे हैं और इस वक्त है, उनके कठोर परिश्रम से, त्याग से और लगन से हमारे विश्वविद्यालय ने जो प्रगति की है और प्रदेश में शिक्षा का जो भी प्रसार हुआ है और इनसे निकले हुए छात्रों ने केवल प्रदेश और देश में ही नहीं वरन् पूरे संसार में, पूरे विश्व में नाम पैदा किया है। लेकिन फिर भी कोई ऐसी समस्या न आ जाए जिससे कि हमको देखना है कि हमारी यूनिवर्सिटी में कोई बड़ा खतरा पैदा न हो जाय, जिससे हमारे प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान हो जाय।

जो हमारे कुलाधिपति साहब हैं, उनको अधिकार दिये गये हैं कि उस कुलपति को 3 वर्ष की अवधि से पहले हटा सकते हैं। यह केवल एक विषय और बहुत ही अस्वाभाविक परिस्थितियों के उत्पन्न होने पर ही ऐसा किया जायेगा। वैसे सामान्य

[श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी]

रूप में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। असली वजह तो यह है इन परिस्थितियों के उत्पन्न होने की कि पहले विश्वविद्यालयों के कार्यकाल तो बहुत छोटे होते थे, परन्तु अब बहुत बढ़ गया है। उसमें हर प्रकार की समस्याएं, अस्वाभाविकता तथा असंतोष भी उसी हिसाब से बढ़ गये हैं। कहीं कहीं देखने में आया है कि बड़े-बड़े विद्वान, काबिल और इन्टेलक्चुअल कुलपति भी ऐसी उग्र परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाये हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थितियाँ कभी-कभी सामने आ जाती हैं कि उनको वैसे ही हैण्डिल करना पड़ता है इसीलिए यह प्राविजन रखा गया है। इसमें किसी इन्टेलेक्चुअल विद्वान से कोई असम्मान की बात नहीं है न इसमें कोई कन्ट्रोवर्सियल बात है। हमारे देश का ट्रेडीशन है कि कुलपतियों, विद्वानों का सम्मान हो।

अध्यापको को हटाने की बात उसमें है लेकिन ऐसा होता कहाँ है। हजारों, लाखों में कोई एक केस होता है जहाँ अध्यापकों को सस्पेंड किया गया हो। वह भी आसानी से नहीं होता है। यह कोई उपकुलपतियों को हटाने का षड़यंत्र नहीं है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जब यह लागू होगा तब आप देख लीजियगा। इसमें कोई डिस्टर्बेन्स क्रियेट करने की कोशिश नहीं की जायगी। हम लोग सब हैं, कोई ऐसी विशेष बात नहीं है।

जो अध्यापकों को हटाने की बात है या सस्पेंशन की बात है, यह हमारे कानून में है। उसको लागू नहीं किया जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हैं कि कोई विशेष परिस्थिति का हमें सामना करना पड़े।

और विधेयक की धारा 4 है, इसमें कोई खास बात है ही नहीं। प्रवेश समितियाँ जो अध्यादेश द्वारा गठित की जाती हैं, आप जानते हैं कि यह विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कालेज हैं इसमें 2 छूट गये हैं, आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालय। तो मान्यवर, इस बिल के अनुसार इसकी अनुशंसा की गयी है कि इसकी एक समिति गठित करने की जो है, जो नार्म्स बनाये जायें वहीं पर सिद्धान्त बनाये जाय जिससे आयुर्वेदिक और यूनानी महाविद्यालयों में भी मेरिट के अनुसार प्रवेश हों।

विधेयक की धारा 5 जो है यह मूल अधिनियम की धारा 60 है इसमें थोड़ा समय माँगा गया है। 31 दिसम्बर, 1978 से 31 दिसम्बर, 1981 तक। और मैं समझती हूं कि इससे ज्यादा समय बढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

जो धारा 6 है, यह अधिनियम की धारा 60 (क) में है। जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो एफीलियेटेड कालेजेज हैं, या जो इनसे एफिलियेटेड हैं उनके अध्यापकों की जो तनख्वाहें हैं वह सरकार द्वारा दी जाती है। वेतन उनका यू0 जी0 सी0 ग्रेड होने के बाद भी कोई वितरण में परेशानी न उठानी पड़े लेकिन मूल अधिनियम में कुछ कालेजेज छूट गये थे जैसे नगर महापालिका, नगरपालिका या जिला परिषद् के आगे जाकर जिला परिषद् भी कोई महाविद्यालय खोलें, तो ऐसा महसूस हुआ कि कुछ स्थानीय लोगों द्वारा घोषित महाविद्यालय हैं, उनमें तनख्वाहें टाइम से नहीं बंट रही हैं। जैसे मंसूरी में जो महाविद्यालय ह वहाँ 6 महीने, 8 महीने तक तनख्वाहें नहीं मिलीं। इसलिए इस विधेयक में उसको भी इन्क्लूड कर लिया है। महापालिका में स्कूलों को जरूर छोड़ दिया गया हैं क्योंकि उनकी फाइनान्शियल कन्डीशन अच्छी होती है, उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। (शोर) आगे चलकर और नगरपालिकाएं महाविद्यालय खोलेंगे, खोलने की इच्छा करेंगी। जिला परिषद् महाविद्यालय खोलते हैं उनको भी आसानी होगी।

एक सदस्य—

मान्यवर, एक जानकारी चाहूंगा।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आप लोग भी जानकारी चाहेंगे। जरूर जानकारी देने की कोशिश करूंगी। एक

बार मुझे पेश कर लेने दीजिए। कोई जिला परिषद् या नगरपालिका अपना स्कूल खोले हुए हैं या खोलना चाहती है या भविष्य में खोलने की कोई व्यवस्था होती है तो वहाँ पर जो वेतन वितरण है वह इस अधिनियम द्वारा यूनिवर्सिटी के रूल रेगूलेशन द्वारा वितरित होगा जिससे कि अध्यापकों को कोई परेशानी न हो।

एक सदस्य—

संक्षेप में कर दें।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

ठीक है। इन शब्दों के साथ मैं आप लोगों से निवेदन करती हूं कि विधेयक को पास करें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं बड़े ध्यान से शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुन रहा था जिसमें कि वह इस संशोधन विधेयक के उद्देश्य और कारणों पर प्रकाश डाल रही थीं। इस पर कई बातों पर विस्तार से विचार करना जरूरी है।

मान्यवर, विश्वविद्यालय शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। उत्तरोत्तर परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली जा रही हैं कि कोई भी सरकार हो, हर सरकार के शिक्षा मंत्री ऐसा प्रयास करते हैं कि वह सभी विश्वविद्यालयों के निरंकुश प्रबन्धक बन जायें। हमेशा उसकी स्वायत्तता पर खुला अतिक्रमण किया जाता है। इस संशोधन में उम्मीद थी कि कुछ ऐसी चीजें नई सरकार द्वारा आयेंगी कि परिस्थितियाँ बदलेंगी। मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने कहा कि जो समय माँगा गया है वह अब बढ़ाया नहीं जायेगा। मैं चाहूंगा कि वह इस आश्वासन को कैबिनेट में भेज दें। विश्वविद्यालय के कुलपति के बारे में ऐसी व्यवस्था की गयी है जैसे वह चपरासी हो गवर्नमेंट का। बड़ा सम्मानजनक शब्द है। वह नामिनेटेड होता है

(व्यवधान)

जब मैंने कहा किसी की सरकार रही हो चाहे जनता पार्टी की हो या कांग्रेस की। जनता पार्टी की सरकार ने तो कोशिश की उस मलवे को ढोते रहे, जो आग लगाकर 30 साल से गन्दगी करते रहे उसको साफ किया।

मान्यवर, कुलपति का पद बड़ा ही सम्मानजनक पद है, उनकी क्वालिफिकेशन्स भी बड़ी होती हैं। उनका मनोनयन होता है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि विषम एवं अपरिहार्य अस्वाभाविक परिस्थितियों में ऐसा किया जायगा। तो यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि ऐसी स्थितियों का फैसला कौन करेगा? इसमें हम ही पनिश करने वाले हैं और हम ही फैसला करने वाले हैं। कोई जुरिसप्रुडेंस की बात नहीं है। आगे इसमें कहा गया है कि यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जान बूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है तो कुलाधिपति ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझें, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]

इतने वरिष्ठ आदमी को हटाने के लिए कोई प्रतिबन्ध लगाया जाय। अगर हटाना ही हो तो कोई नार्म्स होने चाहिए। जाँच की प्रक्रिया भी हम ही तय करें और फैसला भी हम ही करें। यदि यहाँ का डी0एम0 नियुक्त कर देंगे तो क्या इससे कोई सहमत होगा। जैसा कि उनका स्तर है मेरा सुझाव है कि किसी जुडीशियल अथौरिटी को मौका दिया जायगा कि वह आरोपों को देखेंगे और अगर वे संस्तुति करते हैं तो उसका हटाया जाय।

आगे इसमें कहा गया है कि इन्क्वायरी के चलते उसको निलंबित कर दिया जायग। यह उससे भी ज्यादा खतरनाक धारा है। इससे कोई भी व्यक्ति कुलपति पद पर जाना उचित नहीं समझेगा। जुडिशियल इन्क्वायरी का व्यक्ति प्राग्दर्शन में लिख दे तो निलंबित करने का प्रश्न उठता है। ऐसा मालूम पड़ता है कि सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों की उनसे पूर्ति कराना चाहती है। यह धारा बहुत ही खतरनाक है। अतः कोई भी व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में विश्वास करता है, इसका समर्थन नहीं करेगा। अगर कोई नियमों के विरुद्ध आचरण करता है तो बिना जाँच किए इस तरह से हटाये जाने का मैं समर्थन नहीं करता हूं।

हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि ऐडमिशन्स या उनकी संख्या के बारे में नियम बनाने का अधिकार सरकार को देने की बात है लेकिन एडमिशन में भ्रष्टाचार व्याप्त है। मैं ट्रेनिंग कालेज की जानकारी देना चाहता हूं उसके बारे में यहाँ भी और समाचार पत्रों में भी छपा है कि वहाँ पर कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है। अगर वहाँ पर कोई कमियाँ हैं तो क्या सरकार उनको सुधार नहीं सकती है। इसीलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसे प्रवर समिति में भेज दिया जाय।

इस बात पर भी विचार करने की आवश्यकता है कि वे परिनियम जो बने हैं क्या यह बात सही नहीं है कि उसके कारण बहुत से विश्वविद्यालयों की स्थिति खराब हुयी है। अभी लखनऊ विश्वविद्यालय का मामला था। नियुक्तियाँ हुयीं। फिर लोग हटा दिये गये। उनकी सीनियरिटी समाप्त हो गयी। एक निर्देश चला जाता है उसका पालन करते करते परिस्थितियाँ बदल जाती है। तो इस पर विचार करने की जरूरत है। उसमें सुधार किया जाय। सरकार को विचार करना होगा कि आखिर आज तक क्यों नहीं कर पाये। इसलिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस अधिनियम को प्रवर समिति को भेज दें और भेजने के बाद उसमें इधर के भी लोग होंगे और उधर के भी लोग और विचार हो जायेगा। 15 दिन में कोई प्रलय नहीं होने जा रही है। हम युक्तिसंगत ढंग से उस पर विचार कर लेंगे। तो यह जो संशोधन के लिये मैंने मूव किया है, मैं समझता हूं कि सदन के माननीय सदस्यगण उसको स्वीकार करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

(श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी से) अब आप उत्तर देना चाहेंगी?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं तो उनसे अनुरोध करना चाहती हूं कि जब मैंने उनकी सारी बातें मान लीं, तो इसको पास होने दें।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मुझको भी कहने दें। केवल दो शब्दों में समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रस्ताव तो हो गया है।

श्री मोहन सिंह—

लेकिन मैंने अलग से प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय रियासत हुसैन, माननीय राम स्वरूप वर्मा, माननीय मोहन सिंह—सबका प्रस्ताव था। यह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उसके पश्चात् मैंने देखना भी चाहा कि कोई बोलना चाहता है कि नहीं।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मैं तो तुरन्त खड़ा हुआ था।

श्री अध्यक्ष—

तुरन्त खड़े हुये थे, तो बोल लें, लेकिन यह ध्यान रखें कि कृपया ज्यादा समय न लें।

*श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, मेरी मंशा है कि जो 1973 में विश्वविद्यालय अधिनियम बना हुआ है, वह सम्पूर्ण अधिनियम है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर आक्रमण है। लेकिन यह जो मौजूदा संशोधन है, जो उस अधिनियम की 12वीं धारा में नया अध्याय जोड़ रहा है, न केवल एक आक्रमण है, बल्कि एक बहुत बड़ा आक्रमण हो सकता है। मान्यवर, इन तीन वर्षों के शासन की सरकारी पक्ष के लोग आज निन्दा करते हैं, हमारे शासन की निन्दा की है, लेकिन उस निन्दा के काम की आज पुष्टि करने जा रहे हैं। आप कहते हैं कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर आक्रमण करने की मन्शा नहीं। लेकिन जबसे संशोधन आया, अनुभव इसी बात का है कि उसका खुला दुरुपयोग हो रहा है। खुला दुरुपयोग इस रूप में हो रहा है कि जबसे प्रतिवन्ध लगाया कि किसी को भी 58 वर्ष के बाद सेवा में वृद्धि नहीं दी जायगी, तबसे इस प्रदेश के जो बड़े अफसरशाह हैं, उन्होंने विश्वविद्यालयों को एक चरागाह बना लिया है। विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के चयन के लिये जो 3 लोगों की समिति बनी है, पिछले तीन वर्षों का रिकार्ड मंगा कर मान्यवर देख लें और आप तो स्वयं शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, मुझे अफसोस है कि पिछले 4 वर्षों से सिलसिला जारी है। इसमें एक्जीक्यूटिव कौंसिल के नामिनी होते हैं, उच्च न्यायालय के नामिनी होते हैं और कुलाधिपति के नामिनी होते हैं। विगत 4 वर्षों में, मैं किसी कार्य पर टीका नहीं करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास 14 विश्वविद्यालयों की सूची है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन 14 कुलपतियों में से 10 ऐसे हैं जिनका विश्वविद्यालय से कभी कोई संबंध नहीं था। ये लोग या तो रिटायर्ड आई० ए० एस० अफसर हैं या पुराने शिक्षा निदेशक हैं। ऐसे लोगों को नियुक्त कर दिया गया है इससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? अफसोस की बात यह है कि इसी धारा का दुरुपयोग करके इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति डा० हजेला को सस्पेंड किया गया। गोरखपुर के कुलपति डा० चौधरी के खिलाफ कमीशन बैठा और उसके बाद वहाँ रिटायर्ड आई० ए० एस० को नियुक्त किया गया। बुन्देलखंड विश्वविद्यालय, अवध विश्वविद्यालय में भी यही हुआ। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में करीब-करीब नाम तय हो गया था लेकिन शासन बदला और कुलाधिपति बदले और उनके मनोनुकूल व्यक्ति का चयन नहीं हो सका अन्यथा वहाँ रिटायर्ड आई० ए० एस० अफसर को नियुक्त करने की योजना तय हो चुकी थी।

मैं कहना चाहता हूं कि एक ऐसा समय था जबकि एक कमिश्नर को इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इक्जीक्यूटिव काउन्सिल का मेंम्बर नियुक्त किये जाने पर हंगामा खड़ा हो गया था। लेकिन आज ऐसी स्थिति है कि जब इनको सेवा में विस्तार नहीं मिल रहा है, चारागाह समझकर, रिटायर्ड जिन्दगी को पूरा करने के लिये इनको नियुक्त किया जा रहा है। परीक्षा संबंधी सारी व्यवस्था रजिस्ट्रार के जिम्मे कर दी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहन सिंह]

फाइनेंशियल कंट्रोल पहले कुलपति के पास था लेकिन 1973 का जो संशोधन हुआ उसके अनुसार फाइनेंस अफसर को नियुक्त कर दिया गया, वह विश्वविद्यालय की सम्पूर्ण अर्थ संबंधी बातों का नियंत्रण करता है। केवल कुलपति को 5 हजार रुपये खर्च करने का अधिकार है उसके लिये भी शासन की इजाजत लेनी पड़ती है। ऐसी हालत में अब कुलपति का पद केवल शोभा का पद रह गया है। अब कुलाधिपति उनको किसी स्तर पर बर्खास्त कर सकता है, तो मैं समझता हूं कि विश्वविद्यालय के वातावरण को विषाक्त करने की यह योजना है।

मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि 1973 का जो पूरा अधिनियम है और जो शिक्षा शास्त्रियों की मंशा रही है, रघुबरदयाल कमीशन, गजेन्द्र गडकर कमीशन, डा० कोठारी कमीशन और जितने भी शिक्षा में सुधार करने के संबंध में, विश्वविद्यालय के प्रशासन में सुधार करने के संबंध में, जो कमीशन बने हैं उन कमीशन की जो संस्तुतियां हैं उनके मुताबिक एक व्यापक विधेयक इस सदन में लायें और उससे पहले सदन की कमेटी से विचार विमर्श कर लें अन्यथा हमारी गंदगी और कचरे से शराबोर होंगे इससे बड़ी लज्जा की और कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, क्या आप इनकी बातों का उत्तर देना चाहती हैं?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मैं आपके माध्यम से विरोधी दल के विधायक से अनुरोध करूंगी कि वह अपने इस प्रस्ताव को वापस लें और इसको सर्व सम्मति से पास कर लें।

श्री अध्यक्ष—

राजेन्द्र कुमार जी, क्या आप मंत्री जी का निवेदन स्वीकार करते हैं?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इसमें जो धारा 12 का संशोधन किया गया है अगर यह वापस ले लें तो मैं अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लूंगा। इसमें यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय के कुलपति को किसी वक्त निकाला जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है। इस धारा को वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि संशोधन का प्रस्ताव वापस नहीं हुआ इसलिए उसको आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 से 12, खण्ड 1, प्रस्ताघना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 और उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत सरकार के इक्कतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा।

(2) धारा 10 पहली जनवरी, 1978 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 3 सात जुलाई, 1978 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 2, 4, 5, 7, 8 और 9 पहली जनवरी, 1979 को प्रवृत्त समझी जायगी, धारा 6 छब्बीस सितम्बर, 1979 को प्रवृत्त समझी जायगी और शेष उपबन्ध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10; सन् 1973 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया ह, धारा 4 में, उपधारा (1—ख) में, खण्ड (ख) में, शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिय जायेंगे।

धारा 12 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 12 में, उपधारा (11) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात्:—

"(12) यदि कुलाधिपति की राय में कुलपति जानबूझकर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित नहीं करता है या कार्यान्वित करने से इन्कार करता है या अपने में निहित शक्तियों का दुरुपयोग करता है या यदि कुलाधिपति को अन्यथा यह प्रतीत हो कि कुलपति का पद पर बना रहना विश्वविद्यालय के लिए अहितकर है, तो कुलाधिपति, ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसी वह उचित समझें, आदेश द्वारा कुलपति को हटा सकते हैं।

(13) कुलाधिपति को उपधारा (12) में निर्दिष्ट किसी जाँच के विचाराधीन रहने के दौरान या ऐसी जाँच को अनुध्यात करते हुए, कुलपति को निलम्बित करने की शक्ति होगी और ऐसे निलम्बन की अवधि में कुलपति को वह उपलब्धियाँ प्राप्त होती रहेंगी जिनके लिये अन्यथा वे धारा (8) के अधीन हकदार थे।"

धारा 28 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 28 में, उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायगी, अर्थात्:--

"(5) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध में किसी बात के होते हुए भी मेडिकल और इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में, और शिक्षा या आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा प्रणाली में उपाधियों के लिये शिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश (जिसके अन्तर्गत प्रविष्ट किये जाने वाले छात्रों की संख्या भी है) ऐसे आदेशों द्वारा विनियमित होगा जैसे राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, उस निमित्त बनाये :

परन्तु इस उपधारा के अधीन प्रवेश के विनियमन का कोई आदेश अल्पसंख्यक वर्गों के, अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन के अधिकार से असंगत न होगा।"

धारा 50 का संशोधन

5--मूल अधिनियम की धारा 50 में,--

(एक) उपधारा (1-क) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे;

(दो) उपधारा (2) में, अंक और शब्द "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर अंक और शब्द "31 दिसम्बर 1981" रख दिये जायेंगे।

धारा 60-क का संशोधन

6--मूल अधिनियम की धारा 60-क में, खण्ड (1) में, शब्द "स्थानीय प्राधिकारी" के स्थान पर शब्द "नगरमहापालिका" रख दिया जायेगा।

धारा 72 का संशोधन

7--मूल अधिनियम की धारा 72 में, उपधारा (2) में, परन्तुक में, शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

धारा 72-क का संशोधन

8--मूल अधिनियम की धारा 72-क में, खण्ड (ग) में शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

धारा 73 का संशोधन

9--मूल अधिनियम की धारा 73 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1978" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 29 सन् 1974 की धारा 28 का संशोधन

10--उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1977" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1981" रख दिये जायेंगे।

वैधीकरण

11--मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार, या विश्वविद्यालय या उसके किसी अधिकारी, प्राधिकारी या निकाय द्वारा 31 दिसम्बर, 1978 और इस धारा के प्रारम्भ के दिनांक के बीच कृत या किये जाने के लिये तात्पर्यित कोई कार्य या कार्यवाही, जो इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार है, वैध समझी जायेगी और सदा से वैध रही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समयों पर प्रवृत्त थे।

निरसन और अपवाद

12--(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं0 8 सन् 1980

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृतकार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 12, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करती हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

[5 बज कर 58 मिनट]

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980†

पंचायती राज मंत्री (श्री अम्मार रिजवी)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत ही फार्मेलिटी है जो सदन के सामने रखनी है। जब से टाउन एरिया और नोटीफाइड एरिया का टर्म खत्म हुआ है, 1976 में इसे बढ़ाया। फिर बढ़ाया जून, 1977 में इसके चुनाव होने थे। उस समय भी चुनाव नहीं हो सके। उसके बाद बराबर टर्म बढ़ता गया। चुनाव नहीं हुए। इस बार सरकार ने जो घोषणा की है उससे आपको यह मालूम है कि चुनाव शीघ्र कराना है। लेकिन जो आर्डिनेन्स, जो विधेयक इस सिलसिले में राज्यपाल महोदय द्वारा पास किया गया उसको इस सदन के सामने लाना जरूरी था, इसलिये यह विधेयक आपके सामने रखा गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सम्मानित सदन इसको पास करेगा।

***श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—**

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, इस संशोधन विधेयक को जैसा मंत्री जी ने कहा मैं भी औपचारिकता ही समझता था लेकिन इस अवसर पर दो बातें मैं कहना चाहूंगा। एक तो यह है कि स्थानीय निकायों के चुनाव को बराबर टालते रहना, यह भारतीय संविधान का उपहास है। स्थानीय निकायों के चुनाव की व्यवस्था करना और चुने हुये जन-प्रतिनिधियों को स्थानीय निकायों में भेजने की व्यवस्था हमारे संविधान में है क्योंकि जनप्रतिनिधियों को आगे की जिम्मेदारी को वहन करने की ट्रेनिंग यहीं से मिलती है। लेकिन आप बराबर चुनाव टालते जा रहे हैं। आज मैं समझता था कि मंत्री जी जैसे कि शिक्षा मंत्री का आश्वासन हुआ वैसे ही स्वायत्त शासन मंत्री जी का भी इस मौके पर आश्वासन होता कि आगे चुनाव की तिथि टाली नहीं जायेगी लेकिन वह आश्वासन नहीं आया जिससे मेरे मन में शंका पैदा हो गयी है और इसलिये सरकारी पक्ष से संशोधन पेश किया गया है, इसलिये मुझे शक है। मान्यवर, संशोधन को देखें तो उसमें सितम्बर, 1980 को यह संशोधन आखिर में है।

---

†दिनांक 9 जुलाई, 1980 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त]
उसमें मान्यवर, "1979" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 मार्च, 1981" रख दिये जायं। यह संशोधन श्री खुरशेद अहमद, श्री पंचानन राय तथा श्री जावेद अली, शासक पक्ष के सदस्यों की तरफ से आया है, जिसके माने इस सरकार की नीयत साफ नहीं है। (व्यवधान) इसलिये मंत्री जी की तरफ से मान्यवर, साफ साफ आश्वासन होने की जरूरत है कि नगरपालिकाओं और जिला परिषदों के चुनाव आगे किसी भी कीमत पर नहीं टाले जायेंगे। इसमें बहस की जरूरत नहीं है चूंकि दोनों तरफ के माननीय सदस्य चाहत हैं कि आज जो कर्मचारियों के माध्यम से स्थानीय निकाय के प्रशासन चलाये जा रहे हैं उससे प्रदेश की प्रगति नहीं हो रही है.....

(व्यवधान)

एक सदस्य—

आपने चुनाव क्यों नहीं करा दिये थे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, जिस समय हमारी सरकार बनी तो हमारे सामने अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आयी थी जिस पर विचार किया जा रहा था.... (व्यवधान) मान्यवर मेरे एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री जी ने जवाब दिया था कि इन संस्थाओं के चुनाव की व्यवस्था चुनाव कार्यालय करा रहा था। लेकिन बीच में विधान सभा के चुनाव आने से गतिरोध पैदा हो गया जिससे चुनाव नहीं कराये जा सके। तो अब मैं मान्यवर चाहता हूं कि मंत्री जी आश्वासन साफ-साफ दें कि चुनाव इन संस्थाओं के कब करायेंगे

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य अपना-अपना स्थान ग्रहण करें चूंकि शासन की ओर से यह विधेयक प्रस्तुत है इसलिये कृपया आप श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त को आगे बोलने दें।

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त—

जहाँ भी कर्मचारियों के हाथों में नगरपालिकायें हैं वहाँ पर चारों तरफ से शिकायतें आ रही हैं। विकास का काम रुका हुआ है। अपने नगरपालिका की बात बताता हूं। वहाँ पर पेय जल की व्यवस्था तीन साल से पूरी नहीं हो पायी है। कोइ देखनेवाला नहीं है। सड़कों में जगह-जगह पर खड्डे होगये हैं। मैंने मंत्री जी को लिख कर भी दिया है। दो लोगों की गड्ढों में पैर खड़ने से मृत्यु होगई। नगर महापालिका इस बात का भी ध्यान नहीं रखती कि उन गड्ढों को पाट दें। हर एक जगह स इस प्रकार की शिकायतें हैं। इसलिये स्थानीय निकायों के चुनाव करा कर जनप्रतिनिधियों के हाथ में इनका प्रबन्ध सौंपना इस सरकार का अपरिहार्य कर्त्तव्य है। हमारी पहले की सरकार कराने जा रही थी.....

एक सदस्य—

आपकी गलती हम दोहरायेंगे नहीं.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इसमें कोई दिक्कत हो, कोई व्यवस्था संबंधी दिक्कत हो, पन्द्रह दिन में इस संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत करें जिससे कि चुनाव के मार्ग में आने वाली कठिनाईयाँ समाप्त हो जायं।

श्री अध्यक्ष—

रियासत हुसैन जी, आप समय लें लेकिन बहुत कम।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, इसमें बिलकुल दो राय नहीं हैं कि पिछले शासन ने म्युनिसिपल बोर्ड के चुनाव तु जिलापरिषद् के चुनाव हेतु जो क्षेत्र समितियाँ थीं उनसब को भंग किया और यह उन की एक बहुत बड़ी भूल थीं और उसकी खामियों को सन् 77 के लोक समा चुनाव में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनता पार्टी की सरकार को भुगतनी पड़ी। जो लोग प्रजातंत्र में विश्वास रखते थे जो चाहे जिला परिषद् के अध्यक्ष थे, टाउन एरिया, म्युनिसिपल बोर्ड के मेम्बर थे, महापालिकाओं के अध्यक्ष थे, वे सब लोक सभा के प्रत्याशी बनाये गये। मगर श्रीमन्, एक बात पर मुझे तरस आता है। रिजवी साहब ने यह प्रस्ताव पुट अप किया है। इससे पहले जब यह सदन में आता था तो इसी तरीके से वक्त माँगा जाता था। गणेश दत्त बाजपेयी जी ने एक साल का समय माँगा और वह समय पूरा नहीं हुआ कि बाजपेयी जी चले गये मंत्रिमंडल से। उसके बाद राम अधार पाण्डेय ने समय माँगा मंत्री होने पर, उन का भी समय पूरा नहीं हुआ

एक सदस्य—

रिजवी साहब नहीं जायेंगे.....

श्री रियासत हुसैन—

फिर सत्य प्रकाश मालवीय जी आये, वे भी चले गये। इसमें म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया कमेटी, नगर महापालिका और जिला परिषद् सब को सम्मिलित करके समय माँगा है और जिला परिषद् के लिए तो एक साल का 80–81, 31 मार्च तक का मामला पहुंच गया है।

तो इसमें दो राय नहीं है कि यह चुनाव जल्दी होने चाहिए। कल यहाँ पर प्रश्न भी आया था और हमने इस बात का आश्वासन माँगा था कि अगर अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है तो उस को जल्दी से जल्दी निर्णय कर के और ये जितनी भी पंचायत राज की शाखायें हैं राज्य से ताल्लुक रखने वाली, डिसेन्ट्रेलाइजेशन आफ पावर की बात, उनके चुनाव जल्दी से जल्दी होने चाहिए।

तो श्रीमन्, मैं यह उम्मीद करता हूं कि माननीय रिजवी जी अपने जाने से पहले ये चुनाव करा दें सिर्फ यह आश्वासन हम को दे दें। चुनाव 80 में होंगे या 81 में....

एक सदस्य—

सदन में आप के रहते ही चुनाव हो जायेंगे .....

श्री रियासत हसैन—

इसकी कोई लिमिट नहीं है। जिस तरीके से सब स्वायत्तशासी संस्थायें बरबाद की गईं, नष्ट की गईं। मिसाल के तौर पर मुरादाबाद नगरपालिका के चुनाव 20 साल से नहीं हुए, इसी तरह से अलीगढ़ तथा मेरठ के नहीं हुए। हम लोग जो प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और इस सदन में जनता के चुने हुए नुमाइन्दे बैठे हुए हैं यह हमारे लिये लज्जा की बात है कि असेम्बली के चुनाव तो समय से हो जायं लेकिन जो चुनाव हमारे हाथ में हैं म्युनिसिपल बोर्ड, टाउन एरिया और जिला परिषद् के, उनको हम नहीं कराते और वहाँ का सारा काम अधिकारियों के हाथ में है। वहाँ बी० डी० ओ० मनमानी कर रहे हैं (व्यवधान) इसलिये मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी आश्वस्त कर दें कि वह जल्दी से जल्दी इन चुनावों को करा देंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

हमारे सम्मानित सदस्य सीतापुर तथा मुरादाबाद ने जो चिन्ता व्यक्त की है मैं समझता हूं कि सदन को इस बात का खयाल है कि चुनाव शीघ्र होने चाहिये। जहाँ तक हमारी पार्टी अथवा सरकारी नीति का सम्बन्ध है, हम प्रजातंत्र में विश्वास करते हैं और चुनाव टालने की बात कभी नहीं करते। सबसे बड़ा सबूत इसका यही है कि 77 में लोक सभा के चुनाव हमने करा दिये जबकि एक साल बाकी था (व्यवधान तथा शोरगुल) जिला परिषदों का एक साल बाकी था लेकिन वक्त के पहले ही उनको समाप्त कर दिया गया। 1977 में चुनाव हुये थे लेकिन चुनाव न 77 में हुए, न 78 में हुए और न 79 में हुए। आज जब हमारी सरकार आई है और 9 तारीख को ही हमने शपथ ली है फिर भी हमारी नीयत पर शक किया जा रहा है और कुछ करने से पहले ही आपने फैसला कर लिया।

[श्री अम्मार रिजवी]

रियासत साहब ने मंत्रियों के आने-जाने की कुछ बात कही उनको आने-जाने का बड़ा तजुर्बा है इसलिये इसका वह काफी रिकार्ड रखते हैं। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जनतंत्र में हमारा पूर्ण विश्वास है और जहाँ तक स्थानीय निकायों के चुनाव का सवाल है चाहे जिला परिषद हो, टाउन एरियाज हों अथवा ग्राम सभायें, उनके चुनाव निश्चित समय पर होंगे और यह सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी कि जो प्रजातंत्रिक प्रणाली है उसे ज्यादा दिन तक टाला जाय। वह हमारी नीयत पर शक न करें, थोड़ा समय दें और उसके बाद अगर कुछ न हो तब कहें कि जो समय लिया था वह गलत लिया था। जहाँ तक प्रवर समिति की बात कही गयी उस सम्बन्ध में हम आपस में बातचीत तथा मशविरा कर सकते हैं। मैं अपने मित्र से निवेदन करूंगा कि वह इस प्रस्ताव को वापस ले लें और विश्वास रखें कि चुनाव शीघ्र होंगे और निश्चित समय पर होंगे।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मैं माननीय मंत्री जी की तारीफ करूंगा जो उन्होंने यह कहा कि सरकार की मंशा इसको 20 सितम्बर, 1980 तक चुनाव करा देने की थी किन्तु उन्होंने दल की बात कही है कि वह दल उनको रौंद रहा है और दल के दबाव से दबे जा रहे हैं। आगे वे दल के दबाव में नहीं दबेंगे और जैसा पहले लोक दल की सरकार ने इसे शुरू किया था मैंने उसका विरोध किया था और कहा था कि कमेटियाँ और सलाहकार समितियाँ गठित नहीं की जायेंगी। मैं आज भी माननीय मंत्री महोदय से यह आश्वासन चाहता हूं कि वे यह कहें कि हम सलाहकार समिति गठित नहीं करेंगे।

श्री अम्मार रिजवी—

माननीय, सम्मानित सदस्य सीतापुर ने कहा कि मैं दल के दबाव से दब रहा हूं। यहाँ तो इस तरह से केवल एक दल है और उस तरफ दल भी है और दलदल भी है।

श्री अध्यक्ष—

चूंकि संशोधन का प्रस्ताव वापस नहीं हुआ इसलिये मैं इसको उपस्थित कर रहा हूं। प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड 2 व 3

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 1977 की धारा 2 और 3 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश म्युनिसपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 और 3 में, जहाँ-जहाँ शब्द "दो वर्ष की अवधि" आये हों, उनके स्थान पर अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980 तक" रख दिये जायेंगे।

3--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में; अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1979" के स्थान पर अंक और शब्द "30 सितम्बर, 1980" रख दियें जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1978 की धारा 24 का संशोधन

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड 4, 5, खंड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

4--उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, अंक "1979" के स्थान पर, अंक "1980" रख दिये जायेंगे। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 15 सन् 1977 की धारा 2 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 6 सन् 1980

5--(1) उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1980 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित धारा 2, 3 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उन अधिनियमों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980

उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977, उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 और उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1980 कहा जायगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 4 अगस्त, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा।

*श्री पंचानन--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 के खण्ड 4 के स्थान पर निम्नांकित खण्ड रख दिया जाय--

"4--उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द तथा अंक "9 अगस्त, 1979" के स्थान पर शब्द तथा अंक "31 मार्च, 1981" रख दिये जायेंगे।"

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री पंचानन]

मान्यवर, जून, 1977 में इस प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। चूंकि वह नेगेटिव वोट पर आयी थी और उसको इस प्रणाली पर आस्था नहीं थी इसलिये उन्होंने सत्ता में आने के दो महीने के अन्दर स्वायत्तशासी संस्थाओं को भंग कर दिया और भंग करने के बाद उसके अधिकार जिलाधीशों को दे दिये। चूंकि उनकी चुनावों में आस्था नहीं थी और उनको स्पष्ट हो गया कि इस प्रदेश की जनता उनके साथ नहीं है। इस असेम्बली का चुनाव भी नहीं होता लेकिन दिल्ली में इनकी पार्टी के अन्दर झगड़ा हो गया था.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य, आपका संशोधन खण्ड पर है, इसलिये सूक्ष्म में ही आप कहें।

श्री पंचानन—

जो संशोधन मैंने प्रस्तुत किया है वह इसलिये आवश्यक है कि जो मूल विधेयक है उसके द्वारा जिला परिषदों के अधिकार जिलाधीशों को 9 अगस्त तक दिया गया है। मान्यवर, इसके भी 3 टियर्स चुनाव होते हैं। पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद्। सरकार ने सदन में यह आश्वासन दिया है कि हम चुनाव जल्द करायेंगे। तो मान्यवर, पंचायतों की पहले मतदाता सूची तैयार होगी और तब उनके चुनाव होंगे उसमें समय लगेगा, इस समय बरसात का मौसम है। तो इतनी जल्दी चुनाव नहीं हो सकते हैं। यह जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है इसमें चुनाव टालने की कोई मंशा नहीं है, हमारी ऐसी मंशा होती तो उसी तरह का संशोधन प्रस्तुत करते जिस तरह का पिछली सरकार ने किया। सबसे पहले उन्होंने एक साल का अधिकार लिया, दुबारा जब संशोधन लाये उसमें अगस्त, 79 तक का अधिकार जिलाधीश को दे दिया। दूसरी बार तारीख मुकर्रर कर दी कि अगस्त 9, 1979 तक यह अधिकार जिला परिषदों का जिलाधिकारी के पास रहेगा लकिन तीसरी बार उन्होंने सोचा कि तारीख लिखने की समस्या ही खत्म कर दी जाय और 9 अगस्त, 1979 की जगह पर 80 कर दिया। आज यह जो संशोधन आ रहा है यह साल भर के लिए भी नहीं है। कम से कम इतना रीजनेबिल समय तो देना ही होगा कि जिसके अन्दर पंचायतों और क्षेत्र समितियों के चुनाव हो सकें।

श्री अध्यक्ष—

कृपया आप कम समय लें, 6 बजे तक इसको पास होना है। खण्ड पर ही बोलें।

श्री पंचानन—

मान्यवर, 8 महीने का समय हमने इस संशोधन से मांगा है। चूंकि उनकी पार्टी को जनतंत्र में आस्था नहीं थी इसलिए बार बार समय बढ़ाया और इसीलिए उन्हें संदेह हो रहा है। लेकिन हमारी पार्टी जनतंत्र में आस्था रखती है।

श्री अम्मार रिजवी—

मान्यवर, अमेंडमेंट स्वीकार है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 4 के स्थान पर निम्नांकित खंड रख दिया जाय—

"4— उत्तर प्रदेश जिला परिषद (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की धारा 2 में, उपधारा (1) में, शब्द तथा अंक '9 अगस्त, 1979' के स्थान पर शब्द तथा अंक '31 मार्च, 1981' रख दिये जायेंगे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड 4, खंड 3 व खण्ड 1, प्रस्तावना एवं शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अम्मार रिजवी—

श्रीमन्, म प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980 यथा संशोधित पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1980, जैसा कि सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

मेरे समक्ष नियम 51 की 6 सूचनायें प्राप्त हुई थीं जिनमें से एक सूचना जो श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त और श्री राम लाल ने गाजीपुर स्नातकोत्तर महाविद्यालय परीक्षा केन्द्र के परीक्षार्थियों पर लाठी चार्ज के संबंध में है, को स्वीकार किया है बाकी सब अस्वीकार हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

गोली भी हैं.....

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, लाठी-गोली जो भी था, वह स्वीकार हुआ है। उस पर वक्तव्य के बारे में समय कल होने वाली कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में तय हो जाएगा। अभी इस पर समय दे सकना सम्भव नहीं होगा।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

मैंने भी भेजा था.....

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

श्रीमन्, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। मंत्री जी शायद कल ही देना चाहें।

श्री अध्यक्ष—

आप समझें कि कल के लिए 4 वक्तव्य पहले से ही रखे जा चुके हैं और एक चर्चा अलग से है। इतने अधिक कार्य को देखते हुए यह एक वक्तव्य और रख देना यदि मंत्री जी स्वीकार कर लेंगे, तो उससे माननीय सदन को असुविधा ही होगी। अतः इसके लिए वक्तव्य की तारीख बाद में निश्चित कर दी जाएगी।

ज्ञानसू, जनपद उत्तरकाशी में भूस्खलन दुर्घटना से हुई क्षति एवं राहत कार्य किये जाने के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

राजस्व मंत्री (श्री यशपाल सिंह)—

नगरपालिका उत्तरकाशी क्षेत्र बाड़ाहाट मुख्य बाजार, गंगोरी और ज्ञानसू 3 बस्तियों से बना हुआ है। उत्तरकाशी खास में पहाड़ सीधा है जिसके टूटने का ज्यादा डर है। ज्ञानसू में पहाड़ अपेक्षाकृत ढालदार हैं किन्तु वहाँ पर दो नाले हैं जिनमें कभी-कभी पत्थर व मलवा आ जाता था, परन्तु पिछले 7–8 वर्षों में यह नाले लगभग शांत रहे और इनमें झाड़ियाँ आदि भी पैदा हो गयी। इसलिये लोग निश्चित हो गये थे कि इन नालों से किसी किस्म का खतर नहीं है। फलस्वरूप लोगों ने नालों के किनारे-किनारे काफी मकान बना लिये और सड़क के किनारे तो बाँध के रूप में नाले के सामने ही बाजार की एक लाइन जैसी बन गयी। नालों के किनारे पर सिंचाई व बिजली विभाग के गोदाम भी बने हुए हैं। नालों को साफ रखने के बारे में कई बार चेतावनी दी गयी तथा नालों की भूमि (सरकारी भूमि) पट्टे और नीलामी पर नहीं दी गयी तथापि नालों के अन्दर भी कुछ लोगों ने अनाधिकृत रूप से झोपड़ियाँ बना लीं।

[श्री यशपाल सिंह]

दिनाँक 24–6–80 की रात्रि के 11 बजे के करीब नाले के आरम्भ होने की जगह करीब एक किलोमीटर पहाड़ के ऊपर 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बहुत जोर से वर्षा हुई जिसे बादल फटने की संज्ञा दी जा सकती है। साथ ही बिजली की कड़क व बिजली गिरने के धमाके के फलस्वरूप नाले में बहुत सा मलवा पानी के साथ चलना शुरू हुआ है और उसने रास्ते में पड़ने वाले घरों को दबा दिया। यह घटना इतनी जल्दी हुई है कि 15–20 मिनट में पूरी दुर्घटना हो गयी।

इस दुर्घटना में 3 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए तथा 10 मकान, जो किनारे के पास थे, आँशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए। पीने के पानी के नल और कुछ कंकरीट की पैदल सड़क भी बिल्कुल नष्ट हो गयी। खेती आदि को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ। कुल मिलाकर प्राइवेट सम्पत्ति का लगभग 3 लाख रुपये और सार्वजनिक सम्पत्ति का लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

जिलाधिकारी तथा उप पुलिस अधीक्षक ने तुरन्त घटनास्थल पर पहुंचकर बचाव एवं राहत कार्य कराया। अब तक हुई छानबीन से 24 व्यक्तियों के मरने की पुष्टि हुई है जिनमें 12 नैपाली हैं। 21 की लाशें मिल गयी हैं। ऐसा अनुमान है कि शेष 3 लाशें या तो बह गयीं या मलवे के काफी नीचे दब गयीं। 3 घायल व्यक्तियों का अस्पताल में उपचार हुआ और डाक्टरों के अनुसार वे खतरे से बाहर हैं। वे तीनों नैपाली हैं।

राजस्व विभाग के मौजूदा नियमों के अनुसार दैवी आपदा के कारण प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को 1,000 रु0 अहेतुक सहायता प्रदान करने का प्राविधान है। ज्ञानसू भूस्खलन दुर्घटना की विशेष परिस्थितियों के प्रकाश में 2,000 रु0 प्रति मृतक तथा 500 रु0 प्रति घायल व्यक्ति की दर से सहायता देने के आदेश दे दिये गये हैं क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण हेतु 500 रु0 प्रति कच्चा मकान तथा 800 रु0 प्रति पक्का मकान की दर से मौजूदा नियमों के अनुसार सहायता देने की व्यवस्था कर दी गयी है। घर विहीन व्यक्तियों को फिलहाल धर्मशाला में ठहरने की व्यवस्था कर दी गयी है।

इस दुर्घटना के बचाव एवं राहत कार्यों के लिये शासन ने 11 लाख रुपये जिलाधिकारी को अवंटित कर दिये हैं। मलवा हटाने के कार्य में तीन बुलडोजर तथा लगभग एक सौ व्यक्ति प्रतिदिन कार्यरत हैं। नाले की मरम्मत आदि के लिये वन विभाग कार्यरत है सुरक्षा एवं सहायता कार्य के लिये मौके पर पुलिस तथा पी0 ए0 सी0 तैनात है।

श्री मोहन सिंह––

मान्यवर, यह वक्तव्य [× × ×] व परस्पर विरोधी है। हर समाचार पत्र में मरने वालों की संख्या 150 बतलायी गयी है।

श्री अध्यक्ष––

मोहन सिंह जी, आप यह शब्द "झूठा" प्रयोग न करें तो अच्छा है। सत्य नहीं है, यह कहें तो अच्छा हो।

श्री मोहन सिंह––

उसे कार्यवाही से निकाल दें, असत्य कर दें। माननीय मंत्री जी ने बताया कि 24 व्यक्तियों के मरने की सूचना है जिसमें 12 नैपाली हैं। उनको तो सहायता देने का प्रश्न नहीं उठता। वक्तव्य में कहा है"––फलस्वरूप लोगों ने नालों के किनारे-किनारे काफी मकान बना लिये ....." मैं यह जानना चाहता हूं कि यह अनियमित रूप से जो मकान बने उनकी संख्या कितनी है?

नोट––[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकालदिया गया।

श्री यशपाल सिंह--

यह जानकारी तो इस समय नहीं है। माननीय सदस्य नोटिस देंगे। तो बता दूंगा। यह मकान हमारे जमाने के नहीं है, आपकी सरकार के ही जमाने के हैं।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह--

यह भी इसमें बताया है कि इसमें सिंचाई विभाग और विद्युत विभाग के गोदाम भी नष्ट हुये हैं तो इनके बनाने की आज्ञा किन परिस्थितियों में दी गयी?

(उत्तर के लिये मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री बलदेव सिंह आर्य--

जो यह 3 मकान पूरी तरह से और 10 आँशिक रूप से नष्ट हुये हैं उनमें कितने की सम्पत्ति नष्ट हुई है, उसका ब्योरा क्या है? वह सम्पत्ति बरामद हुई या नहीं और वह किसके पास है। और जो सहायता दी गयी है वह कितने लोगों को दी गयी हैं उसका ब्योरा भी बतलाने की कृपा करें?

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, यह 24 व्यक्ति ऐसे हैं जो मृतक कहे जाते हैं, जिनकी मृत्यु हुई है। उनमें से मान्यवर, कठिनाई इसमें यह हो रही है कि परिवार के परिवार मृतक हो गये, उनका नजदीकी रिश्तेदार ट्रेस आउट नहीं हो पा रहा है।

श्री मोहन सिंह--

यहाँ पर विरोधाभास है, मान्यवर।

श्री यशपाल सिंह--

मान्यवर, माननीय सदस्य अगर सुनें तो मेरा ख्याल है उसको ज्यादा मदद हो सकेगी जिनको भारी क्षति हुई है। मान्यवर, 4 व्यक्ति एक ही परिवार के हैं जो कि मृतक हुए हैं। अब यह ट्रेस आउट होना है कि उनका नियरेस्ट रिलेशन कौन है जिनको कि हम नियमों के अनुसार सहायता दे सकते हैं। तो उसमें जरा समय लगता है। लेकिन बहुत शीघ्रता के साथ उनको सहायता दी जा रही है और यह कुछ लोग इसमें पौड़ी गढ़वाल के हैं, कुछ गढ़वाल के हैं, एक व्यक्ति टेहरी गढ़वाल का है एक व्यक्ति उत्तरकाशी का है। तो यह गढ़वाल वालों के लिए ड्राफ्ट डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को भेजे है कि उनके घर वालों को या उनके नजदीकी जो रिश्तेदार हैं, उनको सहायता दे दी जाय। टेहरी गढ़वाल का एक व्यक्ति जो है उनको एक ड्राफ्ट दे दिया गया, उत्तरकाशी का जो व्यक्ति है उसको दे दिया गया है।

श्री बलदेव सिंह आर्य--

मान्यवर, मैंने सम्पत्ति का ब्योरा माँगा है, मृतकों का नहीं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि जो दिया गया है, उसको बतला दें।

श्री यशपाल सिंह--

जो प्राइवेट सम्पत्ति का उन्होंने ब्योरा माँगा है वह 3 लाख रुपये हैं मेरे बयान में पहले से ही मौजूद हैं और सार्वजनिक सम्पत्ति का लगभग 5 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

जिन घरों में मलवे के गिरने से मकान ध्वस्त हो गया, वहाँ से जो लाशें निकाली गयीं, उन लाशों के साथ जेवर-जेवरात जो निकाले गये वह कितना है और वह किसके पास हैं?

श्री यशपाल सिंह--

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी। यह सूचना नहीं है।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

दूसरा प्रश्न यह है ज्ञानसू जहाँ बाढ़ आई है, यहाँ से लगभग डेढ़ या 2 मील ऊपर तीन मील की दरार पड़ी हुई। क्या माननीय मंत्री को इसकी सूचना है और वहाँ पर 9 साल पहले वन विभाग ने वनों का कटान बड़ी निर्ममता के साथ किया था इसकी सूचना मंत्री जी को है ?

श्री यशपाल सिंह--

इसकी कोई सूचना नहीं है । परन्तु पूरे पहाड़ पर जहाँ पर बाढ़ आने की सम्भावना रहती है प्रीकाशनरी मेजर के लिए सरकार ने एक कमेटी नियुक्त किया है जो गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट करेगा कि जहाँ इस तरह की आपत्ति आ सकती है उसके लिये क्या किया जा सकता है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, इस प्रश्न को स्थगित कर दें, और पूरी जानकारी के साथ....

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

सभी सदस्य खड़े हैं किसको मौका दूं। मित्र सेन जी, आप बैठ जायं यह पहाड़ का मसला है ।

डाक्टर धर्मपाल--

माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में पढ़ा कि नाले के किनारे-किनारे लोगों ने मकान का निर्माण कर लिया था उसके बाद दो लाइन छोड़कर है कि उस भूमि को सरकारी भूमि पट्टे और नीलामी पर नहीं दी गयी। माननीय मंत्री ने कहा कि 3 मकान नष्ट हो गए। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो झोपड़ियाँ लोगों ने खड़ी कर ली थी उन झोपड़ियों में रहने वालों का क्या हुआ ?

श्री यशपाल सिंह--

वह झोंपड़ियाँ वह गई, 3 मकान ध्वस्त हो गये ।

श्री मोहन सिंह--

उन झोपड़ियों की संख्या नहीं है । वह झोपड़ियाँ हमारे शासन काल में बनी थी इसलिए उनको सहायता नहीं दी जायेगी । माननीय मुख्य मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूं क्या वह अपने विवेकाधीन कोष से मृतक परिवारों को कुछ सहायता देने का कष्ट करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह--

हमारे यहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता कि यह लोकदल की सरकार में बना था । जिसके मकान गिरे हैं उन सब को सहायता दी गई है। कच्चे मकानों को 5 सौ रुपया और पक्के मकानों को 8 सौ रुपये दिया गया है ।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में सर्वे के बाद जहाँ पहाड़ कच्चा होता है कमजोर होता है जिस तरह का होता है उसका साइन लगा दिया जाता। जब पहाड़ कच्चा था लोगों ने अनधिकृत रूप से मकान बना लिया था तो जो वहाँ के मुकामी अधिकारी थे उनको मालूम होगा कि दरार पड़ी हुई है तो इस अनधिकृत कब्जे को न हटाये जाने का क्या कारण है ?

श्री यशपाल सिंह--

अगर मेरा वक्तव्य माननीय सदस्य पढे तो मालूम होगा कि उनको बार-बार नोटिस दी गई कई बार कब्जा हटाने के लिये कहा गया ।

डाक्टर धर्मपाल--

क्या माननीय मंत्री जो नोटिस दी गई उसकी प्रति और जो नोटिस प्राप्त कराई गई उसकी प्रतिलिपि सदन में प्रस्तुत करेंगे ?

श्री यशपाल सिंह---

मान्यवर, अगर आप आज्ञा देंगे और वह उपलब्ध हुआ तो इसे कर दिया जायेगा।

श्री राजेन्द्र कुमार गप्त---

मान्यवर, मेरे कुछ मित्रों ने मुझे जानकारी दी है, मैं इसी जानकारी के आधार पर माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो लोग वहाँ मरे हैं, जो बिचारे बहुत गरीब लोग हैं और उन बिचारों के 4-4 और 5-5 बच्चे हैं और उनके घर में उनकी बढ़ी माँ आदि हैं। उनकी सहायता रूप में जो एक हजार या दो-दो हजार दिये जा रहे हैं या मकान के लिए प्लाट दिये जा रहे हैं। इस संबंध में मैं मंत्री जी से स्पष्ट निवेदन करना चाहूंगा कि क्या सरकार उन मृतकों के घर वालों को कम से कम 5-5 हजार रुपये या आवश्यकताओं को देखकर जो अभी दे रहे हैं उससे बढ़ाकर रकम देने के लिए विचार करेगी ?

श्री यशपाल सिंह---

मान्यवर, यह एक वरिष्ठ सदस्य हैं। यह जानते हैं कि ऐसे समय पर कम्पेन्सेशन नहीं दिया जाता है। मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत मकानों के लिए केवल सौ रुपये और एक हजार रुपया मृतकों के लिए दिया जाता है। विशेष परिस्थिति को देखकर ही मकानों के लिए 5 सौ से 8 सौ रु0 तक स्वीकार किया गया है और मृतकों के लिये दो-दो हजार

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त---

मान्यवर, यह मृतकों के परिवार वालों पर, गरीब लोगों के प्रति विचार नहीं करना चाहते और नियमों का सहारा ले रहे हैं। इसलिये मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रियासत हुसैन---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि जो घटना मकानों से संबंधित घटी हैं, उसकी राजस्व मंत्री जी देखें और जो लोग मरे हैं, उनके परिवार वालों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी अपने रिलीफ फण्ड से सहायता दें।

श्री मोहन सिंह---

मान्यवर, मैं भी अपने दल सहित सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मोहन सिंह लोक दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री यशपाल सिंह---

यह सहायता मुख्य मंत्री जी के आदेश से ही उनके रिलीफ फण्ड से दी गयी है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

अब हम उठते हैं। कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 25 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
10 जुलाई, 1980।

टी0एस0यू0पी0---एक0 134 वि0 सभा (250)--1981---813